खण्ड-259, अंक-9
गुरूवार, 11 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(2 सितम्बर, 1965 ई0)

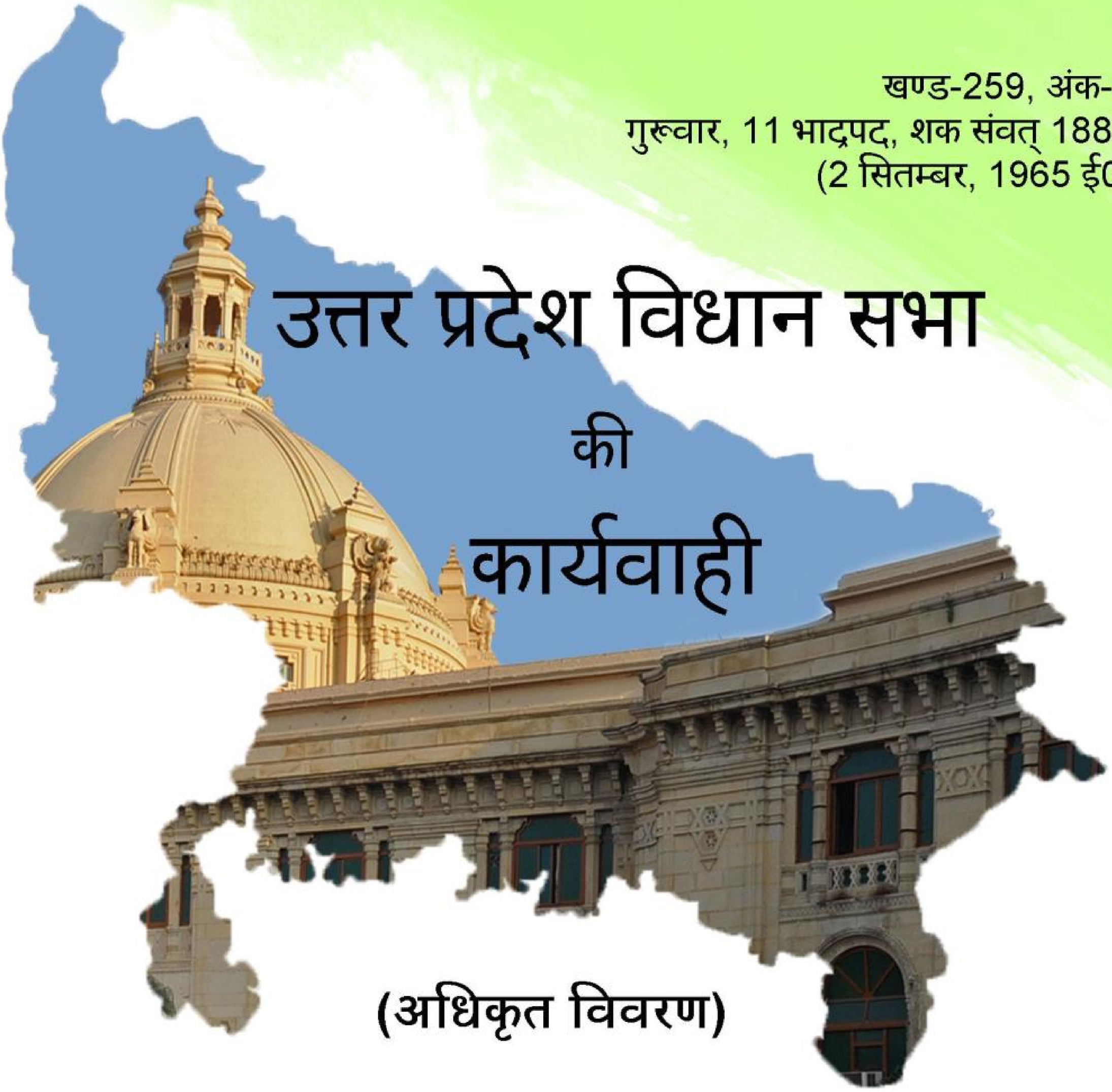

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 259 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८७७–८८१
प्रश्नोत्तर	८८१–९१६
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	९१६
भूतपूर्व मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभानु गुप्त का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण एवं मुख्य मंत्री का तत्संगत भाषण ..	९१६–९१९
कतिपय विषय	९१९–९२०
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें	९२०–९२१
कतिपय विषय (जारी)	९२१
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें ..	९२१–९२२
कतिपय विषय (जारी)	९२२
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विचार जारी)	९२२–९७३
राप्ती नदी के पुल टूटने से सम्बन्धित जांच समिति की रिपोर्ट पर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	९७३–९७९
नस्थियां	९८०–९८६

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खाँ, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील प्रब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
प्रीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बजनाथसिंह वद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूडी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री

रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री

शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

एटा जिले में ग्रांड ट्रंक रोड पर बस की लूट

* १—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा) तथा श्री वेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि ८, ९ अगस्त, १९६५ की रात्रि में एटा नगर के पास मध्य प्रदेश में से आती हुई एक तीर्थ-यात्री बस को डाकुओं ने लूट लिया जिससे कई यात्रियों को गोलियों से घायल कर दिया, जिनमें से कई की हालत चिन्ताजनक है तथा हजारों रुपये की हानि हुई एवं दो औरतों को डाकू उठा ले गये, बदमाशों का पता लगाने में पुलिस अभी तक निष्क्रिय हुई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

दिनांक ८/९ अगस्त, १९६५ की रात में एटा जिले के ग्राम सेथरी के पास ग्रॉंड ट्रंक रोड पर एक यात्रियों की बस, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ यात्री मथुरा से इलाहाबाद जा रहे थे, को डाकुओं ने रोक कर लूटा। उसी समय उस स्थान पर रास्ता बन्द होने के कारण एक ट्रक रुकी, उसे भी डाकुओं ने लूटा। डाकुओं ने लगभग २,१६१ रु० की कीमत का माल लूटा। डाकुओं ने बन्दूक व लाठिओं का प्रयोग किया जिससे ६ यात्रियों और बस के ड्राइवर को कुछ साधारण चोटें आईं। किसी यात्री की हालत चिन्ताजनक नहीं है। यह सही नहीं है कि डाकू दो स्त्रियों को उठा ले गये थे। वास्तव में घटना के समय दो स्त्रियां चुपके से भाग कर खेतों में छुप गई थीं जो बाद में वापस आ गईं।

घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली पर एक मुकदमा धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया और जांच प्रारम्भ की गई। २ अपराधी गिरफ्तार किये जा चुके हैं। कुछ अन्य अपराधी जो घटना में शामिल थे, मैनपुरी जिले में पकड़े गये हैं जिनकी जांच की जा रही ह। जांच जारी है।

श्री गंगा प्रसाद वर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यात्री लूटे गये वह ३ दिन तक थाने में पड़े रहे, उनके मध्य प्रदेश जाने के लिये क्या सहायता की गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अभी ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि वह थाने पर पड़े रहे और क्या सहायता उन्हें मध्य प्रदेश जाने के लिये दी गई लेकिन उनकी तुरन्त डाक्टरी कराई गई और जो पुलिस का काम था वह किया गया। उन्होंने मध्यप्रदेश जाने के लिये किसी सहायता की मांग की या नहीं। इसकी सूचना नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह २ बदमाश कब पकड़े गये, वह कहां के हैं और किस गिरोह से सम्बन्ध रखते हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

बाबू अहीर हरचन्दपुर का है और खेमकरन एटा का है। यह तो सूचना नहीं है कि वह किस गिरोह से सम्बन्ध रखते हैं लेकिन वह बदमाश जरूर हैं और १९ व २१ तारीख के बीच में पकड़े गये।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह घटनास्थल पुलिस स्टेशन से कितनी दूर है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

८–९ मील के करीब फासले पर है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

कितने यात्रियों को डाकुओं के गोली चलाने से चोटें आईं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मारा कोई नहीं गया है, ७ के चोटें आई हैं ड्राइवर समेत।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घटना की असाधारण स्थिति को देखते हुये इसकी जांच के लिये जो सामान्य तरीका होता है वही काम में लाया जा रहा है या किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति की गई है या और कोई कार्यवाही की गई है जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैंने कहा है कि २ आदमी गिरफ्तार हो गये हैं और कुछ आदमी और गिरफ्तार किये गये हैं। जांच जारी है। तो इसमें किसी विशेष जांच की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह जाहिर होता है कि २ व्यक्ति मैनपुरी जिले में गिरफ्तार हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि और दूसरे जिलों में भी गिरफ्तार हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग अन्य जिलों में गिरफ्तार किये गये हैं, वे क्या इन दो डाकुओं की सूचना पर गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, यह सूचना बताना तो जनहित में नहीं होगा कि किसकी सूचना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

जिस डाकू दल ने यह किया है वह पास के जिलों मैनपुरी और एटा आदि में इस प्रकार घटनाएं कर रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी सी० आई० डी० द्वारा इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे जिससे इन सब को गिरफ्तार करके सजा दी जा सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसमें कौन-कौन आदमी शामिल हैं, इसका काफी पता चल रहा है और कुछ डाकू एटा-मैनपुरी जिले में गिरफ्तार भी किये गये हैं।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी एफ० आई० आर० किसने लिखाई और कितने बजे लिखाई ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मार्ग अवरुद्ध होने का क्या कारण है, क्या किसी डाकू द्वारा यह मार्ग अवरुद्ध किया गया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह रिपोर्ट श्री खजानचन्द, मौजा कुरावली, जिला मैनपुरी ने २ १/२ बजे रात को लिखायी थी। मार्ग जो अवरुद्ध था उस पर लकड़ी पड़ी हुई थी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि डाकू औरतों को उठा नहीं ले गये थे बल्कि वे खेत में छिप गयी थीं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें डाकू उठा ले गये हों और इस बात को छिपाने के लिए यह बात कही गयी हो ? तो मैं जानना चाहता हूं कि वे औरतें कब अपने परिवार वालों के पास वापस पहुंची ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

वे औरतें तुरन्त आयीं। जिस बात को मैं कहना नहीं चाहता हूं, उस बात को जानने की क्या जरूरत है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि ग्राम सेखरी, थाना एटा से सिर्फ डेढ़ मील है और मंत्री जी ने उसको ८, ९ मील दूर बताया है और इससे पहले भी यहां एक बस इसी स्थान पर लूटी गयी थी जिसमें एक एम० पी० को नंगा किया गया था। तो इस बात को देखते हुए कि वहां थाने की पुलिस इन डाकुओं से मिली हुई है कोई विशेष जांच इस घटना की कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दूरी बताने में माननीय सदस्य की सूचना सही हो सकती है। मैंने तो अपने अंदाज से दूरी बताई थी। दूरी में फर्क हो सकता है लेकिन क्या वारदात इससे पहले हुई, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जो सूचनायें हैं वे भयानक हैं इसलिये स्पेशल पुलिस के द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

इसमें अभियुक्तों का पता चल गया, जांच हो गयी, अब विशेष जांच किस बात की होगी ?

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

इस घटना से कुछ दिन पूर्व एक बस इसी थाने के अन्तर्गत लूटी गयी जिसमें आगरे से आये हुए एक एम० पी० के कपड़े उतरवा लिये गये थे ?

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है, मगर इस घटना से इसका क्या ताल्लुक है ?

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

इस घटना के तुरन्त बाद ही एक ठेला लूटा गया उसमें कितना माल गया, क्या मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिस समय बस लूट रहे थे उसी समय एक ठेला भी आ गया जिसको भी लूटा गया। इस तरह से कुल मिला कर २,१६१ रु० का माल गया।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी है तो क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि इस रास्ते से जो बस आती हैं उनके यात्रियों की सुरक्षा के लिये पुलिस का प्रबन्ध बस में कर दिया जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सीमित पुलिस को देखते हुए हर रास्ते पर पुलिस का प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है।

(२ सितम्बर, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

बरेली के विस्फोट में पाकिस्तानी की मृत्यु

*१—श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि शहर बरेली में सब्जी मंडी-कुतुबखाने के पास एक आतिशबाज की दूकान में भयंकर बम-विस्फोट ५ व ६ मई, १९६५ को रात्रि हुआ जिसमें दो व्यक्ति मर गये वा कई घायल हुए ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सत्य है कि दिनांक ५/६ मई, १९६५ की रात्रि में लगभग १० बजकर ४५ मिनट पर सब्जी मंडी कुतुबखाना, बरेली शहर स्थित श्री मकबूल हुसेन आतिशबाज की दूकान में एक जोर का विस्फोट हुआ जिसके फलस्वरूप टीन की छत टुकड़े-टुकड़े हो गई, उसके लकड़ी के ढाँचे में आग लग गई और दो व्यक्ति घायल हुए। इनमें से एक तुरन्त मर गया तथा दूसरा चिकित्सालय में मर गया। इसके अतिरिक्त और किसी को चोट नहीं आई। मृतकों में एक का नाम श्री सफदर अली था जो श्री मकबूल हुसेन आतिशबाज का भाई था तथा दूसरे का नाम श्री बन्ने था जो श्री मकबूल हुसेन आतिशबाज का नौकर था। घटना की जांच से तथा अब तक के अनुसन्धान से यह ज्ञात हुआ कि विस्फोट आतिशबाजी की वस्तुयें बनाते समय आतिशबाजी की सामग्री से हुआ।

*२—श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि मृत व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी नागरिक भी था जो बम निर्माण कर रहा था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सत्य है कि मृतकों में से श्री सफदर अली जो श्री मकबूल हुसेन आतिशबाज का भाई, था, पाकिस्तानी नागरिक था। किन्तु अब तक के अनुसंधान से यह तय नहीं हो पाया है कि वह कोई बम बना रहा था।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि इसके अतिरिक्त और किसी को चोट नहीं आयी। तो कितने व्यक्ति उस समय वहां और उपस्थित थे जब यह कांड हुआ ? क्या उनमें मकबूल हुसैन भी था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसकी मैजिस्ट्रेट ने जांच की और उन्होंने यह लिखा है कि मकबूल हुसैन उस समय मौजूद नहीं था। केवल वही दो सज्जन वहां पर छत पर थे और दोनों इससे चोटिल हुए।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि वहां जो विस्फोटक द्रव्य प्राप्त हुआ उसका कोई उन्होंने केमिकल एनेलेसिस कराया है कि जिसके आधार पर उन्होंने यह सूचना दी है कि वहां आतिशबाजी की सामग्री से विस्फोट हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने यह कहा था कि अनुसंधान विभाग से यह तय हो गया है कि वह कोई बम नहीं बना रहे थे लेकिन कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल कर रहे थे, अनुसंधान विभाग ने इसकी रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह जानते हुए कि प्रदेश में ऐसी विस्फोटक घटनायें हो रही हैं जैसे उतरौला, बदायूं बरेली, फैजाबाद आदि में और मुझे भी विश्वस्त रूप से ऐसा समाचार मिला है कि यह सब एक ऐसा षड़यंत्र है कि उपद्रव किये जायं, चीजें विध्वंस की जायं, तो सरकार इसको रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जब ऐसी सूचना आती है तो उसके लिये उचित प्रबन्ध किया जाता है। जैसा अभी बतलाया अनुसंधान विभाग ने कहा है कि कोई बम नहीं बन रहा था। आतिशबाजी में कौन-सा

विशेष कैमिकल इस्तेमाल हो रहा था जिससे आग लग गयी, उसका पता नहीं चल पाया है। दो आदमी उसे बना रहे थे।

श्री ब्रह्मदत्त माथर--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी नागरिक मर गया वह कब से हिन्दुस्तान में रह रहा था और क्या यह सत्य है कि उसकी विसा की तारीख खत्म हो चुकी थी और गलत तौर पर उसके भाई और आसपास के लोग उसे छिपाये हुए थे और उसको इस काम में सहायता दे रहे थे?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह सही है कि वह १९५७ से भारतवर्ष में रह रहा था। उसके ऊपर फारेनर्स ऐक्ट का मुकदमा चल रहा था लेकिन उस पर उसे स्टे मिल गया था। ६४ में उसके ऊपर जैसे ही स्टे आर्डर खत्म हुआ, फिर से मुकदमा चलाया जा रहा था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो सामान पकड़ा गया वह बम बनाने का सामान नहीं था, तो जब बम बनाने का सामान नहीं था तो अनुसंधान में एक वर्ष के आसपास कैसे लग गया ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बताया है कि केमिकल रिपोर्ट उनके पास नहीं आई है।

श्री उग्रसेन--

यह रिपोर्ट इतने दिन तक न आने का कारण क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

वह लोग जांच कर रहे हैं। जांच करके बतलायेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

इस बात को देखते हुए कि इस प्रकार की घटनायें बढ़ती जा रही हैं और देश पर पाकिस्तान का हमला भी हो चुका है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का प्रयास करेंगे कि जिन लोगों को आतिशबाजी का लाइसेंस दिया जाय उसके पहले यह जांच कर ली जाय कि उनका कोई रिश्तेदार तो पाकिस्तान में नहीं है जो यहां आ कर बम बनवाने लग जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह सुझाव तो अच्छा मालूम होता है। इस पर विचार किया जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

जब इस तरह का विस्फोट हुआ और पुलिस वहां पहुंची तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस ने गिरफ्तारियां कीं या नहीं कीं और पुलिस किस निर्णय पर पहुंची कि वहां बम बनाने की सामग्री थी या नहीं थी।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने निवेदन किया कि इसमें जिलाधीश ने तुरन्त मैजिस्ट्रेट को आर्डर दे दिया था और एस० डी० एम० ने उसकी इंक्वायरी की।

श्री अध्यक्ष--

वह जानना चाहते हैं कि पुलिस इस परिणाम पर पहुंची या नहीं कि वहां बम बनाया जा रहा था।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि बम नहीं बन रहा था लेकिन कौन सा खास एक्सप्लोसिव था इसका पता तभी चलेगा जब कैमिकल रिपोर्ट आ जायगी ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा मतलब यह है कि किसी ने इकबाल किया या नहीं ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि बरेली पाकिस्तानी जासूसों का अड्डा है और वहां आतिशबाजी की दूकानों में रहकर बम वगैरा बनाने का वे काम करते हैं, इसकी जांच करायंगे और आतिशबाजी की दूकानों पर कड़ी निगरानी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि इस पर ध्यान रखेगें ।

श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि संकटकालीन स्थिति को देखते हुए आतिशबाजी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो माननीय श्रीपालसिंह जी ने कह दिया है ।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि कैमिकल एक्जामिनेशन की रिपोर्ट नहीं आई है और यह भी कहा है कि वहां बम नहीं बनाया जा रहा था । मैं जानना चाहता हूं कि आतिशबाजी छूटने से छत उड़ गई और क्या पोस्ट मार्टम हुआ, किस ने जांच की और उसका क्या नाम है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, पोस्ट मार्टम में यह बताया गया है कि उंगलियां जली हुई पाई गयीं जिससे की मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां कुछ बन रहा था और आतिशबाजी के लाइसेंस के खिलाफ बन रहा था । सिटी मजिस्ट्रेट, श्री मकरंदसिंह ने जांच की ।

श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

क्या पोस्टमार्टम में कोई सूचना है कि जख्म आरपार हो गया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, जब ५/६ मई के आसपास रन के कच्छ का झगड़ा चल रहा था उस समय सहारनपुर तथा अन्य जगहों पर इस तरह के विस्फोट हुए और हरएक विस्फोट में पाकिस्तानियों का हाथ था । सहारनपुर में नहर के पुल के नीचे कुछ बन रहा था उसका विस्फोट हुआ । एक आदमी अस्पताल में मरा, बाकी लोग भाग गये । क्या सरकार ने इसकी जांच की कि जितने विस्फोट हुए हैं उनमें पाकिस्तानियों का हाथ था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है ।

*३—श्री लखपतराम शर्मा—

[१७ अगस्त, १९६५ को उत्तर दिया गया।]

पुलिस लाइन झांसी में ट्रक्स

*४—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगेकि पुलिस लाइन, झांसी में कितनी जीप, ट्रक व ठेले सरकारी कार्य हेतु हैं और जो ठेले, जीप, ट्रक मोटरें कार्य कर रही हैं वे किस-किस माडेल की हैं व क्या यह भी सत्य है कि पुरानी होने के कारण अक्सर सरकारी कार्यों में बाधायें पड़ती हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

पुलिस लाइन, झांसी में २ ट्रक क्रमशः १९५६ व १९६४ माडल, २ जीप १९५३ व १९५८ माडल, ३ पिकअप १९४८ व १९६१ माडल तथा एक स्टुडी बस १९४७ माडल की है। यह सत्य है कि कुछ गाड़ियां पुरानी होने के कारण कभी-कभी सरकारी कार्यों में बाधा पड़ती है।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि झांसी का पूरा इलाका मध्य प्रदेश से मिला हुआ है और आये दिन डकैती, राहजनी वगैरा होती रहती है और पुलिस की गाड़ियां १९५३ की हैं, वे इतनी खराब हो गई हैं कि पुलिस अगर डाकुओं को पकड़न जाती है तो रास्ते में फेल हो जाती हैं, क्या सरकार इनका जल्दी सुधार करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि गाड़ी बहुत पुरानी हैं और काम में रुकावट पड़ती है। इसलिये ४० लाख रुपये का प्राविधान इनको बदलने के लिये किया गया है और शीघ्र ही उनको बदलने का प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ४० लाख रुपया स्वीकार किया गया है पुलिस की गाड़ियों को बदलन क लिये उसमें से झांसी के लिये कितना रुपया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, अलग अलग नहीं मालूम।

झांसी जिले में अग्रेजों का कब्रिस्तान

*५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह यह सत्य है कि झाँसी में फूटे दरवाजे के बाहर रानी लक्ष्मीबाई के समय के अंग्रेजों से हुए युद्ध के शिलालेख सहित एक बगीचे का द्वार ब्रिटिश समय से अब तक बन्द है और प्रवेश पर दंडित किया जाना लिखा है ? यदि हां, तो उक्त बगीचे का प्रवेश द्वार आज भी हिन्दुस्तानियों क लिये बन्द रहने के क्या कारण ह व बगीचे के अन्दर शिलालेखों में किस प्रकार के लेख हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

झांसी के फूटे दरवाजे के बाहर एक बगीचे में अंग्रेजों का कब्रिस्तान है। सन् १९६२ से इसमें कोई ताला नहीं लगा है। बगीचे को नुक्सान से बचाने के लिये द्वार पर एक बोल्ट लगा है। प्रवेश द्वार पर कोई लेख प्रवेश पर दंडित किये जाने का नहीं है तथा प्रातः आसपास के

लोग बगीचे में बर्जिश आदि करते हैं। बगीचे के अन्दर एक पत्थर का मठ सा बना हुआ है जिस पर अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है:—

"Erected by British Government. The persons who were murdered at Jhansi in June, 1857 and whose names are recorded within A. D. 1862."

श्री अध्यक्ष—

अंग्रेजी का हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये।

डाक्टर सीताराम—

वे व्यक्ति जो झांसी में १८५७ में मारे गये, और उनके नाम १८६२ में रेकार्ड हुए। उनकी यादगार में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बनाया।

श्री लखपतराम शर्मा—

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि १९६२ से प्रमुख द्वार पर कोई ताला नहीं था, १९४७ से १९६२ तक ताला रहा। मेरी सूचना तो मंत्री जी ने माना है। उसमें लिखा हुआ है कि जो हिन्दुस्तानी प्रवेश करेगा उसको दंड दिया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि १९४७ से १९६२ तक इस तरह का अंग्रेजों के कब्रिस्तान पर दरवाजे पर ताला लगाने का क्या कारण था ?

डाक्टर सीताराम—

जैसी कि जिलाधीश ने रिपोर्ट भेजी है उसके अनुसार बताया है। १९४७ से १९६२ तक ताला लगा था या नहीं, इसके बारे में इत्तला नहीं है।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी ने बताया कि जो अंग्रेज १८५७ की क्रांति में मारे गये, १८६२ में उनकी यादगार बनवा दी गयी। तो जो अपने लोग मारे गये झाँसी में घटनास्थल पर, मंत्री जी ने उनके लिए कोई यादगार बनवाई है ?

डाक्टर सीताराम—

लक्ष्मीबाई का तो बना ही है। हमारे विभाग का जहां तक संबंध है उसमें पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत १८५७ के पहले जो मानूमेंट्स हैं वह सब आते हैं। १८५७ के बाद की जो बातें ऐतिहासिक महत्ता की हैं, वह हमारे विभाग म नहीं हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

१८५७ के गदर का इतिहास १८६२ में लिखा गया। शिलालेख जिस पर लेख लिखा हुआ है, उसमें लड़ाई का इतिहास दिया हुआ है, उसमें क्या-क्या मुख्य बातें लिखी हुई हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जिलाधीश से जो रिपोर्ट आयी है उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। अन्य कोई बात नहीं है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी इस बात की कोशिश करेंगे कि वह दरवाजा खोल दिया जाय ताकि हम लोग जा सकें और उसकी सराहना कर सकें ?

डाक्टर सीताराम—

१९६२ में ब्रिटिश हाई कमीशन ने भारत सरकार को सौंप दिया है। मगर माननीय सदस्य की मांग है तो मैं प्रान्त के पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भेज कर उसके संबंध में जांच करवा लूंगा। अगर वह पुरातत्व की महत्ता की बात हुई तो उसको सरकार लेने की चेष्टा करेगी।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी झांसी में जिस शिलालेख की चर्चा हुई वह आजादी की लड़ाई के खिलाफ लड़ने वालों के स्मारक रूप में है उसको नेस्तनाबूद करके उस स्थान पर १८५७ में आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी की है उनका स्मारक बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संभव नहीं है, क्योंकि वह कब्रिस्तान है और मरे हुये व्यक्तियों की जो कब्रें बनाई गयी हैं, उन्हें क्यों मिटाया जाये, यह कार्य ठीक नहीं प्रतीत होता है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

यह जो अंग्रेजों का कब्रिस्तान है जिसे अब ब्रिटिश हाई कमीशन ने भारत सरकार को दे दिया है, उस कब्रिस्तान के रख-रखाव पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या खर्च कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--

यू० पी० सरकार कुछ भी नहीं खर्च कर रही है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि कब्रों का हटाया जाना ठीक नहीं प्रतीत होता है, तो क्या माननीय मंत्री जी जानकारी है कि यह जिस स्थान पर पत्थर लगा हुआ है, वहां पर कब्र नहीं है, बल्कि यादगार केवल बनाई गई है ? अतः उसे हटाकर उस स्थान पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की यादगार का बोर्ड लगाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

डाक्टर सीताराम--

जिलाधीश द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गयी है उस रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि १८५७ की क्रांति के समय बहुत से अंग्रेजों को मारकर एक बावली यानी कुवें में डाल दिया गया था और उसी बावली के ऊपर उनकी यादगार के रूप में बोर्ड लगाया गया था । उसके ऊपर स्मारक बना हुआ है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

अंग्रेजों, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, वे हमारे विरोधी हैं, हमें उनकी कब्र को खत्म कर देना चाहिये ।

श्री लखपतराम शर्मा--

माननीय सदस्यों ने कुछ उसकी जानकारी न होने से प्रश्न किये उससे मुझे तकलीफ हुई । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शिलालेख लगा हुआ है उसमें इस प्रकार का वर्णन है कि महारानी झाँसी के जमाने में उनके वीर भारतीय सेनानियों ने किस तरह से अंग्रेजों का कत्ले-आम किया था ? तो उसमें भारतियों के वीरता के इतिहास का वर्णन है और क्या यह सही है कि हिन्दुस्तानियों का प्रवेश वहां पर इसीलिये निषिद्ध था और केवल अंग्रेजों के लिये प्रवेश इसलिये खुला था कि वह वहां पर लिखा देख सकें कि अंग्रेजों के साथ भारतियों ने कैसा अत्याचार किया था जिससे उनका भी खून भारतियों के विरुद्ध खौल उठे ।

श्री अध्यक्ष--

आपका तो भाषण हो रहा है ।

श्री लखपतराम शर्मा--

नहीं, श्रीमन् प्रश्न यह है कि क्या यह मंत्री जी की जानकारी में है कि उस बगीचे के अन्दर जो शिलालेख है उनको सिर्फ अंग्रेजों को ब्रिटिशकाल में दिखाया जाता था और ब्रिटिशकाल में हिन्दुस्तानियों का प्रवेश इसलिये निषिद्ध था कि उसमें भारतियों की वीरता का वर्णन है और क्या अब उसे पुरातत्व विभाग में लेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

हिन्दुस्तानियों का प्रवेश निषिद्ध अवश्य था और शिलालेखों के बारे में सूचना की आवश्यकता है। जहां तक पुरातत्व विभाग में लेने की बात है, अभी मैंने प्रश्नोत्तर में बताया है पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भेजकर जांच कराने के बाद उसकी उपयोगिता पर विचार किया जायगा।

डिस्ट्रिक्ट स्टाफ आफिसर्स होम गार्ड के चुनाव में हरिजन

*६—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित), श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर) तथा श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, १९६४ में "स्टाफ आफिसर्स होमगार्ड" के ४८ पदों की पूर्ति के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें से कितने अभ्यर्थी हरिजनों सहित चुने गये हैं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां। डिस्ट्रिक्ट स्टाफ आफिसर्स होमगार्ड के ४८ अस्थायी पदों (जिनकी संख्या बाद में ४४ कर दी गई) के लिये कुल १८१७ प्रार्थना-पत्र आये, जिनमें ४४ व्यक्तियों को जिनमें ३ हरिजन भी शामिल हैं, चुना गया।

*७—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित), श्री रघुवीरसहाय कैथवार तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि "स्टाफ आफिसर्स होमगार्ड" के पदों पर कितनी नियुक्तियां ऐसी की गई हैं जो निर्धारित योग्यता से न्यून हैं तथा इनकी नियुक्ति का आधार क्या है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई। बाकी का प्रश्न नहीं उठता।

*८—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित), श्री रघुवीरसहाय कैथवार तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के लिये सुरक्षित उपरोक्त पदों के ९ स्थानों के लिए कितने हरिजन अभ्यर्थी चुने गये तथा उनमें से कितनों को नियुक्ति के आदेश दिये गये हैं और जो स्थान पूरे होने से शेष हैं उनकी पूर्ति कब तक की जायेगी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

केवल ३ चुने गये जिनको नियुक्ति के आदेश दिये जा चुके हैं। अब कोई स्थान रिक्त नहीं है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बराबर जोर दे रही है कि हरिजनों का संरक्षण पूरा किया जाये और सरकार ने ऐसे आदेश भी जारी कर दिये हैं। तो मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि क्या वह यह बतायेंगे कि स्टाफ आफिसर्स होमगार्ड के जो १८८७ प्रार्थना-पत्र आये, उनमें से कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र हैं और उनमें से कितने हरिजन और कौन-कौन इन्टरव्यू में बुलाये गये?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

१८१७ प्रार्थना-पत्र कुल आये, जिनमें से ६७७ के पास न्यूनतम योग्यता नहीं थी, उनको नहीं बुलाया गया। ११४४ प्रार्थना-पत्रों पर विचार हुआ, २७४ को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया और उनमें ये ८ हरिजन भी थे।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

श्री जाहिर सिंह, श्री एस० एम० माथुर, श्री एस० पी० श्रीवास्तव, श्री डी० बी० एल० पालीवाल, श्री सी० के० शर्मा तथा जे० एन० झा की ऊंचाई और सीना कम था, उनको नियुक्त कर लिया गया और जब कि पूर्ण योग्यता रखने वाले, बी० ए० पास भी उनमें थे और जिनका सीना भी पूरा था, उन हरिजनों को नहीं लिया गया, इसा क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, जो सूचना उपलब्ध है उसमें इसका तो संकेत नहीं है कि कौन लिया गया और कौन नहीं लिया गया, लेकिन जो लिये गये हैं उनमें से किसी का सीना छोटा नहीं था, जिनका सीना कम था उनको नहीं लिया गया है, यह मेरी सूचना है।

श्री उग्रसेन--

हरिजनों के कितने आवेदन-पत्र आये थे जिनमें से ८ को बुलाया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

कुल २४ हरिजन प्रार्थी थे।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--

भारतीय संविधान के अन्दर हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित हैं और उसी नीति के अनुसार सरकार काम भी करती है तो ४४ स्थानों में से ८ को बुलाया भी गया और उनको भी नहीं लिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसके लिए सेलेक्शन कमेटी थी और उसमें हरिजनों, पिछड़ी जातियों और राजनीतिक पीड़ितों के लिये १० परसेंट का वेटेज भी था लेकिन तब भी वे नहीं आये, अतः उनको नहीं लिया गया।

श्री गंगाप्रसाद--

इस कमेटी के कौन-कौन सदस्य थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसमें कुल अधिकारी थे। कौन-कौन थे, यह सूचना नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

जिन ६ व्यक्तियों के नाम श्री रघुवीर सहाय ने लिये है उनको सीना और कम योग्यता रखते हुये भी लिया गया है, क्या सरकार इसकी पुनः जांच करवायेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यदि लिखित सूचना दी जायगी तो जांच हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या हरिजनों के लिए १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं और उतने हरिजन नहीं मिल पाये, तो उन स्थानों को खाली रख कर पुनः विज्ञापन करा के हरिजनों को छाँटने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

विज्ञापन तो श्रीमन्, अखबार में निकाला गया, प्रार्थना-पत्र आये, न्यूनतम योग्यता से कम योग्यता वालों को नहीं बुलाया गया, जो न्यूनतम योग्यता रखते थे वे हरिजन थे और वे योग्यता के चुनाव में नहीं आ सके, तो क्या किया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैंने यह नहीं पूछा कि स्थान की पूर्ति क्यों नहीं हुई। मैंने तो यह पूछा है कि सरकार को खाली स्थानों को खाली रख कर हरिजन स्थानों को फिर से विज्ञापन कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आप का मतलब है कि जिनकी नियुक्ति हो गयी है उनको निकाल दिया जाय ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह भारतीय संविधान में है कि १८ प्रतिशत स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित रहेंगे। जब वह नहीं मिले १८ प्रतिशत, तो क्या उन सुरक्षित स्थानों को उतने दिनों तक खाली छोड़ देंगे और फिर से विज्ञापन कराकर उनको भरेंगे क्योंकि माननीय पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त जी ने यह कमेटी बैठाई थी और उस कमेटी में यह फैसला हुआ था कि अगर पूरे स्थान के लिये हरिजन न मिलें तो उन स्थानों को खाली रखा जाय और उन स्थानों की पूर्ति के लिये विज्ञापन निकाला जाय, यह सदन द्वारा माना हुआ सिद्धान्त है और उसके लिये आदेश भी प्रसारित हो चुके हैं, तो सरकार को उस आदेश को पालन कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इमर्जेंसी के समय में यह रिक्रूटमेंट किया गया। इसलिये यह समय नहीं था कि हम कोई स्थान उसका खाली रखते।

कला एवम् शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में लीथो प्रोसेस पाठ्यक्रम का पुनर्गठन

*९—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

यह सत्य है कि जो लखनऊ शहर में सरकार की तरफ से राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय चल रहा है उससे जो विद्यार्थी लीथो प्रोसेस फोटू मिकेनिकल की शिक्षा को उत्तीर्ण कर के निकले हैं उनको कहीं नौकरियां नहीं लगी हैं और वे सैकड़ों विद्यार्थी बेकार घूम रहे हैं क्योंकि निजी कार्य करने के लिये पैसा ही नहीं है ? यदि हां, तो ऐसी दशा में सरकार विचार करने की कृपा करेगी कि लीथो प्रोसेस की शिक्षा को समाप्त कर के लीथो ओफसेट फोटू मिकेनिकल की शिक्षा दी जाया करे जिससे कि भविष्य में नौकरियां लग सकें ? यदि हां, तो कब से ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। सैकड़ों विद्यार्थी तो जब तक इस पाठ्यक्रम को पास कर के भी नहीं निकले हैं किन्तु जहां तक ज्ञात है विगत वर्ष में जो ५ विद्यार्थी पास हुए थे, उन को नौकरी मिल गई है।

निजी कार्य करने के अतिरिक्त उन को फोटोग्राफी एवं किसी प्रेस में ब्लाक बनाने का कार्य आसानी से मिल सकता है। लीथोप्रोसेस के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन विचाराधीन है और अगले सत्र से पुनर्गठित पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगला सत्र कब से शुरू होगा ?

डाक्टर सीताराम--

अगली जुलाई से।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन जिन ५ विद्यार्थियों को नौकरी में लगने की बात कही जाती है, वह कहां पर नौकरी में लगे हैं ?

डाक्टर सीताराम--

इनमें एक तो रांची में काम कर रहे हैं। दूसरे किसी प्रेस में कलकत्ता में हैं। तीसरे इलाहाबाद में काम कर रहे हैं। चौथे संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में काम कर रहे हैं और पांचवें सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में काम कर रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी जो विद्यार्थी इस कला विद्यालय से सीख कर निकलते हैं उनको अपने व्यवसाय को ठीक करने के लिये उदारतापूर्वक ऋण मिल जाया करे, ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--

इसके लिये प्रतिबन्ध नहीं है। उद्योग विभाग को अगर वे प्रार्थनापत्र दें, तो विभाग उस पर कार्यवाही करेगा।

जरीफनगर थाने में पुलिस और डाकू दल के बीच कथित मुठभेड़

*१०--श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

क्या यह सत्य है कि बदायूं जिले के थाना जरीफनगर के मालपुरतेरा नामक ग्राम के पास बड़ी गंगा के किनारे जंगल में दिनांक १२ दिसम्बर, १९६३ की रात को पुलिस तथा डाकूदल के बीच मुठभेड़ हो गई तथा पुलिस के साथ क्षेत्र के कुछ आदमी भी थे जिनको कि असहलाहात के लाइसेंस प्राप्त थे ? यदि हां, तो उक्त मुठभेड़ का परिणाम क्या हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

१२-१२-१९६३ की रात्रि में पुलिस और डाकू दल के बीच कोई भुठभेड़ नहीं हुई।

१४-१२-१९६३ की रात्रि में थाना जरीफनगर के सेकेन्ड अफसर डकैती के एक केस में गये थे। जब वे एक लैंससदार के साथ जा रहे थे ग्राम मालपुर ततेरा के पास गंगा के किनारे जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिये। पुलिस के टोकने पर वे लोग अंधेरे में गंगा की कटरी में भाग गये।

*११—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या एस० पी० बदायूं को इस प्रकार की कोई शिकायत उपरोक्त लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा, जो कि मुठभेड़ के समय पुलिस के साथ थे, की गई कि घटना से दरोगा साहब भाग गये ? यदि हां, तो उन दरोगा जी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा उन दरोगा का क्या नाम है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस प्रकार की कोई शिकायत संबंधित लैसंसदार ने नहीं की। इस संबंध में दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उल्फतसिंह यादव—

मेरी सूचना को सही मानकर कि वहां पर दारोगा जी डकैती की इन्क्वायरी करने के लिये गये तो क्या पृथ्वीराजसिंह, इन्द्रपाल सिंह, और पान सिंह उनके साथ थे और पृथ्वीराज सिंह ने गोली चलाई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार पृथ्वीराजसिंह, लाइसेंसी उनके साथ थे। गोली चलाने की चर्चा इसमें कोई नहीं है ।

श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या पृथ्वीराजसिंह ने गोली चलायी ?

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना तो उनके पास नहीं है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

१२ सितम्बर को रात्रि में डाकुओं और पुलिस में मुठभेड़ हुई जिसमें वहां के दरोगा भाग गये और उस घटना को उन्होंने छिपाया। तो क्या इस घटना की जांच सरकार सी० आई० डी० द्वारा करायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

इस बात से तो वह इन्कार करते हैं ।

श्री होरीलाल यादव—

जब इस सवाल के सिलसिले में जानकारी करायी गयी तो उस सिलसिले में अधिकारियों ने क्या पृथ्वीराजसिंह से भी इंक्वायरी की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अधिकारियों की सूचना के आधार पर ही मैं कह रहा हूं कि १२ तारीख को कोई मुठभेड़ नहीं हुई। १४ तारीख को कुछ बदमाश दिखे लेकिन उनको जैसे ही टोका गया, वे भाग गये। इसलिये दरोगा के भागने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

दहगवां में गो-हत्या

*१२—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसकी कोई सूचना शासन को है कि वर्ष १९६४ में जिला बदायूं, थाना जरीफनगर के ग्राम दहगवां में कोई गो-कशी की घटना हुई थी ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या सरकार बतायेगी कि (१) कितने व्यक्ति गो-कशी में गिरफ्तार किये गये, (२) कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और (३) अब तक पूरे केस में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ग्राम दहगवां, थाना जरीफनगर, जिला बदायूं में ३–५–६४ को गो-कशी की एक घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में ३ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये और सबके विरुद्ध कार्यवाही की गई।

उनके विरुद्ध धारा ५/८ गो-बध ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग–पत्र न्यायालय को भेजा गया। न्यायालय द्वारा प्रत्येक को तीन–तीन माह की कठोर कारावास की सजा मिली।

श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या इन तीन व्यक्तियों के अलावा इस्माइल नाम का व्यक्ति भी था जिसको ५०० रुपया लेकर छोड़ दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस्माइल नाम के व्यक्ति को ५०० रुपया लेकर छोड़ दिया गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

*१३–१५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

[हटा दिये गये।]

बदायूं में धमाका

*१६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा) तथा श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दिनांक २९ अप्रैल, १९६५ को प्रातः लगभग ९ बजे बदायूं नगर में धमाके की दो भीषण आवाजें हुई जिससे कि बम विस्फोट होने का सन्देह होता है ? यदि हां, तो वहां के अधिकारियों ने अब तक जांच का क्या प्रयास किया तथा वास्तविकता क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां। दिनांक २९–४–६५ को लगभग ९ बजे दिन में बदायूं नगर में धमाके की आवाज सुनी गयी थी। जांच से पता चला कि उक्त आवाज बम विस्फोट की नहीं थी।

श्री मतोलासिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि धमाका क्या था, उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

पुलिस कप्तान ने सूचना दी है कि आवाज हुई और सुरक्षा के प्रयासों के कारण हुई। इस से अधिक बताना जनहित में न होगा।

श्री मतोलासिंह—

वास्तकिता क्या थी ? वह बम था, गोला था या क्या था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने अभी निवेदन किया था कि पुलिस कप्तान ने लिखा है सुरक्षा के प्रयास में किसी चीज की आवाज थी। इससे अधिक बताना जनहित में न होगा।

*१७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[हटा दिया गया।]

सतर्कता आयोग के विचाराधीन शिकायतें

*१८—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त तक विजिलेन्स कमीशन, उत्तर प्रदेश ने अब तक कितने आफिसर्स को सजा देने की सिफारिश सरकार को की और कितनी शिकायतें उस कमीशन के सामने अभी विचाराधीन हैं? क्या सरकार उन मामलों की एक सूची सदन की मेज पर रक्खेगी?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

जलाई १९६५ के अन्त तक विजिलेन्स कमीशन को ९४ शिकायतें जांच के लिये भेजी गईं। उनमें से १७ शिकायतों के संबंध में जांच पूरी हो गई है। इन १७ मामलों में से १० मामले बन्द कर दिये गये। ९ मामले तो इसलिये बन्द किये गये कि शिकायतें या तो निराधार पाई गईं या साबित न हो सकीं और एक मामला इसलिये बन्द किया गया कि जिस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत थी उसने त्यागपत्र दे दिया। सात मामले सरकार के विचाराधीन हैं। इससे अधिक सूचना देना जन-हित में न होगा।

श्री मुहम्मद रफी खां—

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जब इस विजिलेंस कमीशन को इस सूबे में बहुत कुछ करना है और इसे आप को बहुत असरदार बनाना है तो क्या इस को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या बोर्ड आफ हाईस्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एक्जामिनेशन की तरह का एक आटोनामस बाडी बनाने पर सरकार विचार करेगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस बारे में आप एक बार विचार कर चुके हैं। बार-बार ऐसी चीजें तो होती नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस एक ने इस्तीफा दे दिया उसके विरुद्ध जांच समाप्त कर दी गयी तो क्या जांच में उसको अधिक दंड देने की सीमा नहीं थी, त्याग-पत्र से ही क्यों संतोष कर लिया गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह इसलिये कि जिस आदमी ने त्याग-पत्र दे दिया तो यह समझा गया कि उसके खिलाफ विशेष कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बतालायेंगे कि क्या एक सीमा मुकर्रर कर दी गयी है विजिलेंस कमीशन द्वारा कि अगर कोई त्याग-पत्र दे दे तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसा नहीं है। सरकार, जो रिपोर्ट आती है उस पर उसको जांच करके, तोल करके निश्चय करती है। जब इस मामले में निश्चय कर लिया तो उसको खत्म कर दिया।

श्री मुहम्मद रफी खां--

आज जो पब्लिक महसूस कर रही है कि पोलिटिकल आदमियों में भी करप्शन है तो क्या हमारी जांच भी इस विजिलेंस कमीशन को सुपुर्द करने जा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जो विधेयक आपने पास किया था उसमें लिख दिया था कि एम० एल० एज० के मामले उनके पास नहीं भेजेंगे ।

यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के लेखा-जोखा में गड़बड़ी

*१९--श्री उग्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि "भारत प्रदर्शनी १९५८" के संबंध में यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के कैशमेमो बुक संख्या २४० तथा २४१ में कितने रुपये का गबन पाया गया था तथा इस संबंध में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स का कितना रुपया टी० ए०, डी० ए० के रूप में खर्च हुआ था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

भारत प्रदर्शनी, १९५८ के संबंध में यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के कैशमेमों बुक संख्या २४१ में ०.७९ पैसे का गबन पाया गया था तथा कैशमेमों बुक संख्या २४० में कोई गबन नहीं पाया गया था। गबन के केस के संबंध में टी० ए० व डी० ए० पर ७८४ रु० ७३ पैसे खर्च हुआ था।

*२०--श्री उग्रसेन--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स ऋशीकेस हरिद्वार में भी कोई गबन हो गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता।

*२१--श्री उग्रसेन--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि स्पेशल मैनेजर, गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स की सेवायें हैन्डीक्राफ्ट्स के पहले कहां की हैं तथा इस हैन्डीक्रैफ्ट्स में कब से कार्य संलग्न है और उन्हें अब तक हैन्डीक्रैफ्ट्स के कार्यकाल में कितना धन टी० ए०, डी० ए० के रूप में मिला है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

स्पेशल मैनेजर, गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स की सेवायें हैन्डीक्राफ्ट्स से पहले रजिस्ट्रेशन विभाग की हैं तथा हैन्डीक्राफ्टस में ७ मार्च, १९६४ से कार्य संलग्न है। उनको ३० जून, १९६५ तक टी० ए०, डी० ए० के रूप में ३००९ रु० ३७ पैसे मिले हैं।

श्री उग्रसेन--

मंत्री जी ने बताया कि कैश बुक २४१ में ७९ पैसे की कमी थी और २४० में कुछ नहीं है, तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जब पहली शिकायत में ७८४.७३ पैसे की कमी थी जो कि ७९ पैसे रह गयी तो पहली शिकायत कितने रुपये के गबन की मिली ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसमें शिकायत यह मिली थी कि वहां गबन है, कितने का है यह सूचना नहीं मिली थी। जब जांच करायी गयी तो गबन भी मिला और शार्टेज भी कुछ

मिली २७६५.९३ पैसे की शार्टेज थी। काफी रुपया वसूल हो चुका है ४६९ रुपया बाकी रह गया है। मेरे पास कंफर्म इत्तला नहीं है, लेकिन अदालत ने उस आदमी को छोड़ दिया है, देहली में उस पर मुकदमा चला था।

श्री उग्रसेन—

अब पता चला कि २,७६५ रुपये का गबन नहीं था, कमी थी। उसके लिये मुकदमा चलाया गया। तो उसकी वसूली के लिये आदेश कब दिये गये और कितना रुपया वसूल हो गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जो कमी होती है उसपर मुकदमा नहीं चलता, क्योंकि मुलाजिमों से जो कमी होती है उसको वसूल करने के वास्ते ही कोशिश की जाती है उसमें बद-दयानती नहीं होती है अगर हिसाब के बीच में कमी हो जाय। कोशिश करते हैं कि रुपया तनख्वाह में से काट लें। पहले ही मैंने निवेदन किया था कि हम काफी रुपया वसूल कर चुके हैं, ४६९ रुपये बाकी रह गये हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कमी कब-कब की थी, और अगर यह बदनीयती नहीं थी तो क्या थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कितने समय की बात है, यह सूचना इस समय नहीं है। हिसाब की जांच तो साल भर बाद होती है और तभी पता चलता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

रोजाना जब हिसाब बनता है तो बकाया निकाली जाती है। यह गड़बड़ी रोजाना हिसाब में हुई होगी जभी तो यह रकम इतनी बढ़ गयी। तो ४२१, ४२२ में चालान करके गबन के केस में इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह कमी रुपये की नहीं, स्टाक की है। एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन रोज नहीं होता, जब वह होगा तभी वह कमी मालूम होगी। इसके लिये हम कोशिश करते हैं कि जो मुलाजिम हैं उनसे उसको वसूल करें।

श्री उग्रसेन—

भारतीय प्रदर्शनी के लिये जो सामान खरीदा गया उसमें जो २,७६५ रुपये की गड़बड़ी है वह इसलिये है कि उतने रुपये का सामान खरीदा नहीं गया और फर्जी दिखा दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सूचना मेरे पास नहीं है कि क्या-क्या सामान खरीदा गया। लेकिन जब ५० हजार के करीब की बिक्री हुई तो काफी सामान खरीदा गया होगा।

श्री उग्रसेन—

जो इसके स्पेशल मैनेजर हैं उनको एक साल में ३ हजार ९३५ रुपये ३७ पैसे भत्ते का मिला है जब कि इतना भत्ता माननीय मुख्य मंत्री को भी नहीं मिलता होगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि इनका क्या-क्या काम था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

हैन्डीक्राफ्टस की शाप्स देश में जगह-जगह पर हैं। स्पेशल मैनेजर का काम है कि वह जगह-जगह जाकर उसकी बिक्री का प्रचार करे, उन सबके नियन्त्रण को उसको देखना पड़ता है, बिक्री बढ़ाने का प्रबन्ध करना पड़ता है।

पी० ए० सी० के अधिकार में बिछिया ग्राम की जमीन

*२२—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव बिछिया, जिला गोरखपुर के किसानों कीभूमि पर पी० ए० सी० तथा पूर्वोत्तर रेलवे के लेबर विभाग ने अर्से से अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है और उस जमीन का लगान भी नहीं देते ? क्या किसानों की मांग है कि कूड़ाघाट के पास इन कार्यों के लिये जमीन ली जावे ? यदि हां, तो वहां की जमीन न लेने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

पूर्वोत्तर रेलवे के लेबर विभाग से सरकार का संबंध नहीं है। जहां तक पी० ए०सी० का संबंध है कथित भूमि इस समय वैधानिक रूप से पुलिस विभाग की है। कूड़ाघाट की ओर एयर फोर्स व रेलवे का विस्तार होने के कारण कोई स्थान सुलभ नहीं है कि पी० ए० सी० के कार्यों के लिये लिया जा सके।

श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कितनी जमीनपी० ए० सी० ने ली और कबसे उसका उस पर वैधानिक अधिकार है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह जमीन २.३४ एकड़ है। इसके बराबर की जमीन पी० ए० सी० की थी। पी० ए० सी० ने जब इस पर कब्जा किया तो इसे मालूम नहीं था कि यह जमीन इनकी है। इस पर मोटर गैराज वगैरह बना लिया गया। इसलिये इसके बाद ४,००० रुपये मुआवजे के दे दिये गये। अब कोई विवाद नहीं है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, यह जमीन किसानों की है और पी० ए० सी० ने अब तक उनको मुआवजा नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने अर्से से यह जमीन पी० ए० सी० के कब्जे में है, उसका वैधानिक अधिकार कब हुआ, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन् यह सूचना मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि किस तारीख को कब्जा किया था लेकिन सन् १९६३ में लैंड ऐक्वीजीशन की कार्यवाही कर ली गई थी और मई, १९६५ में समाप्त हो गई है और मुआवजा दे दिया गया है।

अमीनाबाद में विदेशी माल की कथित बरामदगी

*२३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि जून, १९६५ के प्रथम सप्ताह में लखनऊ स्थित अमीनाबाद बाजार में दूकानों की तलाशी लेने से बहुत सी दूकानों पर

नोट—तारांकित प्रश्न २२ के प्रश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

विदेशों से चोरी द्वारा आया हुआ माल बरामद हुआ है? यदि हां, तो किस-किस दूकान से कितना-कितना विदेशी माल बरामद किया गया तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जून, १९६५ में किसी भी तिथि को अमीनाबाद बाजार में स्थित दूकानों से स्थानीय पुलिस द्वारा इस प्रकार का कोई माल नहीं बरामद किया गया।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

नागरिक शैक्षिक संकटकालीन सैना

*२४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने किसी नागरिक शैक्षिक संकट-कालीन सेना के गठन का निश्चय किया है ? यदि हां, तो (अ) इसकी पूरी रूप-रेखा क्या है ? (ब) अनुमानतः कितना धन प्रति वर्ष व्यय होगा ? और (स) नागरिकों की भर्ती करने का आधार क्या होगा ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जी नहीं।

हाथरस क्षेत्र में अपराधों में बढ़ती

*२५—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस क्षेत्र से सम्बन्धित प्रत्येक थाने में पिछले तीनों महीनों में अलग-अलग कितनी हत्या, डकैती, चोरी और राहजनी के केस दर्ज हुये और उनमें से कितने केस स्पेशल रिपोर्ट के दर्ज हुये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९८० पर)

*२६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रिपोर्टों के आधार पर अभी कितने अभि-युक्त गिरफ्तार नहीं हो सके हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी अब शेष नहीं है।

*२७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना हाथरस में चोरी और डकैतियों के बढ़ने का क्या कारण है जबकि देहातों से नाज की आमद प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ? क्या शहर कोतवाल कभी स्वयं भी गश्त में निकलते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अपराधों के बढ़ने का कारण और कारणों के अतिरिक्त यह भी प्रतीत होता है कि उस क्षेत्र में एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स काफी संख्या में रहते हैं। क्षेत्र में नियंत्रण रखने के लिये पुलिस प्रयत्नशील है। शहर कोतवाल हाथरस भी गश्त में जाते रहते हैं।

श्री राजबख्श सिंह, इंचार्ज, थाना चौक, लखनऊ

*२८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या गृह मंत्री तारांकित प्र० सं० १०, दिनांक ११ मार्च, १९६५ तथा तारांकित प्रश्न संख्या संख्या ९७, दिनांक २९ अप्रैल, १९६५ के उत्तरों के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि जब श्री राजबख्श सिंह इन्चार्ज थाना, चौक, लखनऊ की कुल सेवा १५ वर्ष से कुछ ऊपर है और उन्हें १२ वर्ष के ऊपर लखनऊ जिले में हो गये हैं, अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री राज बख्श सिंह के स्थानान्तरण का विषय विचाराधीन है।

ए० डी० एम० (ई०), सहारनपुर

*२९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर में ए० डी० एम० (ई) का तबादला जून, १९६५ में हुआ है? यदि हां, तो किन कारणों से नये ए० डी० एम० (ई) को तुरन्त १ १/२ महीने की छुट्टी पर जाने की अनुमति दे दी गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। नये ए० डी० एम० (ई०) को कोई छुट्टी नहीं दी गई है।

धर्मादेवी व पांचू की पुलिस अधीक्षक, बस्ती को शिकायत

*३०—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि जिला बस्ती थाना धनघटा के अन्तर्गत गांव शिवबखरी की धर्मादेवी नामक महिला को इसी गांव का भगेलू नाम का एक गुन्डा पुलिस की देख-रेख में समय-समय पर परेशान कर रहा है और जनवरी, १९६५ में उस पर हाथ भी छोड़ा था जिसकी रिपोर्ट पुलिस को की है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस आशय का एक प्रार्थना पत्र श्रीमती धर्मादेवी ने १८-६-६५ को पुलिस अधीक्षक, बस्ती को दिया था। जांच करने पर यह मालूम हुआ कि न तो भगेलू गुन्डा है न उसने पुलिस की देख-रेख में इस स्त्री को परेशान ही किया है। प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती धर्मा देवी ने जनवरी, ६५ में कथित मारपीट की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज कराई।

*३१—श्री श्यामलाल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती, थाना दुधारा गांव सिवकटारी के एक रामजीत अहीर के खिलाफ थानाध्यक्ष दुधारा ने १८२ की कार्यवाही गत २७ नवम्बर, १९६४ को की थी? यदि हां, तो वह मामला क्या है और अदालत में अभी तक न लाये जाने का क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री रामजीत यादव ग्राम सेवा कटारी, थाना दुधारा ने २-११-६४ को खलियान में पुवाल फूकें जाने की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी जिस पर एक मुकदमा धारा ४३५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज कर विवेचना की गई और अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई। इसके पश्चात् धारा १८२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर विचार किया गया परन्तु यह ज्ञात हुआ कि ऐसी कार्यवाही करना कानूनी आधार पर संभव नहीं है।

*३२—श्री श्यामलाल—

क्या गृह मन्त्री को मालूम है कि जिला बस्ती थाना धनघटा के अन्तर्गत शिवबखरी नामक ग्राम के एक रुदल सिंह हैं जो मिलिट्री की कमीज और बूट पहिन कर क्षेत्र के गरीबों को बराबर आतंकित किया करता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र श्री पांचू पासी ग्राम शिवबखरी ने पुलिस अधीक्षक बस्ती को भिजवाया था लेकिन जांच से आरोप असत्य पाये गये ।

टांडा व बहरौली ग्राम के निकट गिराये गये गोले

*३३—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर), श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद) तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९६५ के तीसरे सप्ताह में गंगागंज रेलवे स्टेशन के पास जिला रायबरेली में व फतेहपुर जिला में बिन्दकी थाना के अन्तर्गत बहरौली ग्राम में रेलवे लाइन व जी० टी० रोड के बीच में हवाई जहाज द्वारा ३–४ मन वजनी बम गिराये गये ? यदि हां, तो उक्त बमों से क्या क्षति पहुंची तथा उक्त बमों के सम्बन्ध में सरकारी जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

२१–२२ जून, १९६५ की रात्रि में गंगागंज रेलवे स्टेशन से २ किलोमीटर दूर पूर्व की ओर रेलवे लाइन के किनारे टांडा ग्राम, जिला रायबरेली के निकट लोहे की एक गोलाकार वस्तु जिसका व्यास लगभग २ मीटर तथा वजन करीब ८ मन था और जो अन्दर से खोखली थी, पायी गई । जांच जारी है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह वस्तु क्या थी और यह हवाई जहाज से गिरी थी अथवा नहीं । इस वस्तु से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई ।

२२ जून, १९६५ की सुबह ग्राम बहरौली, थाना बिन्दकी जिला फतेहपुर के पास भी एक खेत में लोहे की एक गोलाकार वस्तु जो लगभग दो ढाई मन के वजन की थी और खोखली थी, पायी गई । जांच तथा एयर फोर्स के अधिकारियों के निरीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकला कि यह बम का गोला न था बल्कि हवाई जहाज या किसी और मशीन का हिस्सा था । यह वस्तु हवाई जहाज से गिरी थी । जांच जारी है । उक्त वस्तु से किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची ।

फतेहगंज थाना में साम्प्रदायिक दंगा

*३४—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गृह मन्त्री को पता है कि दिनांक १६ जून, १९६५ को जिला बरेली के थाना फतेहगंज में कादरगंज पठेरा ग्राम में अफसर दोयम फतेहगंज की असावधानी से झगड़ा हो गया जिसमें एक आदमी मारा गया और अनेक जख्मी हुये ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी पूर्ण विवरण सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक १६–६–६५ को ग्राम पडेरा, थाना फतेहगंज में एक साम्प्रदायिक झगड़ा हो गया था जिसमें एक व्यक्ति मरा और कुछ व्यक्ति जख्मी हुए । घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना

फतेगंज पूर्वी पर धारा १४७, १४८, ३०७, ३०२ भा० दं० विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया है २७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं जांच अभी जारी है अतः घटना के तथ्यों के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है।

*३५--श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

[स्थानान्तरित किया गया।]

स्टेट राइफिल क्लब

*३६--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्टेट राइफिल क्लब कब से अपना काम शुरु कर देगा और उसके मुख्य कार्य क्या होंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

स्टेट रायफिल क्लब नाम की कोई संस्था नहीं बनी है। एक स्टेट राइफिल एसोशियेशन अवश्य कायम हुआ है जो एक प्राइवेट संस्था है और जिसका कार्यालय कसमंडा हाउस, पार्क रोड, लखनऊ पर स्थित है। इससे ज्यादा जानकारी सरकार के पास नहीं है।

मुरादाबाद जिले में गजटेड अफसर

*३७--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में कौन-कौन गजटेड आफिसर ऐसे हैं जिनको तीन साल से ज्यादा जिले में हो गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

निम्नांकित राजपत्रित अधिकारी मुरादाबाद जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं:--

श्री एच० सी० शर्मा, क्षेत्र विकास अधिकारी, जोया।
श्री एच० डी० गंगवार, क्षेत्र विकास अधिकारी, हसनपुर।
श्री आर० पी० सिंह, क्षेत्र विकास अधिकारी, सम्भल।
श्री के० बी० माथुर, क्षेत्र विकास अधिकारी, बहजोई।
श्री बी० डी० शर्मा, क्षेत्र विकास अधिकारी, चन्दौसी।
श्री ए० एस० विश्त, क्षेत्र विकास अधिकारी, असमौली।
श्री आर० सी० मल्होत्रा, क्षेत्र विकास अधिकारी, धनौरा।
श्री बी० एस० चौहान, क्षेत्र विकास अधिकारी, गजरौला।
श्री इश्तियाक बेग, क्षेत्र विकास अधिकारी, कांठ (छजलेट)।
श्री रमेश चन्द्र रस्तोगी, डिप्टी कलेक्टर, (अब डी० पी० ओ०)
श्री गंगा सरन हरित, स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर।
श्री चिरंजी लाल शर्मा, विद्यालय उपनिरीक्षक।
श्री एस० एस० नेगी, डिजाइन एक्सटेन्शन आफिसर (ब्रास-वेयर)।
श्री सत्य रंजन चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मंडल।
श्री हरिनारायण जलोटे, सहायक अभियन्ता, मैकेनिकल।

डा० एस० मित्तल, मलेरिया निरोधक,

अब जिला फैमिली प्लानिंग आफिसर-एवं-अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी ।

डा० एम० एस० कपूर, मेडिकल आफिसर इन्चार्ज जिला अस्पताल ।

डा० (श्रीमती) प्रेम कान्ति देवी अग्रवाल, महिला अस्पताल, चन्दौसी ।

डा० (श्रीमती) आशा कौशिक, रिजर्व ड्यूटी, विक्टोरिया जनाना अस्पताल, मुरादाबाद ।

श्री बी० एस० यादव, कमान्डेन्ट, स्पेशल पुलिस फोर्स ।

श्री शिवराज सिंह, सहायक कमांडेन्ट, सहायक स्पेशल पुलिस फोर्स ।

श्री डी० एस० तौलिया, कम्पनी कमान्डर ।

श्री कामता सिंह, कम्पनी कमान्डर ।

श्री जे० एस० यादव, कम्पनी कमान्डर ।

श्री विजय गोपाल गुप्त, क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी ।

बस्ती जिले में कारतूस के लाइसेंसदार

*३८—श्री चन्द्रपाल रावत—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में सरकार द्वारा कारतूस बेचने के लिये लाइसेंस प्राप्त कौन-कौन दूकानदार हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

बस्ती जिले में कारतूस बेचने के लिये सरकार से लाइसेंस प्राप्त दो दुकानदार हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है—

१—सीताराम एंड कम्पनी, गांधीनगर, बस्ती ।

२—श्री शंकर आर्मरी, गांधी नगर, बस्ती ।

बरेली में साम्प्रदायिक तनातनी

*३९—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें गत अप्रैल-मई में बरेली में साम्प्रदायिक तनातनी और छुट-पुट दंगे की सूचना मिली थी ?

*४०—क्या गृह मंत्री जी उसकी पूरी सूचना सदन को देंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गत अप्रैल-मई में बरेली में साम्प्रदायिक तनातनी और छिटपुट दंगे की ५ घटनाओं की जो सूचना मिली थी, उसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९८१ पर)

बरजीकलां ग्राम की चोरी

*४१—श्री ओंकारनाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९–१० फरवरी, १९६५ की रात्रि में जौनपुर जिले के थाना मुगराबादशाहपुर के ग्राम बरजीकलां में कोई बहुत बड़ी चोरी हुई ? यदि हां, तो उसमें कितनी हानि हुई तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम बरजीकलां, थाना बादशाहपुर, जिला जौनपुर में चोरी होने की एक रिपोर्ट थाने पर १०–२–६५ को दर्ज कराई गई थी। उक्त चोरी में जेवर, कपड़ा व नकदी कुल मिला कर २३२५ रु० ७५ पैसे की हानि हुई।

रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा भा० दं० वि० की धारा ३८० के अन्तर्गत दर्ज कर विवेचना की गई परन्तु अभियुक्तों का कोई पता न चलने के कारण मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

संवाद समितियों को दिया गया धन

*४२—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष, १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में निम्नलिखित संवाद समितियों को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि दी गई तथा देने का आधार क्या है?

(अ) पी० टी० आई०, (ब) यू० एन० आई०, (स) नेशनल प्रेस आफ इंडिया, (द) इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस, (ल) हिन्दुस्तान समाचार, (म) नाफेन, (ह) इनफा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्णित संवाद समितियों को वित्तीय वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में दी गई धनराशि का विवरण संलग्न है संवाद समितियों की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। वैसे जिन-जिन विशिष्ट उद्देश्यों के लिये समितियों को सहायता दी गयी उनका उल्लेख संलग्न विवरण में कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९८२–९८३ पर।)

गाजियाबाद में पकड़ी गई सीमेंट

*४३—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेरठ जिले के गाजियाबाद नगर में १०–११ जनवरी, १९६५ को रात में सीमेंट की १०५ बोरियों से लदी एक ट्रक संयुक्त सोशलिस्ट श्री प्यारेलाल शर्मा ने पकड़ी थी और उसे दूसरे दिन सी० आई० डी० के इंसपेक्टर श्री एम० डी० धीर तथा नागपाल दरोगा को सौंप दिया था? क्या ट्रक के मालिक लाला रामगोपाल मुरादनगर, ड्राइवर का नाम राजेन्द्र, सीमेंट ग्राहक सोहनलाल और सीमेंट ठेकेदार हवाई अड्डा हिनडन ने बेची थी? यदि हां, तो पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

घटना इस प्रकार है कि १२–१–१९६५ को श्री प्यारे लाल शर्मा ने लोकल इन्टेलीजेन्स यूनिट के सब इन्सपेक्टर श्री एन० डी० धीर को सूचित किया कि राजेन्द्र ड्राइवर हवाई अड्डे से सीमेंट चुरा कर लाया है और मोहल्ला मालीवाड़ा, कस्बा गाजियाबाद में २–३ जगहों पर रखा है।

श्री धीर ने इसकी सूचना थानाध्यक्ष, गाजियाबाद को दी। थानाध्यक्ष के आदेश पर स० ई० श्री नागपाल, ४ सिपाहियों सहित मुहल्ला मालीवाड़ा गए और ३ व्यक्तियों के घरों से १०४ कट्टे सीमेंट बरामद किया। पूछताछ से उन लोगों ने बताया कि वह सीमेंट राजेन्द्र ड्राइवर एक ट्रक से लाया था और उससे उनका कोई संबंध नहीं है।

राजेन्द्र लापता हो गया है। इसलिये न तो सही ट्रक और न उसके मालिक का और न इस सीमेंट के बेचने और खरीदने वाले का पता लग पाया है।

तफतीश पर यह सीमेन्ट हिंडन हवाई अड्डे की सीमेंट से मिलता हुआ नहीं पाया गया और न वहां के अधिकारियों ने इसको अपना बताया। ऐसी सूरत में जांच अभी तक समाप्त नहीं हो पाई है।

चिल्हिया थाने में श्री चन्द्रजीत पाण्डेय की हत्या

*४४—श्री चन्द्रपाल रावत—

क्या यह सत्य है कि बस्ती जिला, तहसील नौगढ़, थाना चिल्हिया के ग्राम अगवा में मार्च, १९६५ में एक कांग्रेसी नेता श्री चन्द्रजीत पांडेय की हत्या उक्त थानेदार द्वितीय अधिकारी द्वारा करवाई गई? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक १४-३-६५ को श्रीमती गायत्री देवी धर्मपत्नी श्री चन्द्रजीत दुबे ने अपने पति की हत्या होने पर महराज मन, शिवशंकर, विन्ध्यवासिनी व महाप्रसाद के विरुद्ध थाना चिल्हिया में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ३०४/३२४/३२५/३२३ भारतीय द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया जो सेशन जज बस्ती के न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है इसलिये इस विषय में कुछ और कहना संभव नहीं है।

सहारनपुर में शराब की दूकान पर झगड़ा

*४५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर नगर में अम्बाला रोड बस स्टेशन के सामने डा० रामनारायण बागला की दुकान के पास की शराब की दुकान पर झगड़ा होने से १ जनवरी, १९६५ से आज तक कितने कत्ल, बल्वे और छूरे बाजी की वारदातें हुयीं? उनके रोकने तथा हुई वारदातों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अमल लाई गई तथा कितनों का चालान हुआ, अलग-अलग बताया जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जनवरी, १९६५ से अब (१०-८-६५) तक केवल एक झगड़ा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त कत्ल बलवे व छुरेबाजी की कोई घटना उस जगह नहीं हुई। उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में २ अपराधी गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

इलाहाबाद कमिश्नरी में ए० डी० एम० (जे०)

*४६—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल इलाहाबाद कमिश्नरी के किन-किन ए० डी० एम० (जे०) लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शासन द्वारा कराई जा रही है? किस-किस के ऊपर क्या-क्या अभियोग हैं तथा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

किसी के विरुद्ध नहीं।

इंटेलीजेंस विभाग म सब-इन्सपेक्टरों की पदोन्नति

*४७---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि इंटेलीजेंस विभाग में सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर्स के चयन के लिये सन् १९५९ से १९६४ तक कोई सेलेक्शन कमेटी नहीं बैठी है जब कि पुलिस के अन्य विभागों में प्रतिवर्ष ऐसी कमेटी बैठती रही ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इन्टेलिजेन्स विभाग में सब-इंस्पेक्टरों को स्थानापन्न इंस्पेक्टर के पदों के लिये पदोन्नति देने हेतु सेलेक्शन कमेटी सन् १९५९ में तथा सन् १९६४ में बैठी थी।

*४८---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि १९५९ से १९६४ तक किस-किस सब-इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनाया गया और उन को इंस्पेक्टर बनाने का आधार क्या था ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९८४-९८५ पर)

*४९---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या यह सही है कि ऐसे सब इंस्पेक्टरों को भी इंस्पेक्टर बनाया गया जिनके करेक्टर रोल खराब थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं।

फतेहपुर में शिवद्रोहियों पर मुकदमा तथा बहराइच में पुलिस के विरुद्ध हड़ताल

*५०---श्री हिम्मतसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि फतेहपुर में कुछ अल्प-संख्यक युवकों द्वारा नया तालाब स्थित एक शिव मन्दिर का कलस तोड़ने के कारण १९ मई, १९६५ को पूरे नगर में हड़ताल रही ? यदि हां, तो उपद्रवी युवकों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

कुछ अल्प-संख्यक युवकों द्वारा नया तालाब स्थित एक शिव मन्दिर का कलस तोड़ने के कारण दिनांक १९ मई, १९६५ को तो नहीं बल्कि २० मई, १९६५ को नगर में आंशिक रूप से हड़ताल रही। उपद्रवी युवकों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई और मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं।

*५१---श्री हिम्मतसिंह---

क्या गृह मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि बहराइच नगर में पुलिस द्वारा एक नागरिक को नाजायज पीटने के विरुद्ध ३ मई, १९६५ को नगर में हड़ताल रही तथा सार्वजनिक सभा हुई ? यदि हां, तो सभा में क्या मांगें रखी गयीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

२-५-१९६५ को बहराइच के एक नागरिक और उसके नौकर में जो शराब पिए हुए थे, झगड़ा हुआ। एक हेड कांस्टेबुल ने जो स्वयं शराब पिये था इस झगड़े में हस्तक्षेप

किया। इस संबंध में कुछ व्यक्ति पुलिस अधीक्षक से मिले और उन्होंने हेड कांस्टेबिल के व्यवहार के विरुद्ध शिकायत की। डाक्टरी जांच कराये जाने पर झगड़ा करने वाले तीनों व्यक्ति शराब पिए हुए पाये गये। पुलिस अधीक्षक ने हेड कांस्टेबुल को निलम्बित कर दिया। आवश्यक जांच के उतरान्त हेड कांस्टेबिल के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की गई और उसे एक वर्ष के लिए कांस्टेबिल के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

कुछ व्यक्तियों ने ३-५-१९६५ को हड़ताल कराने की कोशिश की किन्तु अधिकारियों ने दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की थी अतः न तो हड़ताल हुई और न कोई सार्वजनिक सभा हुई। अतः मांगें पेश किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात वृद्धि निगम

*५२—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि राज्य से निर्यात होने वाली वस्तुओं की मात्रा और विविधता में वृद्धि करने के लिये जो 'निर्यात वृद्धि निगम' स्थापित होने वाला है, वह कब तक स्थापित हो सकेगा तथा उसमें लगने वाली पूंजी का आधा भाग जो सार्वजनिक रूप से एकत्रित होने को है इस धनराशि को इकट्ठा करने की रूप-रेखा क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रथमभागः—प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक निर्यात वृद्धि निगम स्थापित करने का निश्चय शासन ने सिद्धान्तरूप में कर लिया है। परन्तु इस बारे में अभी कोई व्योरे तय नहीं हुये हैं और व्योरे तय करने में कुछ समय लगेगा।

दूसराभागः—प्रश्न नहीं उठता।

*५३—श्री रघुनाथसिंह—

क्या उत्पादनों के निर्यात के लिये विभिन्न देशों में अच्छे क्षेत्र को ध्यान में रख कर एतदर्थ उत्पादित वस्तुओं की सूची तैयार की जायगी और उन वस्तुओं के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन और संरक्षण भी दिया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

*५४—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

[२३ अगस्त, १९६५ को उत्तर दिया गया।]

पहाड़ों पर रिसेस संबंधी आदेश

*५५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर), श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार ने कोई आदेश निकाला है कि गर्मियों में कोई मंत्री, उपमन्त्री तथा अन्य अधिकारी या दफ्तर या कमेटी पहाड़ी जिलों में न जायेंगे ? यदि हां, तो यह क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अप्रैल, १९६५ में ये शासकीय आदेश जारी किये गये थे कि इस वर्ष (१९६५) के ग्रीष्म ऋतु में भी सरकार पहाड़ों पर रिसेस नहीं करेगी और सरकारी कर्मचारियों को पहाड़ों पर रिसेस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त न होगी। ऐसे भी अनुदेश जारी किये गये थे कि साधारणतया किसी भी सरकारी समिति की बैठक नैनीताल अथवा अन्य पहाड़ी स्थान पर न हो।

*५६—श्री कमलासिंह यादव, श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[स्थगित किया गया ।]

जिला गोरखपुर में साम्प्रदायिक झगड़ा

*५७—श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में १६ मई, सन् १९६५ को जो साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ उसकी एक रपट सदन की मेज पर रखेंगे ?

*५८—क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कुल कितने अलग-अलग हिन्दू व मुसलमान पकड़े गये और उन पर क्या-क्या जुर्म आयद है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९८६ पर)

*५९—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[हटा दिया गया ।]

*६०—श्री हरिगैन राम (जिला वाराणसी)—

[हटा दिया गया ।]

*६१—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[हटा दिया गया ।]

यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स शो पर बिक्री

*६२—श्री मन्नालाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कि गवर्नमेंट यू०पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स शो केस गोरखपुर, वाराणसी, हरद्वार तथा देहरादून में बिक्री करने के लिये अधिकार संबंधित रेलवे ने कब-कब दिया है तथा इस संबंध में स्पेशल मैनेजर, हैन्डीक्राफ्ट्स द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है। और किसी शो केस पर कुछ बिक्री भी हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

दिनांक २० और २१ मई, सन् १९६३ को रेलवे अधिकारियों ने केवल देहरादून और हरद्वार स्टेशनों पर माल बेंचने की अनुमति इस शर्त पर देना स्वीकार किया था कि सेल्स काउन्टर उनकी व्याख्या के अनुसार उनके बताये हुये स्थान पर बनाये जायें।

स्पेशल मैनेजर ने नक्शे बनाकर भेजे लेकिन रेलवे अधिकारियों ने सेल्स काउन्टर चलाने की अनुमति अब तक नहीं दी है। केवल हरिद्वार शो-केस पर एक बार रु० १२.४६ का सामान भेजा गया ।

लालगंज की कथित कागज फैक्ट्री

*६३—श्री रतीपाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला रायबरेली, तहसील डलमऊ के अन्तर्गत लालगंज में कोई कागज की फैक्टरी सन् १९६४ से सरकार ने बनवाना प्रारम्भ किया था ? यदि हां, तो वह इस समय किस स्थिति में है और उसके कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*६४--श्री रतीपाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस फैक्टरी में किन व्यक्तियों को काम करने के लिये प्राथमिकता दी जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न नहीं उठता ।

पलिया क्षेत्र के लिये सहकारी चीनी मिल तथा गोला चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*६५--श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने खीरी जिले में गोला, पलिया, बिलरायां क्षेत्रों में निरन्तर गन्ने की सघन और विस्तृत रूप से बढ़ती हुई उपज की खपत के लिये वहां सहकारी चीनी मिल खोले जाने के लिये भारत सरकार के पास सिफारिश की है या नहीं ? यदि हां, तो उसमें क्या अब तक प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

पलिया क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

*६६--श्री छेदा लाल चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने वर्ष १९५९-६० के लिये हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०, गोला गोकरननाथ, जिला खीरी को गत दिसम्बर, १९६४ में २४ नये पैसे प्रति मन अलावा भुगतान देने के जो आदेश दिये थे उसके अनुसार कथित चीनी मिल पर किसानों का अलावा भुगतान का कुल कितना धन वाजिब होता है और कब तक मिल सकेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९५५ के उपबन्धों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एडीशनल प्राइस फिक्जेशन अथारिटी द्वारा गोला चीनी मिल के बाबत वर्ष १९५९-६० के लिए देय अतिरिक्त मूल्य की दर २४ पैसे प्रतिमन सूचित की गई थी जिसके अनुसार कथित मिल पर किसानों का लगभग ३७ लाख रुपया डेफर्ड प्राइस (deferred price) के रूप में भुगतान का वाजिब हुआ किन्तु मिल द्वारा उक्त अथारिटी के निर्णय के विरुद्ध केंद्रीय सरकार को अपील कर दिये जाने से उक्त रकम के भुगतान का प्रश्न अपील के निर्णय तक स्थगित हो गया है ।

थाना टांड के अंतर्गत अपराध

*६७--श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना टांडा, जिला फैजाबाद में जनवरी, सन् १९६५ ई० से ३० जून, १९६५ तक कितने कत्ल, डाके तथा कितने बल्वे, की रिपोर्ट थाना टांडा में दर्ज कराई गई और उन पर पुलिस ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

१-१-६५ से ३०-६-६५ तक थाना टांडा जिला फैजाबाद पर दर्ज कराई गई कत्ल डकैती और बल्वों की रिपोर्ट के बारे में सूचना इस प्रकार है:—

कत्ल—३ रिपोर्टें दर्ज कराई गई जिनसे संबंधित तीनों मुकदमों का पुलिस ने चालान किया जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

डकैती—की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई।

बल्वा—७ घटनाओं के संबंध में ९ रिपोर्टें दर्ज कराई गई। २ घटनाओं के संबंध में २-२ रिपोर्टें लिखाई गई थीं। १ घटना अत्यन्त साधारण थी अतः उसकी जांच नहीं की गई। एक घटना जिसके संबंध में दोनों दलों की ओर से रिपोर्टें लिखाई गई थीं केवल धारा ३२३ भा०दं०वि० के अन्तर्गत आती थी। शेष घटनाओं के संबंध में दर्ज मुकदमों का पुलिस ने चालान कर दिया जो न्यायालय के विचाराधीन हैं।

वित्तीय निगम

*६८—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी, उसके चेयरमैन तथा सदस्य इस समय कौन-कौन हैं और उनके कार्यकाल के कितने वर्ष निर्धारित हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना १ नवम्बर, १९५४ को हुई थी। निगम के वतमान चेयरमैन तथा सदस्य निम्नलिखित हैं:—

१—श्री एच० सी० सक्सेना, सचिव, उद्योग विभाग।	चेयरमैन (सरकार द्वारा मनोनीत)
२—श्री ए०जी० मलिक, उद्योग निदेशक, उ०प्र०।	डाइरेक्टर (सरकार द्वारा मनोनीत)
३—श्री एम०एल० दुबे, विशेष सचिव, वित्त विभाग।	,, ,,
४—श्री के० एन० मेहता	,, (रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत)
५—श्री टी०एम० सेन	,, (इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा मनोनीत।)
६—श्री सी०एस० बरारा	,, (प्रतिनिधि शिड्यूल्ड बैंक्स)
७—श्री रघुराज स्वरूप	,, (प्रतिनिधि कोआपरेटिव बैंक्स)
८—श्री आर० सी० भल्ला	,, (प्रतिनिधि इंश्योरेंस कम्पनियां, इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स तथा अन्य वित्तीय संस्थायें)
९—सरदार इंदर सिंह	,, (अन्य पक्षों के प्रतिनिधि)
१०—श्री भारत भूषण	मैनेजिंग डाइरेक्टर

चेयरमैन का कार्यकाल २ वर्ष के लिये निर्धारित है। जब तक चेयरमैन डाइरेक्टर भी रहेगा वह पुनः मनोनीत किये जाने के लिये समर्थ होगा। प्रबन्ध निदेशक का अधिकतम कार्यकाल ४ वर्ष का होता है जिसके पश्चात् वह पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

मनोनीत निदेशक का कार्यकाल मनोनयन अधिकारी की इच्छा पर है।

चुने हुए निदेशकों का कार्यकाल ४ वर्ष निर्धारित है। कोई चुना हुआ निदेशक लगातार दो चार सालों के दो सत्रों से अधिक निदेशक नहीं रह सकता है।

*६९—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य वित्तीय निगम की स्थापना से आज तक कितनी वित्तीय पूंजी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हो चुकी है और उसमें से कितने ऋण का बंटवारा उसने किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को अब तक विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त वित्तीय पूंजी का विवरण निम्नलिखित है:

१—चुकता अंश पूंजी

अभिदानें—

(१) राज्य सरकार द्वारा	.. ..	५५,३६,०००
(२) रिजर्वबैंक द्वारा	.. ..	१५,००,०००
(३) शिड्यूल्ड बैंक कोआपरेटिव बैंक्स इंश्योरेंस कम्पनियों द्वारा		२७,०९,६००
(४) अन्य पक्षों के द्वारा (जिन्होंने शेयर लिये)	..	२,५४,४००
योग	..	१,००,००,०००
२—बांड तथा डिबेंचर जारी करने से	.. ..	१,०७,८२,५००
३—रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण	.. ..	५४,००,०००
योग	..	१,६१,८२,५००
सम्पूर्ण योग	..	२,६१,८२,५००

निगम ने अब तक अपने कोष से लगभग ३,३९,००,००० रु० का ऋण बांटा है ।

विकास क्षेत्र, डुन्डा में सिंचाई योजनायें

*७०—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी के विकास क्षेत्र डुंडा में भड़कोट, बड़ेथ में १ लाख ८० हजार की सिंचाई योजनायें सन् १९६३ में आरम्भ की गई थी, वे क्या अब तक पूरी हो गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला उत्तरकाशी के विकास क्षेत्र डुंडा में भड़कोट और बड़ेथ माइनरें वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रारम्भ की गई थी । उनकी अनुमानित लागत क्रमशः ८३,८१८ और ६३,००० रु० है । वे अब तक पूर्ण नहीं हुई है जिसका कारण सीमेंट की कमी तथा भड़कोट माइनर पर बन विभाग की भूमि का अब तक न मिल सकना है ।

*७१—श्री ऊदल—

क्या इसके अलावा उक्त जिले के विकास क्षेत्र नौगांव भटवाड़ी तथा पुरोला में भी आठ सिंचाई योजनायें पांच लाख से ऊपर को निर्माण करने हेतु सन् १९६३ में सर्वेक्षण कराया गया था और सर्वेक्षण हो गया था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य शुरू हुआ या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

मुरादाबाद जिले में जुडीशियल मैजिस्ट्रेट

*७२—श्री रियासत हुसेन—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट कितने हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चार ।

अतारांकित प्रश्न

फतेहपुर जिले की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

२५ मार्च, १९६५ के प्रश्न २ के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक २९ जुलाई, १९६३ के पत्र में स्वयं पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर के विरुद्ध संगीन आरोप होने पर भी उन्हीं से जांच कराने का मकसद क्या था और उन्होंने कब किसकी उपस्थिति में क्या जांच की तथा फल क्या निकला ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर ने इसलिये की थी कि उस पत्र में विशेष आरोप उनके आधीनस्त अधिकारियों के विरुद्ध थे और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध मामल से संबंधित कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं था । अगस्त, १९६३ में पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपों से संबंधित व्यक्तियों से पूंछतांछ करके तथा संबंधित कागजात देखकर जांच की गई थी । जांच से आरोप निराधार पाये गये थे ।

थाना दुधारा के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

२—श्री श्यामलाल—

क्या गृह मंत्री को मालूम है कि जिला बस्ती में थाना दुधारा का क्षेत्र लगभग ८० प्रतिशत मुस्लिम क्षेत्र है और अब तक लोकहित में यदि थानाध्यक्ष मुसलमान होते थे, तो कांस्टेबुल हिन्दू होते थे और यदि थानाध्यक्ष हिन्दू हुये तो कांस्टेबुल मुस्लिम होते थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना दुधारा जिला बस्ती में जातियों के आधार पर थानाध्यक्षों तथा कास्टेबिलों को नियुक्ति करने की कोई पद्धति नहीं रही है ।

३—श्री श्यामलाल—

क्या गृह मंत्री को यह भी मालूम है कि इन दिनों सारे थाने में दरोगा से लेकर साधारण सिपाही और मुंशी और दीवान तक ब्राह्मण हैं और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाने के १६ कर्मचारियों में से केवल ४ कर्मचारी ब्राह्मण हैं । मुसलमानों पर अत्याचार करने की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

४—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार जनहित में पुरानी पद्धति पुनः दुधारा थाने में चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

बरिगवां चर्मशोधन केंद्र की इमारत के निर्माण व्यय की जांच

५--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के ग्राम बरिगवां, राजकीय चर्मशोधन केन्द्र की इमारत सरकार के साढ़े २२ हजार रुपये के अनुदान से सन् १९६३ से बन रही है ? यदि हां, तो अब तक कितने धन से कितनी इमारत बन चुकी है और कितनी बाकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जिला फतेहपुर के ग्राम बरिगवां राजकीय चर्मशोधन केन्द्र की इमारत के निर्माण के लिये २०,००० रु० दिये गये थे, जिसमें १५,००० रु० अनुदान तथा ५,००० रु० ऋण था । इमारत सन् ६३ से बन रही है । १२,००० रु० के अनुमानित व्यय पर काफी इमारत बन चुकी है । चर्मशोधन के लिये गड्डे, छत व फर्श बनना बाकी है ।

६--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंस्ट्रक्टर, ठेकेदार और भूतपूर्व प्रधान द्वारा उक्त चर्मशोधन केन्द्र की इमारत के सामान में गड़बड़ी करने, मजदूरों को पैसा न देने, गबन करने के विरुद्ध शिकायतें हुई और मई, १९६४ में एकाउण्ट इंस्पेक्टर उद्योग ने निरीक्षण में पकड़ा, जिसकी जांच श्री के० के० अरोड़ा, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट, उद्योग इलाहाबाद को दी गई ? यदि हां, तो कितने का गबन आदि था और क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां । एकाउन्ट्स इन्सपेक्टर उद्योग के बजाय सह अर्थ नियंत्रक ने निरीक्षण में पकड़ा जांच की रिपोर्ट आने पर गबन का सही अनुमान हो सकेगा । इन्सपेक्टर को निलम्बित कर दिया गया है ।

७--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने उद्योग विभाग के लेदर टैनिंग सेक्शन में सन् १९५८ में टेक्निकल सहायकों की ५८ जगहों को स्थायी करने की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो उन्हें विभाग की ओर से स्थायी कब घोषित किया गया और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां । दो पदों पर स्थायी नियुक्ति हो चुकी है । शेष पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिये क्षेत्रीय अधिकारियों से संस्तुति मांगी गई है जिसके उपलब्ध होते ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, बिठूर

८--श्री मुरलीधर कुरील--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिठूर (जिला कानपुर) में कई वर्षों से चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के कुछ ट्रेड हटा कर अन्यत्र ले जाने गये हैं, जिससे दोनों स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र चलाने में असुविधा तथा कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

९—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिठूर टाउन एरिया कमेटी व उसके चेयरमैन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के बिठूर में स्थाई रूप से स्थापना हेतु भवन भूमि, छात्रावास भवन आदि की व अन्य सुविधायें देने हेतु गत कई वर्षों से विभाग व सरकार को लिख कर दे चुके हैं ? यदि हां, तो उन सब बातों पर विचार करते हुये पूरा प्रशिक्षण केन्द्र, बिठूर में चलाने व स्थायी करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों के सबंधं में जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

प्रश्नों के संबंध में मेरा एक निवेदन है । इसमें लिखा है कि प्रश्नकर्त्ता से स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया । लेकिन श्रीमन्, मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ जिससे मैं जान सकता कि क्या स्पष्टीकरण मांगा गया है और उससे पहले ही हटा दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के आ जांय तो मैं देखकर बता सकूंगा ।

भूतपूर्व मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा द्वारा दिये गए वक्तव्य के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभानु गुप्त का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण एवं मुख्य मंत्री का तत्संगत भाषण

श्री अध्यक्ष—

माननीय गुप्ता जी ने मुझे सूचना दी है कि कल जो माननीय शर्मा जी का वक्तव्य हुआ था उस समय वह यहां उपस्थित नहीं थे । चूंकि उनका उल्लेख उस वक्तव्य में हुआ है इस कारण से वह अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय गुप्ता जी का वक्तव्य तो विविध वक्तव्य के अन्तर्गत आता है। पहले विशेषाधिकार और कामरोको प्रस्ताव लिया जाय, उसके बाद वह हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

कल जो हम लोगों ने पद्धति अंगीकार की थी उसी विचार से आज भी इसको पहले ले रहे हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा कहना यह है कि माननीय गुप्ता जी क्या कोई महाभारत जीतकर आये हैं कि मेजें थपथपायी जा रही हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कल जो माननीय चतुर्भुज शर्मा का वक्तव्य हुआ था वह विशेषाधिकार और नियम ५२ वगैरह जब खत्म हो गया था तब हुआ था। तो यह जो आपने कहा कि कल की पद्धति अपना रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है उसको पहले ले लीजिए, बाद में बयान लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष—

कला माननीय चतुर्भुज शर्मा का वक्तव्य यहां सबसे पहले हो गया प्रश्नों के बाद, उसके बाद हमने दूसरी चीजें ली थीं। उस समय अगर माननीय गुप्ता जी या माननीया मुख्य मंत्री होती तो उसी समय स्पष्टीकरण दे सकती थीं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

नियम २७५ (३) में है कि ऐसे वक्तव्य पर कोई बाद विवाद नहीं होगा परन्तु कोई मंत्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेंगे, तो यह गुप्ता जी कहां के मंत्री हैं ?

श्री अध्यक्ष—

कल आपको याद होगा कि माननीय बनारसीदास ने अपना स्पष्टीकरण दिया था और इसीलिये दिया थि कि उनके संबंध में वक्तव्य में उल्लेख था। प्रत्येक वक्तव्य में अगर किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख हो तो उसको स्पष्टीकरण करने का अधिकार है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला पिथौरागढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं दो वर्षों के बाद इस आदरणीय सदन में अपनी जुबान खोल रहा हूं और वह भी दुर्भाग्य से ऐसे अवसर पर जबकि एक माननीय सदस्य ने मंत्रि परिषद् से अपना त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देने के कारणों में एक बाहरी बात को लेकर मेरा भी नाम लपेटा। संयोगवश कल मैं इस सदन में उपस्थित नहीं था।

मैं सार्वजनिक जीवन की परम्पराओं का सदैव आदर करता रहा हूं। इसलिये स्वतः किसी ऐसी गंदगी में नहीं पड़ना चाहता जो उन परम्पराओं को धक्का दें और गिरावें। माननीय श्री चतुर्भुज शर्मा जी ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है जो उन्होंने अपने कल के बयान में एक संभ्रान्त परिवार की महिला के प्रति अभद्रपूर्ण व्यवहार की शिकायत के संबंध में अपनी सफाई देते हुए अपने राजनीतिक विरोध की आड़ लेकर इस दोषारोपण में मेरे नाम को लपेटकर अपने बचाव का मार्ग देखा है। यह हमारे लिये खेद की बात है कि हम प्रदेश की राजनीति को अब इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं। मैं न तो उक्त महिला को और न उनके पति को किसी प्रकार से जानता हूं और न ही आज तक हमारी उनसे मुलाकात हुई। श्री अमरनाथ विद्यालंकार से मेरा किसी प्रकार का संबंध भी नहीं है।

श्री अली जहीर साहेब से अवश्य २१ जून को बहुत-सी बात हुईं और बातचीत के दौरान में शर्मा जी के विरुद्ध उक्त महिला द्वारा की गई शिकायत की भी चर्चा हुई। श्री अली जहीर नेमुझे बताया कि इस विषय में उन्होंने कुछ दिन पूर्व अपने एक मित्रसे सुना था और मैंने भी उनसे कहा कि उच्च पदस्थ विशिष्ट व्यक्ति से बातचीत के दौरान मुझे भी मालूम हुआ कि उक्त महिला ने अभद्र व्यवहार की शिकायत उनसे की है। इस संबंध में कई और लोगों ने भी मुझसे चर्चा की परन्तु मैंने इन बातों को सार्वजनिक जीवन की विशुद्ध परम्पराओं के विपरीत समझा और उनको किसी प्रकार का बढ़ावा देना अनुचित समझा। श्री शर्मा जी ने और जो बहुत सी बातें अपने कल क बयान में मेरे संबंध में कही हैं, उनमें से श्री अली जहीर वाली बात के

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

अलावा शेष बातें द्वेषपूर्ण, तथ्यहीन, असंगत और सार्वजनिक जीवन के स्तर को गिराने वाली हैं।

एक विषय और है जिसके संबंध में उस वक्तव्य को पढ़कर मुझे बहुत खेद है। वह खेद इस सदन के एक पुराने सदस्य होने के नाते भी है। वह यह है कि उस वक्तव्य में शर्मा जी ने कुछ बातें जी ने कुछ बातें हमारी बहनों के लिये, स्त्रियों के लिये, कहीं हैं। वे बातें शोभनीय नहीं हैं। मैंने स्त्री को स्त्री के रूप में तो नहीं जाना है, माता और बहन के रूप में जिन्दगीभर उन्हें देखा है। उस स्त्री-जाति के विषय में उन्होंने एक जनरल कंडेम्नेशन की बात कहीं है, वह अनुचित है अशोभनीय तथा निन्दनीय है और इस सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। (मेंजे थपथपाई गई।)

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे कल का अपने सहयोगी, श्री चतुर्भुज शर्मा का वक्तव्य पढ़कर अत्यन्त दुख हुआ। सदन के नियमों के अनुसार त्याग पत्र देने वाले मंत्री को वक्तव्य का अधिकार है। हमारे प्रदेश में कुछ मंत्रियों ने इसका उपयोग किया है और बहुतों ने नहीं। इस तरह के वक्तव्यों में साधारणतः आम नीति के मत-भेदों की चर्चा हुआ करती है, जिनके कारण त्यागपत्र की आवश्यकता हुई। व्यक्तिगत प्रश्नों को लाना इस तरह के वक्तव्य में, परम्परा के विरुद्ध है, परन्तु श्री शर्मा जी ने ऐसा करना ठीक समझा। ज्यादा अच्छा होता यदि श्री शर्मा अपने वक्तव्य में सत्य और कल्पना का मिश्रण न करते और उनके वक्तव्य में किसी प्रकार के इन्सीनुएशंस न होते। मसलन्, उन्होंने टेलीफोन टैपिंग की और बहुत सी बातें कहीं, जो कतई मिथ्या और गलत हैं।

नैनीताल की घटना का चर्चा न करना उनके लिये ज्यादा मुनासिब था। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्थिति साफ करना चाहता है और दूसरों पर आरोप लगाता है, तो उसका उत्तर-दायित्व है कि वह जांचकर्ता से सहयोग करे ताकि वस्तुस्थिति सामने आ जाय। वैसा सहयोग शर्मा जी से प्राप्त होने में दिक्कत रही। श्री शर्मा ने बहुत सी संगत और असंगत बातों की चर्चा अपने वक्तव्य के अन्दर की है। उन सब के अन्दर जाना, सम्मान और सौजन्यता के अनुकूल न होगा।

केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं। अपने वक्तव्य में श्री शर्मा ने महिलावर्ग के प्रति जो अपमानसूचक विचार प्रकट किये हैं, उनसे मुझे अत्यन्त मानसिक वेदना हुई और आघात पहुंचा है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इन भावनाओं की प्रतिध्वनि समस्त महिला-समाज और पुरुषवर्ग पर होगी, जहां महिलाओं का सम्मान होता है। मुझे पूर्ण आशा है कि श्री शर्मा जी को पुनः विचार के बाद अपने वक्तव्य के इस अंश के लिये आत्मग्लानि होगी।

श्री शर्माजी ने पिछले चुनावों में मेरा विरोध करने का जिक्र किया परन्तु इसके होते हुए भी, उन्हें मंत्रि-परिषद् के अन्दर स्थान दिया गया, और उन पर दो महत्वपूर्ण विभागों का उत्तर-दायित्व सौंपा गया। मैंने उनके साथ पूर्ण न्याय करने का प्रयत्न किया।

अब जबकि पारस्परिक विश्वास का प्रश्न पैदा हो गया है तो मैं केवल यही कह सकती हूं कि मंत्रिगण महामहिम राज्यपाल की स्वेच्छा पर अपने पद पर रहते हैं, और राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति तथा और सभी प्रश्नों पर मुख्य मंत्री की सलाह पर काम करते हैं। मुख्य मंत्री का यह पूर्ण अधिकार है कि वह मंत्रि-परिषद् का कभी भी पुनर्गठन कर सके। यदि किसी मंत्री को मुख्य मंत्री का विश्वास प्राप्त न हो तो वह मंत्रि-परिषद् का त्याग कर देता है और उसके

वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये प्राय : किसी कारण को देने की जरूरत नहीं होती। श्री शर्मा जी का स्वयं कहना है कि मुख्य मंत्री और उनके बीच में पारस्परिक विश्वास नहीं रहा है। इसीलिये उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने की सलाह देना ही मेरे लिये उचित था।

मेरे लिये यह खेद का विषय है कि श्री शर्मा जी को मंत्रि-परिषद् से अपना संबंध विच्छेद करना पड़ा है। मुझे प्रसन्नता होती यदि उनका सहयोग सम्भव हो सकता।

अपने कार्यकाल में जो सहयोग उन्होंने मुझे प्रदान किया उसके लिये मैं आभारी हूं और आशा करती हूं कि उनका सहयोग बना रहेगा।

आज जैसा समाचार-पत्रों में हम लोगों ने पढ़ा है, देश बहुत भारी संकट में है। मुझे खेद है कि इस संकट के दिन में मुझे यह कहना पड़ा। मगर मजबूरन मुझे करना पड़ा। मैं आशा करती हूं कि इसके बाद हम सब ऐसा प्रयास करेंगे कि सहयोग से काम करके भारत-माता की सुरक्षा में सब लोग लग सकें।

(मेजें थपथपाई गईं।)

श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)---

इसके बारे में मैं कुछ कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---

कायदा तो नहीं है। वरना वाद-विवाद शुरू हो जायगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

कायदा है पर्सनल एसप्लेनेशन का। गुप्ता जी ने जो कहा है वह मेरी मंशा नहीं है। मैंने स्त्री-समाज पर कोई आक्षेप किया है, वह गलत है। मुझे इसका पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अवसर देने की कृपा करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि इस वातावरण को अब समाप्त किया जाय। मैं तो आशा करता था कि जो गम्भीर परिस्थिति हमारे सामने है उसे देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री हमारे सिपाहियों को बधाई देने के लिये कोई प्रस्ताव लावेंगी। और ऐसा होगा भी, ऐसी मैं आशा करता हूं। लेकिन कोई किसी पर कीच न उछाले, इसके लिये आप अपने अधिकारों का प्रयोग करने, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इसका प्रबन्ध करें।

श्री अध्यक्ष---

मेरी सबसे प्रार्थना है कि अब इस विषय को समाप्त किया जाय।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

मेरा एक वैधानिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

अगर आपका प्रश्न इस वाकये से संबंधित है तो आप कृपया बैठ जायें।

कतिपय विषय

श्री अध्यक्ष---

मैं अपोजीशन लीडर्स से प्रार्थना करूंगा कि वे अविश्वास का प्रस्ताव भी देश के हित में वापस ले लें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मैंने आपसे कहा था उस दिन कि नियम ११३ में प्रश्न उठाना चाहता हूं अपनें सिपाहियों को बधाई देने के लिये, अपनी सेना को बधाई देने के लिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं सोच रहा हूं कि आज सायंकाल ४ बजे नेतागण को आमंत्रित करूं तथा मुख्य मंत्री और संसदीय मंत्री को भी आमंत्रित करूं कि इस पर किस प्रकार से और कब विचार किया जाय ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अभी माननीय नेता विरोधीदल ने जो अपील की है उसके प्रकाश में नेकराम शर्मा और ब्रह्मदत्त मायर के नाम में जो आपके पास मंत्रि मंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव है, उसको मैं, मेरा दल वापस लेता है क्योंकि देश की हालत इस समय ठीक नहीं है, उस पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है । इस समय एकता की आवश्यकता है । इस बारे में मैंने आपको लिखकर दे दिया है, आशा है आप इसके वापस लेने की हमें अनुज्ञा प्रदान करेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, उसमें से आप श्री नेकराम शर्मा और श्री ब्रह्मदत्त मायर का नाम निकाल दीजिये और विरोधी पार्टियों का जो प्रस्ताव है वह सदन के सामने रहेगा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

अभी-अभी आपने कहा कि नेता सदन, विरोधीदल के नताओं को आपने आमंत्रित किया है । जब सब विरोधीदलों ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जब सब विरोधीदलों ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, तब वे मंत्रिमंडल अथवा नेता सदन से कैसे मिल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । इसकी तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब एक माननीय उग्रसेन जी का विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न था जिसको विलम्ब होने के कारण मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

एक माननीय विकल जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था । विकल जी से मेरी प्रार्थना है.....

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

आप अपनी कोई व्यवस्था देने के पहले मेरी बात सुन लें और रामायण राय ने जो उत्तर दिया है, उसको मुझे बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे कक्ष में मिल लें ।

श्री रामचन्द्र विकल—

इसमें कक्ष की क्या बात है ? माननीय रामायण राय जी का उत्तर सदन में पढ़ कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष---

अगर ऐसा है तो मैं अपना निर्णय लिख कर कल दे दूंगा। आज मैंने उस बारे में नहीं सोचा। श्री रामायण राय का स्पष्टीकरण मुझे मिल गया है और मैंने सोचा था कि माननीय विकल जी मुझसे इस बारे में बातचीत कर लेंगे। अगर आपका मन बात करने का नहीं है तो ठीक है।

श्री रामचन्द्र विकल---

आप अपनी कोई व्यवस्था देने से पूर्व मुझे सुन ले।

श्री अध्यक्ष---

जब यहां आना ही है तो आपको भी सुन लिया जायगा।

कतिपय विषय (क्रमागत)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपके समक्ष जो अविश्वास का प्रस्ताव है, उस पर सदन की अनुमति ले ली गयी है। अब माननीय नेकराम शर्मा और ब्रह्मदत्त मायर अपने को अलहदा करते हैं, उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैंने अभी उसे देखा नहीं है। बीच ही में माननीय नेकराम जी ने प्रश्न उठा दिया तो मैं क्या करूं ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

इस सब को आप कार्यवाही से निकाल दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसको देख लूंगा।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

आप उन्हीं लोगों को बोलने का व्यवस्था के प्रश्न पर मौका देते हैं जो हमेशा गलत बात कहते हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

अन्य जो आयी हुई सूचनायें हैं उनको मैंने अस्वीकार कर दिया है। केवल दो सूचनायें महत्वपूर्ण हैं। एकतो माननीय शिवचरण लाल, माननीय बांकेलाल और माननीय चन्द्र-बलीसिंह का, एक माननीय मेवालाल का और एक माननीय लखपतराम शर्मा का है। ये सूचनायें इस समय जो अकाल की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है उस संबंध में हैं। इन तीनों को मैं माननीय राजस्व मंत्री के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं। एक तो आगरा जिले का है, और एक इलाहाबाद की ..... (व्यवधान)।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

विशेष ध्यान से काम नहीं बनेगा, जरा पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

नहीं बनेगा तो आप फिर हमसे मिल लीजियेगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, बुन्देलखंड की स्थिति बड़ी ही खराब है। वहां के लोग पेड़ों की पत्तियों, घास तथा पेड़ों की छाल की रोटियां खा रहे हैं। अगर माननीय मंत्री जी वहां की स्थिति को सुधार नहीं करते तो उनसे कहिये कि वे इस्तीफा दे दें। मैं पेड़ों की छाल की रोटी लाया हूं जो माननीय मंत्री जी को दे रहा हूं।

(श्री लखपर राम शर्मा ने एक रोटी खाद्य मंत्री को प्रस्तुत की)

श्री अध्यक्ष—

बड़ा मुश्किल यह है कि जब मैं रोकता हूं कहा जाता है कि म किसी की सुनता नहीं हूं और व्यवस्था की आड़ लेकर यहां पर ऐसे ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं।

कतिपय विषय (क्रमागत)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरा एक मिनट का निवेदन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर बहस के लिये समय निश्चित करने के लिये आपने कहा था, लेकिन मैंने जो कार्यक्रम देखा है, उसको देखने से उसकी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष—

ये सब विषय अगर आप पहले से मुझे लिख कर दे दिये होते तो म पहले से परामर्श करके और सब सोच विचार करके इस संबंध में बतलाता। लेकिन जब विधेयक आप एक बयक इस तरह की बात पूछते हैं तो उसका उत्तर एकदम से मैं यहां नहीं दे सकता हूं।

*उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक १९६५

श्री अध्यक्ष—

अब मद नं० ८ पर माननीय राम सुन्दर शास्त्री और माननीय कमलासिंह यादव के संकल्प पर विचार होगा।

इस संबंध में यह ध्यान रखा जाय कि कार्य मंत्रणा समिति में हम लोगों ने यह विचार किया था कि अननुमोदन के संकल्प तथा मद नं० ९ इन दोनों पर एक साथ ही विचार कर लिया जाय। मैं यह सोच रहा था कि इस बिल को माननीय मंत्री जी पहले प्रस्तुत कर दें, उसके बाद आप (माननीय कमलासिंह जी) और माननीय रक्षपाल सिंह दोनों अपना-अपना संकल्प पेशकर दें ताकि सब पर एक साथ ही बहस हो जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मुझे दोनों पर बोलने का राइट तो होगा?

श्री अध्यक्ष—

जी हां।

---

*३० अगस्त, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

समय क्या होगा, समय तो आप तय कर दें।

श्री अध्यक्ष--

समय तो उसके लिये आज और कल दो दिन का निश्चित है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सब पर भाषण एक साथ ही हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

वही मैं निवेदन कर रहा हूं।

सामुदायिक-विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव --

श्रीमन्, जब यह विधेयक सदन में इन्ट्रोड्यूस किया गया था तो मैंने उस पर लीगल आब-जेक्शन करने का अपना अधिकार रिजर्व किया था और मैं निवेदन करूंगा कि....

श्री अध्यक्ष--

यह सब आप जब बाद में बोलें तो कह लीजियेगा।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, यह इन्ट्रोडक्शन से पहले जरूरी चीज है इसलिये कह रहा हूं। मेरा आब्जेक्शन यह है कि इस विधेयक का जो खंड ९ है उसमें लिखा है .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बात बहुत हो रही है आप शांति रहें, नेकराम जी आप बैठें।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं कह रहा था कि इस विधेयक का जो खंड ९ है उसमें लिखा है कि मूल अधिनियम की धारा ३७ में, खंड (२) का उपखंड (क) निकाल दिया जाय। यह धारा ३७ (२) इस प्रकार है कि:

"इस अधिनियम में कोई बात--

(१) न तो किसी क्षेत्र समिति या जिला परिषद् को उसके नियंत्रण के बाहर के किसी अभिकरण द्वारा सम्पादित और अनुरक्षित किसी कार्य या संस्था के संबंध में कोई अधिकार प्रदान करेगी ; और

(२) न किसी क्षेत्र समिति या जिला परिषद् को, किसी नगर महापालिका, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया की सीमाओं के भीतर किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देगी, जो यथास्थिति, नगरमहापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया, कमेटी छावनी बोर्ड, जिला मैजिस्ट्रेट या किसी अन्य मैजिस्ट्रेट या टाउन एरिया कमेटी में निहित हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र समिति या जिला परिषद् :

(क) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर अपना कार्यालय रख सकती है;

[श्री कमलासिंह यादव]

(ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल, औषधालय, निर्धन-गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण-गृह, या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का, जो एक मात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियंत्रण रख सकती है,"

तो यह जो ३७ (२) (क) निकालने की बात है जिसमें छावनी बोर्ड का भी जिक्र है। यू० पी० सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत यह बोर्ड नहीं है। वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधिकार की चीज है। जहां कहीं छावनी बोर्ड के अधिकार का प्रश्न आयेगा वह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित होगा। इसके बारे में जो आर्डिनेंस निकाला गया, राज्यपाल ने जो आर्डिनेंस निकाला उसमें भी राष्ट्रपति से उन्होंने स्वीकृति नहीं ली है और सदन में जो यह बिल आया है उसके लिये भी प्रेसीडेंट की कन्सेन्ट नहीं ली गई है। जब तक कि उनकी कन्सेन्ट न ली जाय ऐसा कोई विधेयक सदन में विचारार्थ नहीं आ सकता। छावनी क्षेत्र का सम्बन्ध सेन्ट्रल गवर्नमेंट से होता है।

श्री अध्यक्ष--

यह जो आप की बहस है वह जब खंडों पर विचार होगा उस वक्त हो सकती है।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं खंडवाइज नहीं कह रहा हूं यह तो पूरे बिल की बात है, अगर इसमें एक भी सेक्शन ऐसा होगा जो छावनी से सम्बन्धित होगा और वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की चीज है जहां के लिए स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना सकती।

श्री अध्यक्ष--

नियम यह है कि यदि किसी विधेयक का कोई खंड आपत्तिजनक हो या इस सदन के क्षेत्राधिकार के बाहर हो, तो उसके कारण पूरा विधेयक अस्वीकार नहीं हो सकता है। अतः जब हम उस खंड पर आयेंगे और इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि यह अनियमित है तो निकाल देंगे, लेकिन यह अनियमितता है अथवा नहीं इस प्रश्न को सदन तय करेगा। हम अदालत बन कर यह तय नहीं कर सकते हैं कि यह हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है। तो जब यह खंड आयेगा, उस पर हम विचार कर लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, लोक सभा में रूलिंग हो चुकी है कि लेजिस्लेशन के बारे में आप कोई अपनी व्यवस्था नहीं दे सकते हैं।

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों एक अध्यादेश हमारे विभाग के जरिये से निकला था और वह इस उद्देश्य से निकाला था कि चूंकि जुलाई का महीना जा रहा था, टीचर्स भरती करने की बात थी। ऐसा आभास हो रहा था कि हमारे चुनाव की जो पद्धति है वह असन्तोषजनक है। ऐसा होता था कि गलत किस्म के लोग सिलेक्ट कर लिये जाया करते थे। हम यह चाहते थे कि कुछ स्कूलों के एक्सपर्ट के जरिये हम टीचर्स का चुनाव करवावे चूंकि टाइम बहुत कम था। एक यह वजह थी और दूसरी वजह जो थी वह यह है कि मौजूदा कानून या क्षेत्र समिति का जो अधिनियम है, उसमें वह प्रौविजन है कि क्षेत्र-समिति का हेडक्वार्टर, जिसको क्षेत्र समिति चुनेगी, उसके बावजूद भी सरकार को एप्रुवल हुआ करती है। कुछ दिनों पहले एक रिट भी हो गयी थी उसमें इस सवाल को उठाया गया और उसमें यह फैसला हो गया कि बी०

डी०सी० को अख्तियार है कि अपनी इच्छानुसार वह अपना केन्द्र चुने। इन दोनों दिक्कतों की वजह से अध्यादेश को लाये हैं।

इस मौजूदा विधेयक में ५–६ बातें बड़ी जरूरी हैं, जिनका मैं संक्षेप में जिक्र करता हूं। एक तो यह कि क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के हेडक्वार्टर्स कैसे तय हों। मौजूदा कानून में यह है कि बी० डी० सी० अपनी जुरिस्डिक्शन के अन्दर हेडक्वार्टर बनायेगा, इससे कुछ गलतफहमी हुयी। बी० डी० सी० को ही राइट है कि वह अपने हेडक्वार्टर को जहां चाहें, रखें। इस विधेयक द्वारा उसको दूर किया गया है। जहां तक जिला परिषदों के हेड-क्वार्टर का सम्बन्ध है इसमें आगे के बचाव के लिये प्राविधान किया गया है। उसको बदलने का सवाल नहीं है। जिला परिषदों के हेडक्वार्टर बदलने का कोई सवाल नहीं है और न गवर्नमेंट का ही कोई इरादा है। केवल एहतियात की दृष्टि से एक क्लाज रख दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो मौजूदा ब्लाक हैं, उनकी तादाद इस समय ८७५ है। यह ब्लाक कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं। इन ब्लाकों को रेशनलाइजेशन करने का विचार है। हमारी बहुत-सी तहसीलें ऐसी भी हैं जिनमें ९–१० ब्लाक बन गये हैं। तो क्षेत्र समिति की जिन्दगी हमने इस विधेयक के जरिये कायम की है। इसमें यह प्राविधान कर दिया गया है कि अगर किसी ब्लाक की बाउन्ड्री को तोड़ा जाय तो उस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न हो सके। तीसरी बात यह है कि जब कोई ब्लाक टूटेगा तो उस टूटे हुए हिस्से के मेम्बर्स का क्या होगा। वहां कोआपटेड हरिजन मेम्बर्स भी हैं, कोआपरेटिव के मेम्बर्स भी हैं और कई सदस्य कोआप्ट होते हैं इनके हटने से डेवलपमेंट ऐक्टीविटी न रुक जाय। हमारा लक्ष्य भी यह है कि डेवलपमेंट के कामों को करायें और जो लीडरशिप पैदा हो रही है, उसका ह्रास न हो। इस लिये हमने यह क्लाज इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो टूटा हुआ हिस्सा ब्लाक को मिलाया जाय उसमें प्रमुख आते हैं तो वे मेम्बर्स बन जायं, हरिजन कोआपटेड मेम्बर हों वे भी मेम्बर बन जायं। यह भी लिखा गया है कि जिला परिषद् की जहां तक मेम्बरशिप का ताल्लुक है, उसमें कोई तबदीली नहीं होगी, ब्लाक टूट सकता है, जिला परिषद् के मेम्बर वे बने रहेंगे।

एक और प्रोवीजन किया है। अक्सर अविश्वास के रिजोल्यूशन पेश हुये हैं, करीब ६० रिजोल्यूशन्स बी० डी० सी० की मीटिंग्स में पेश हुये हैं कुछ पास भी हुये। अभी तक यह नियम है कि अगर मीटिंग के समय पर प्रेसाइडिंग अफसर न पहुंच सके तो रिजोल्यूशन खत्म हो गया। और अगर फिर रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं तो फिर से दस्तखत करायें। इस कमी को दूर करने के लिये हमने यह प्रौवीजन किया है कि मीटिंग के समय निर्धारित समय के अन्दर अफसर पहुंच जाय तो मीटिंग होगी, लेकिन अगर न पहुंच तो मीटिंग एडजर्न हो जायगी और उन मेम्बरों को दोबारा वह कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी और प्रेसाइडिंग अफसर ३० दिन के अन्दर १० दिन की नोटिस में उस प्रस्ताव पर विचार करवा सकता है।

एक और भी प्रावीजन है कि अभी तक बी० डी० सी० की मीटिंग में हाथ उठाकर वोटिंग होती थी। यह खयाल हुआ कि नो कानफीडेंस में हाथ उठवाया जायगा तब इससे झगड़े बढ़ सकते हैं। अब सीक्रेट बैलट का प्रावीजन किया गया है कि नो-कानफीडेंस पर सीक्रेट बैलट होगा। एक और प्रावीजन, इस बात का किया गया है कि जो ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज के प्रमुख हैं और जो जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ एक साल के बाद नो-कानफीडेंस आ सकता था। मैं निवेदन करना चाहूंगा और आपको विदित भी है कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद के सम्बन्ध में विधेयक लाया गया था जो बाद में अधिनियम बना जिसमें इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि जिला परिषद् की पुरानी एक्टीविटीज पर जोर न देकर ज्यादा जोर डेवलपमेंटल ऐक्टीविटीज पर दें, विकास के कार्य पर खास-तौर पर कृषि के ऊपर ज्यादा जोर दें। होता यह है कि चुनाव की सरगर्मी एक-दो महीने के बाद खत्म हो जाती है और जब आठ-नौ महीने गुजर गये तो नो-कानफीडेंस का प्रस्ताव ले आते हैं। जिससे काम करने वाले दिल लगा कर काम नहीं कर पाते हैं। अब हमने यह

[श्री राममूर्ति]

प्रोवीजन किया है कि बजाय एक साल के दो साल का टर्म हो। चुनाव के दो साल बाद तक नो-कानफीडस प्रस्ताव न आये। उसके बाद लाया जा सकता है। एक और प्रोवीजन किया गया है। अवसर एम० एल० सीज ऐसे हैं जो इस असेम्बली से चुने गये हैं, उनका खयाल यह है कि वे सारे प्रदेश की सदस्यता करते हैं। किसी जिला परिषद् में जाकर वोट दे सकते हैं। हिन्दुस्तान में कहीं भी रोटेटिंग मेम्बरशिप नहीं है।

एक सदस्य—

सारे प्रदेश के मंत्री हैं उनको भी समझा दीजिये। गाजीपुर में अखाड़ा बना हुआ है।

श्री राममूर्ति—

मैं किसी जिले का नाम नहीं ले रहा हूं। इस रोटेटिंग मेम्बरशिप को खत्म करने के लिये यह किया जा रहा है कि हर एम० एल० सी० नामिनेशन पेपर भरते समय पर्चे में जो एड्रेस लिखेंगे घर का, वही उनका जिला माना जायगा और उस जिला परिषद् के अन्दर ही वह वोट दे सकेंगे और जिस बी० डी० सी० को चुन लेंगे वही वोट दे सकेंगे, हर जगह वोट नहीं दे सकेंगे।

एक प्राविजन सिलेक्शन कमेटी के बारे में बनाया गया है। आगे जो हमारी जिला परिषदों में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के मास्टर चुने जायंगे उनके लिये एक कमेटी बनेगी जिसमें एजूकेशन एक्सपर्टस होंगे। इस समिति के प्रेसीडेंट तो जिला परिषद के अध्यक्ष ही होंगे बाकी सदस्य सरकारी अफसरान होंगे और वे एजूकेशन से सम्बन्धित हों गे। उसके लिये नियम बन रहे हैं ताकि चुनाव में पोलिटिकल प्रेशर न पड़े बल्कि काबलियत के आधार पर चुनाव हो सके।

एक प्रोविजन और किया गया है। अभी तक जिला परिषद् के अध्यक्ष, प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्य पबलिक सर्वेन्ट नहीं माने जाते थे। हिन्दुस्तान में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां वे पब्लिक सर्वेन्ट माने जाते हैं। हमने भी तय किया है कि उनको पब्लिक सर्वेन्ट माना जाय। इस से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और साथ-साथ उनको खुद भी इस बात का खयाल पैदा होगा कि वे गलत काम न करें। वे अपनी डयूटीज का अन्जाम आजादी के साथ तथा कानून के साथ... (व्यवधान)। बी० डी० सी० के मेम्बरान, जिला परिषद् के मेम्बरान भी पब्लिक सर्वेन्ट माने जायेंगे ताकि वे जिम्मेदारी महसूस कर सकें और उनके काम में कोई हस्तक्षेप न कर सके।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या जिला परिषदों के अध्यक्षों ने आपके पास कोई प्रस्ताव भेजा है एजूकेशन एक्सपर्ट्स जो कमेटी आप बनाने जा रहे हैं, उससे उनकी पावर्स को आप करटेल करने जा रहे हैं।

श्री राममूर्ति—

आपने शायद गौर से नहीं सुना। मैंने यह अर्ज किया था कि शिक्षा विभाग का ऐसा खयाल है कि अच्छे टीचर्स का चुनाव नहीं हो पाता है। शिक्षा का विभाग सबसे जरूरी विभाग है और इसलिये हमारे शिक्षक भी अच्छे होने चाहिये, लेकिन शिक्षक वर्ग में फर्स्ट क्लास कम आते हैं। सैकिंड क्लास और थर्ड क्लास शिक्षक वर्ग में ज्यादा होते हैं। जब थर्ड क्लास पढ़ाने वाले होंगे तो पढ़ने वालों की हालत क्या होगी? उसे हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन, जितने जिला परिषद् और क्षेत्र समिति के टीचर्स हैं उनका तबादला कमेटी के अधीन होगा या वैसे ही रहेगा? इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है।

श्री राममूर्ति—

बाद में बात कर लीजिये।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ का अननुमोदन करता है।

जहां तक इस अध्यादेश का संबंध है . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय कमला सिंह जी, आप बहुत संक्षेप में बोलें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मुझे दो बार मौका मिलना चाहिये।

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, इस बिल पर बहस होते-होते माननीय कमलासिंह जी दस-बीस बार बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मेरा मतलब था कि वह संक्षेप में बोलें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, सबसे पहले मैं इस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय उसी स्थिति में कोई भी अध्यादेश जारी करेंगे जब उन्हें संतोष हो जाय कि ऐसी स्थिति है जिसमें फौरन कार्यवाही की जानी चाहिये। लेकिन जो अध्यादेश जारी किया गया है उसमें ९ दफायें हैं। उनके बारें में मैं जिक्र करना चाहता हूं। लेकिन इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर बहुत अर्जेन्ट एक्शन लेने की जरूरत हो। यह सदन ३० अप्रैल, १९६५ को उठा था और इसके बाद १५-७-६५ को अध्यादेश प्रोमुलगेट किया गया और २ अगस्त, १९६५ को सदन बुलाया गया। १५ जुलाई को चुनाव भी खत्म हो गये थे तो फिर समझ में नहीं आता कि १६ दिनों में क्या होने जा रहा था, जिसकी वजह से इसको जारी करने की जरूरत पड़ गई है। मैं समझता हूं कि १६ दिन बाद कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई ऐक्शन नहीं लेना था, जिसकी वजह से ऐसा अध्यादेश निकाला जाता जो निकाला गया है।

जहां तक इस अध्यादेश का संबंध है, पहले मैं उसकी धाराओं को लेना चाहता हूं। इस विधेयक में ६ धारायें और बढ़ा दी गई हैं। अध्यादेश में ९ धारायें हैं। एक धारा में जिला परिषद् के कार्यालय के स्थापित करने की बात है कि इसका कार्यालय कहां होगा। मैंने मंत्री जी का भाषण भी सुना। लेकिन उन्होंने कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं बताई कि कहां पर कार्यालय बदला जा रहा है जिसके लिये जरूरत थी कि यह अध्यादेश निकाला जाय।

दूसरी चीज यह है कि कार्यालय स्थापित करने के संबंध में जो भाषा दी गई है, उसमें यह है कि राज्य सरकार अपने हाथ में पावर रखना चाहती है। आजकल मंत्री लोग अपनी पार्टी के आपसी झगड़ों में लगे रहते हैं और विधेयक की तरफ ध्यान कम जाता है। इसलिये रौब गालिब करने के लिये यह कहा जाता है कि राज्य सरकार के पास पा-र रहे कि कोई भी कार्यालय चाहे जिला परिषद् का हो या क्षेत्र समिति का हो जहां वह निश्चित करेगी वहीं होगा। यह तो क्षेत्र समिति और जिला परिषद् को अधिकार होना चाहिये कि वे जहां चाहे अपने कार्यालय स्थापित करें। अगर उनके प्रस्ताव के ऊपर सरकार की स्वीकृति की बात होती तब तो मैं मान सकता था, लेकिन यकायक एकाधिकार इस चीज का लेना कि जहां सरकार चाहेगी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

वहीं पर कार्यालय स्थापित होगा यह बिलकुल अनुचित है। गांव सभाओं का भी हेडक्वार्टर खोलने का अधिकार वह अपने हाथ में ले लेते तो ज्यादा सुन्दर होता, ज्यादा अच्छा विकेन्द्रीकरण हो जाता, जैसी कि सरकार की उल्टी नीति हो रही है।

दूसरी चीज यह है कि दो एम० एल० सी० के लिये यह रखा गया कि उसका रेजीडेंस वही माना जायगा जो उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन की विज्ञप्ति में उल्लिखित हो। माननीय मंत्री जी ने सब जगह कुरुक्षेत्र बना रखा है। गाजीपुर जिला जहां पर गृह मंत्री अपने युद्ध करते रहे सारा जिला परेशान है, नतीजा यह हो गया कि गाजीपुर जिले में बलिया के लोग कूद पड़े और श्री जगन्नाथ सिंह एम० एल० सी० बुलाये गये। वह जिला परिषद् के मेम्बर हैं।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय कमला सिंह जी कह रहे हैं कि बलिया के लोग कूद पड़े। उनको बुलाया गया आदर के साथ, निमंत्रण दिया गया तब वह गये।

(इस समय १२ बजकर ५४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

श्री कमलासिंह यादव--

पहले बलिया गाजीपुर के अन्डर में था। जज गाजीपुर का रहता था उसी के अन्डर में बलिया भी था।

विधेयक की धारा ३० इस प्रकार है--

"धारा ६ तथा १८ के प्रयोजनों के लिये राज्य सभा या राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवास-स्थान वही समझा जायगा जो उस सदस्य ने राज्य सभा अथवा राज्य विधान परिषद् जिसका वह सदस्य हो, के अधिवेशनों में उपस्थिति के निमित्त की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रिक भत्ता वसूल करने के लिये व्यक्त किया हो।" इसमें यह दिया हुआ है कि जो यात्रा करेंगे अधिवेशन के समय में, मुख्यालय जहां देंगे, वही निवास स्थान माना जायगा। अब मैं धारा १८ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं मंत्री जी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं धारा १८ में यह दिया हुआ है--राज्य सभा तथा विधान सभा के वह सदस्य जिनका निवास स्थान जिले में स्थित हो, तो श्रीमन् जो कि जिले में रहने वाले लोग हैं उनका निवास स्थान वैसे ही तय था, लेकिन फिर भी यहां पर यह एनामली पैदा की गई है। तो मैं जिक्र कर रहा था, इतना ही कहना काफी होगा कि कम से कम कुरुक्षेत्र जिले बन रहे थे, कानून के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि कोई भी एम० एल० सी० जिस जिले का निवासी होगा, उस जिले का वह मेम्बर हो सकेगा। किन्तु इस तरह से वह जहां भी जाये निवास स्थान बना कर वह टी० ए० के रूप में लेगा, क्योंकि वही निवास स्थान माना जाएगा। इस प्रकार सेक्रेटरी जितने हैं, हमारे जिले में दुर्भाग्य से सेक्रेटरियों का चुनाव हो रहा था, हमारे लोगों पर यह बीती कि गृह मंत्री जी वहां पर भी मंत्री हो गये तथा कुछ ऐसा मालूम हुआ कि इतने इन्ट्रेस्टेड थे अपने रिश्तेदार के बारे में कि मजबूरी में वहां पर कुरुक्षेत्र पैदा किया गया था तथा अब भी वहां के लोग चैन से नहीं रह रहे हैं। आखिर में इसके लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं कि कम से कम गाजीपुर जिले में जो दिक्कत थी, हम लोगों की उसको दूर कर दिया।

अब दूसरी चीज है कि जो 'अधिकारी' हैं जिनका नाम पहले 'अधीक्षक' वगैरह था, के बारे में यह नहीं बताया गया है कि 'अधीक्षक' और 'अधिकारी' में जो परिवर्तन किया गया है, उसका क्या कारण है। मैं तो समझ नहीं पाया, मैं तो इतना ही समझ पाया कि और जो यहां के विभागीय कर्मचारी हैं उनके नाम के आगे 'अधिकारी' लगा हुआ है। इसलिये उनके नाम के

आगे भी अधिकारी रख दिया जाये। मेरी समझ में नहीं आता कि 'अधिकारी' शब्द क्यों रखा जा रहा है 'अधीक्षक' को हटा कर। श्रीमन्, इसमें एक बहुत बड़ी पावर सरकार लेने जा रही है और मैं समझता हूं कि यह जिला परिषद् तथा क्षेत्र समितियों के अधिकारों का हनन करना होगा। इसके अतिरिक्त जो अधिकारी और कर्मचारी जिला परिषद् के होंगे उनके बारे में अपने हाथ में ताकत ले ली है, पदेन अधिकारियों के स्थान पर भी दूसरे अधिकारी चुने जा सकते हैं और उनको भी मौका होगा कि जिला परिषदों में रहकर वे भी ऐसा काम करेंगे जैसा वे कर रहे थे। इतना ही नहीं इसके साथ-साथ जिला परिषद् क्षेत्र या समिति किसी पद को नहीं भी चाहेगी, किन्तु अगर सरकार चाहेगी और इस विचार पर दृढ़ रहेगी कि फलां पोस्ट जरूरी है तो उसके लिये वह आदेश देगी और श्रीमन्, नियुक्ति किसी की भी कर सकती है। और यह भी है कि बिना सरकार की स्वीकृति के कोई भी जिला परिषद् और क्षेत्र समिति उन्हें निकाल नहीं सकती है, उनकी सेवायें नहीं समाप्त कर सकती है। तो इस तरह हम यह देख रहे हैं कि जो अधिकार जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों के थे वह अधिकार सब सरकार के हाथ में चले आ रहे हैं। दूसरी चीज यह कि अध्यापकों के लिये दो समितियां बनाई जा रही हैं। एक तो शिक्षा चुनाव समिति है और दूसरी नियुक्ति समिति है। चुनाव समिति में जो तीन सदस्य होते हैं वह काम अब शिक्षा चुनाव समिति करने जा रही है जिसके द्वारा शिक्षकों का चुनाव सरकार करायेगी। जो चुनाव किसी समिति के होते हैं उसमें पक्षपात को छोड़ कर और कुछ होता नहीं है और उसमें भी जो चुनाव समितियों का हो रहा है, उसमें भी पक्षपात को छोड़ कर और कुछ नहीं है। अभी आप अखबारों में पढ़े होंगे कि जो ऐडवर्टाइजमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट के होते हैं उसमें मेरिट के आधार पर चुनाव होता है। न इंटरव्यू और न बोर्ड के सामने जाने की बात है, मार्क्स के आधार पर प्रायरिटी दे दी जाती है। डाक्टरी फिटनेस के बाद ऐसे लोग मार्क्स के आधार पर लिये जाते हैं, नियुक्त हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें भी मेरिट के बल पर प्रायिरटी हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरी चीज चुनाव की है, इसमें अध्यक्ष के बारे में है कि अगर चुनाव में न्याय नहीं किया गया है तो अध्यक्ष को टिप्पणी करने का अधिकार है। वह मंडलायुक्त के पास उसे भेजेगा। मंडलायुक्त समझ में नहीं आता कि क्या मल्टीपरपज आदमी है? दो तरह के निर्णय उसमें होंगे। एक तो शिक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में और दूसरे शिक्षक समिति के चुनाव के बारे में। चुनाव की जहां तक बात है उसमें कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो उसको अधिकार होना चाहिए कि वह डिप्टी डाइरेक्टर के पास भेजे और नियुक्ति के सम्बन्ध में हो तो मंडलायुक्त के पास भेजी जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि शिक्षा सम्बन्धी मामले शिक्षा अधिकारी के पास जाना चाहिये और नियुक्ति के सम्बन्ध में जो हो वह मंडलायुक्त के पास चली जावे तो उसमें सारी अनामलीज दूर हो जावेंगी। एक बात और है। २०० रुपये तक के जो अधिकारी होंगे उनके चुनाव की व्यवस्था इसके अन्दर की गई है। इसके अन्दर यह भी बताया गया है कि जितने लोक सेवा आयोग, अथवा आयोग अथवा चुनाव बोर्ड के द्वारा चुनाव होंगे उनके लिये नियम, उपनियम बनाये जायंगे जिनके अन्तर्गत वे चुनाव होंगे। मैं इसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो छूट इस विधेयक के द्वारा दी गई है वह ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि इसके अन्दर आपने यह दिया है कि किसी आदमी को परिषद् अगर चाहे तो वह चुन सकती है और २ साल तक के लिये उसको चुनने की पावर दी गई है। इसका नतीजा यह होगा कि वही दिक्कत फिर भी जारी रहेगी। इसलिये मैं मन्त्री जी से चहता हूं कि जो विधान आपका बना हुआ है उसी विधान के अनुसार चुनाव हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर इस तरह से छूट बराबर देते रहेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी। मेरा यह खयाल है कि यह माननीय मंत्री जी की कमजोरी है।

जब पहले जिला परिषद् का विधेयक बनाया गया था तो उस वक्त ही ऐसे नियम बना देने चाहिये थे कि इसका कार्याधिकारी या दूसरे अधिकारियों का चुनाव किस तरह से होगा।

[श्री कमलासिंह यादव]

इसके नियम बना देने चाहिये थे, लेकिन यह सरकार खुद ही बनाना नहीं चाहती है और जिस तरह से पहले का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बना हुआ था उसी तरह से यह सरकार करना चाहती है। उस विधेयक को यहां से पास हुये कई साल हो गये लेकिन आज तक आपके अधिकारियों की नियुक्ति के विषय में नियम नहीं बन सके हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह का प्राविजन बनाना कि जिला परिषद् एक साल के लिए चुन ले या २ साल के लिये चुन ले उचित नहीं है। कोई भी अधिकारी अगर चुनना है तो उसके लिये फौरन् नियम बनाये जायं और फिर उन नियमों के मुताबिक जल्द से जल्द चुनाव हों। अगर इस तरह की दिक्कत इसमें रहेगी तो लड़ाई होती रहेगी। जैसा हम यहां पर विधान सभा में देखते हैं वैसा ही जिला परिषदों में भी होगा इसका नतीजा यह होगा कि जितनी भी क्षेत्र समितियां हैं उनमें यह झगड़ा फैलेगा। माननीय मंत्री जी एक तरफ तो विकास करना चाहते हैं और विकास की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ डेवलपमेंट के कार्यों में सब का सहयोग चाहते हैं। जब वह खुदही इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं तो झगड़ा पैदा होगा और सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इसलिये मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहां तक नियमों का सम्बन्ध है अधिकारियों के चुनाव के उन नियमों को जल्द से जल्द बनायें ताकि चुनावों को जो यह छूट दी जा रही है न दी जा सके। पब्लिक सर्विस कमीशन की बगैर स्वीकृति के उनको दो साल के लिये रखना उचित नहीं है। इस तरह से छूट देना कि जिसको चाहें चुन लें और जिसकी मेजारिटी हो उस को चुन लें उचित नहीं है। इस तरह से यह होगा कि जिसको चाहेंगे रखेंगे और जिसको नहीं चाहेंगे निकाल देंगे।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा ८ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें रिआर्गनाइजेशन मन्त्री जी करने जा रहे हैं। रिआर्गनाइजेशन में मंत्री जी ने व्यवस्था की है कि प्रमुख और उसके जो दूसरे सदस्य होंगे वे आटोमेटिकली दूसरे ब्लाक के सदस्य बन जायंगे और प्रमुख जिला परिषद का मेम्बर हो जायगा और उसे वोट देने का अधिकार होगा। तो प्रमुख वहां का पदेन सदस्य है और उप प्रमुख भी पदेन सदस्य है और वह प्रधानी से इस्तीफा देकर वहां जाता है। तो जब आप प्रमुख को सदस्य बनाने जा रहे हैं तो उप प्रमुख ने आप का क्या बिगाड़ा है? उसे आप सदस्य क्यों नहीं बनाते? मैं तो समझता हूं कि अगर आप को न्याय करना है तो प्रमुख और उपप्रमुख दोनों को सदस्य बनाना चाहिये।

इसके अलावा कोई भी आदमी ब्लाक समाप्त होने के बाद अगर प्रमुख है तो जिला परिषद् में वोट देने का अधिकार कैसे रख सकता है यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। यह नहीं होना चाहिये।

अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था की कि अगर प्रेसाइडिंग अफसर वहां नहीं पहुंचेगा तो वह बैठक एडजर्न हो जायगी और उसको क्लाज ५ में दिया गया है कि मीटिंग एडजर्न किसी भी कीमत पर नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि अधिकारी की गलती के करण जो बैठक के स्थगित होने का प्राविजन रखा गया है, वह उचित नहीं है, इसे नहीं रखना चाहिये। अगर जिला परिषद् के पूरे सदस्य न आ सकें अथवा उस की व्यवस्था पूरी न हो सकी हो तो तभी बैठक स्थगित होनी चाहिये। एक बात के लिए मैं अवश्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और वह यह है कि अभी तक हाथ उठा कर वोट लिये जाते थे। उस के कारण बहुत से भले आदमी चुनाव में खड़े होने का साहस नहीं करते थे। अब गुप्त मतदान की व्यवस्था मंत्री जी ने इसमें की है। यह बहुत अच्छी प्रणाली है और इसके कारण अच्छे आदमी भी चुनाव में आ सकेंगे। डंडे के बल से जो चुनाव होते थे उनका अब खात्मा होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि नियमों के अनुसार ११ बजे वोटिंग होनी चाहिये। अगर इसका कड़े तौर से पालन किया गया तो बहुत से व्यक्तियों को वोट देने का अवसर ही नहीं मिल पायेगा। इसके लिये इस हेतु काफी समय दिया जाना चाहिये ताकि सभी लोग अपना वोट कास्ट कर सकें। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने नियमों के अन्दर या उपविधियों में ऐसा संशोधन ले आवें ताकि जितने मेम्बर आवें, वह बिला दबाव के

आवें और अपनी राय दें कि परिषद के प्रमुख के खिलाफ विश्वास है या अविश्वास है । यह व्यवस्था ज्यादा सुन्दर होगी और स्थायी भी होगी ।

इसके बाद एक साल के बजाय २ साल का कार्य-काल किया गया है । जहां तक पार्टी का संबंध है, उसमें तो मैं बहुत नहीं जाना चाहता, लेकिन दिक्कत हमारे सामने है । मंत्री जी परिचित होंगे कि १ साल के बजाय २ साल रखने से ध्येय की पूर्ति नहीं होती । कोई भी चाहे जिले का अध्यक्ष हो या प्रमुख हो इनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव होता है तो कम से कम दो तिहाई आदमी जरूर होने चाहिये । जब तक दो तिहाई न हों तो किसी कीमत पर उचित नहीं होगा । पांडेय जी कोआपरेटिव में थे और राममूर्ति जी भी थे, उन्होंने भी रखा कि दो तिहाई मेजारिटी से ही बाईलाज का परिवर्तन होना चाहिए । तो दो तिहाई की मेजारिटी से प्रस्ताव हो जाय तो सुन्दर होगा ।

जहां तक पब्लिक सर्वेंट का सवाल है, कोई आदमी आफिस में जाता है तो दुनिया भर की दिक्कत पैदा हो सकती है । सबसे बड़ी बात पब्लिक सर्वेंट बनाने में यह है कि कोई आदमी झूठा इस्तगासा जिला परिषद के या क्षेत्र समिति के किसी सदस्य के खिलाफ दायर करता था तो सिम्पिल इंजरी होने के बाद पंचायत में मामला भेज दिया जाता था । लेकिन आपने पब्लिक सर्वेंट का नामिनेशन किया है, या खिताब दिया है उसका फल यह होगा कि पंचायत में जो हम उम्मीद करते थे कि ऐसी जगहों में यानी पंचायतों में जहां ऐसा खयाल है कि बेईमानी या पक्षपात होता है, मैंने नहीं कहा, लेकिन ऐसा खयाल है कि वहां न्याय नहीं मिल सकेगा, पब्लिक सर्वेंट को आज प्रोटेक्शन मिल गया है । अगर कोई झूठा मुकदमा दायर करता है तो कम से कम यह होगा कि न्याय पंचायत में वह चीज नहीं जायगी । ऊपर के लेविल तक रहेगी, यह बहुत अच्छी चीज है ।

एक बात और है, मंत्री जी जरा समझा दें, मेरी समझ में नहीं आयी । धारा १४ में दिया हुआ है प्रतिबन्ध के रूप में कि जहां पर अबालीशन आफ जमींदारी नहीं हुआ है उस जगह जो स्थानीय कर आरोपित या वसूल करने की व्यवस्था है वह उसी तरीके पर वसूल होते रहेंगे । अगर इसमें स्पष्ट नीति बतला दें कि क्यों लाया गया तो मैं बड़ा आभारी हूंगा ।

मैंने इसमें अपनी बातें और इस बिल में जो खामियां थीं, उनको रखा है । अगर मंत्री जी उस पर विचार करेंगे तो यह अधिक सुन्दर हो सकेगा और अच्छे तरीके से अमल में लोग ला सकेंगे और डेवलपमेंट के कार्य में जो चीजें पैदा होती हैं उन्हें भी हम दूर कर सकेंगे ।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं अपना प्रस्ताव रखूं, एक बात के बारे में व्यवस्था चाहता हूं । वह यह है कि मैंने जो प्रस्ताव दिया था मैंने उसमें १० दिन का समय दिया था प्रवर समिति में रिपोर्ट देने का । कारण स्पष्ट है कि अगर १ महीना होता तो आर्डिनेंस लैप्स हो जायगा और विधेयक नहीं बन पायेगा, जैसा कि मंत्री जी कहते ह । तो जैसी आप आज्ञा दें, मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करूं ?

श्री अधिष्ठाता—

१० दिन वाले पर ही बोलिये ।

श्री रक्षपालसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय तो अपना प्रतिवेदन १० दिन के अन्दर दे दे ।

(समिति के सदस्यों की सूची बाद में दी जायगी ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रक्षपालसिंह]

श्रीमन्, जो विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ, उसमें दो प्रकार की बातें हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो बहुत आवश्यक हैं जो होनी चाहिएं, परन्तु कुछ ऐसी हैं जिसके बारे में विवाद है कि वह ठीक हैं या नहीं, प्रजातंत्र के नियमों के अनुसार हैं या नहीं। मैं क्रम से ४-५ बातों के बारे में कहूंगा। पहली बात यह है कि ब्लाक के कार्यालय के बारे में सरकार ने सारा अधिकार अपने में निहित रखा है और उसके अन्तर्गत व्यवस्था के सम्बन्ध में द्विविधा उत्पन्न हो जाती है। प्रमुख की राय नहीं ली गयी है। तो ऐसा देखने में आया है कि जहां पर विशिष्ट लोगों के रहने के स्थान हैं वहीं पर औषधालय और अन्य कार्यालय आदि हो जाते हैं। फतेहपुर में बेलियानी और मिटौरा दो विकास खंड कार्यालय १ मील के फासले पर ही कायम कर दिये गये और शिकायत होने पर बाद में बेलियानी को तोड़ा गया। सरकार द्वारा कार्यालय केन्द्र में नहीं थे, क्षेत्रीय प्रभावशाली लोगों की संस्तुति पर खोल दिये गये। तो कायदे से यह चाहिए था कि सरकार ब्लाक समिति का प्रस्ताव लेती और तब सरकार उस पर स्वीकृति देती। जहां पर कार्यालय होना है वहां पर पहले क्षेत्र समिति का प्रस्ताव होना चाहिए।

विधेयक में यह भी कहा गया है कि क्षेत्र समिति का कार्यकाल समाप्त कर सकेंगे। उसमें है .क "प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में खंडों का पुनःसंघटन करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टकर है, तो वह बजट में विज्ञप्ति द्वारा सभी या किन्हीं क्षेत्र समितियों का कार्यकाल समाप्त कर सकती है।" तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसमें परिवर्तन होना जरूरी है।

इसमें अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में जो व्यवस्था की गई है वह भी ठीक नहीं है। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि यदि अधिकारी बैठक में न जायं तो बैठक स्थगित होनी चाहिये। वैसे तो अधिकारी को उपस्थित रहना ही चाहिये, मगर मान लीजिये कोई ऐसी परिस्थिति आ जाय जिसकी वजह से वह न आ पाये, तो मीटिंग स्थगित हो जानी चाहिये। अधिकारी की उपस्थिति में ही मतदान हो सकता है। एक विकास खंड में मैंने देखा कि आफिसर मौजूद थे, किन्तु बाहर खड़े रहे, मीटिंग में नहीं आये। जब उन्हें पता चला कि अविश्वास का प्रस्ताव पास करने के लिये सब आदमी आ गये, तो वे उपस्थित हुये। तब उन्होंने मीटिंग कर ली। इसलिये यह तो जरूरी होना चाहिये कि अगर अधिकारी वहां न पहुंच पायें तो मीटिंग स्थगित हो जानी चाहिये और उस प्रस्ताव को पेश करने के लिये दूसरा अवसर दिया जाना चाहिये। गुप्त मतदान की जो व्यवस्था की गयी है, वह ठीक है। किन्तु इसमें जो व्यवस्था की गयी है कि प्रमुख के खिलाफ तथा अध्यक्ष के खिलफ दो वर्ष तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकेगा इससे मैं सहमत नहीं हूं। इनका चुनाव, श्रीमन्, अप्रत्यक्ष होता है। इसमें थोड़े से ही सदस्य मतदान में भाग लेते हैं। देखा गया है कि बहुत से लोग जातिवाद के आधार पर, आतंक के डर से, कुछ लालच आदि देकर भी आ गए हैं और उन्होंने वोट प्राप्त किए हैं। अगर ऐसे लोग आ जायं और दो वर्ष तक उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव न आ सके, तो इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग रुपया खर्च करके आते हैं वे यह कोशिश करते हैं कि किसी तरह से यह रुपया निकाला जाय। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो आते ही अपनी हरकत शुरु कर दे, तो उस को निकाला जाना चाहिये। इसलिये, जैसा कि म्युनिसिपैलिटी में आपने रखा है, यह समय दो साल की जगह एक वर्ष का होना चाहिये।

चुनाव समितियों के निर्माण के संबंध में भी परिवर्त्तन करने की जरूरत है। वास्तव में चुनाव समिति में, जो जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव करती है, परिवर्तन करने के लिये ही अध्यादेश लाया गया था और अब यह विधेयक लाया गया है। यह बात सत्य है कि जिन स्थानों पर अध्यक्षों के चुनाव हुये हैं वे मन माने ढंग पर, योग्यता को ध्यान में न रखते हुये, हुये हैं। और यह भी देखने में आया कि इस प्रकार के जो अस्थायी अध्यापक थे, उनमें से दो-दो, तीन-तीन चार-चार सौ अध्यापक निकाले भी गए और उनके वेतन का प्रश्न भी यहां उठाया जाता रहा है, फिर उसके बाद वहां उन्होंने अपने मनमाने ढंग पर चाहे पैसे के आधार पर, चाहे सिफारिश, के आधार पर अध्यापक रख लिये। तो उसमें अंकुश रखने की बात जो है वह तो ठीक है।

इस सम्बन्ध में जो प्राविधान है वह बिलकुल ठीक है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। परन्तु एक प्रश्न मुख्य रूप से यहां उपस्थित होता है। क्या इस ढंग से जो परिवर्तन हो रहा है, वह हमारे कुछ सरकारी कर्मचारियों के हाथ में शक्ति देने वाला है या वास्तव में हमारे लोक तंत्र और विकेन्द्रीकरण की नीति के अन्दर किये गये क्षेत्र समिति के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला परिवर्तन है ? तो दोनों ही बातों पर ध्यान देना होगा। क्षेत्र समिति और जिला परिषद के अन्तर्गत नियुक्तियों में मननानी करने की बात पहले चाहे रही हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाली बात अलग है, परन्तु अब नियुक्तियों में अध्यक्ष जैसा चाहेंगे कर लेंगे ऐसी बात नहीं है।

यहां तक कि जो अनट्रेन्ड अध्यापकों की बात है, उसके बारे में भी चुनाव समिति बनी हुई है नियमित रूप से निर्वाचित समितियों द्वारा वह होता है। कुछ जिलों के अन्दर हो सकता है कि बड़े तीसमार खां अध्यक्ष हों और वह बिलकुल किसी की परवाह न करते हों परन्तु जहां पर जिला परिषद है वहां उसके द्वारा बनाये गए नियमों के अन्तर्गत चुनाव समिति निर्मित करने की व्यवस्था की गई है। तो उसमें श्रीमान् अध्यक्ष और दो आदमी और हैं जो सब सदस्यों से चुने जायेंगे। यह तीन आदमियों की चुनाव समिति है और उसके बारे में यहां से अगर आप देखें तो गवर्नमेन्ट का जी० ओ० भी अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में गया है कमला सिंह जिस पर नाराज हो रहे थे, लेकिन मेरे जिले फतेहपुर में गया है तो गाजीपुर में भी जरूर गया होगा। उसमें यह है कि अध्यापकों की नियुक्ति में ६५ प्रतिशत साइंस के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाय और ३५ परसेंट में आर्ट्स और कामर्स के रखे जांय और उसमें साफ साफ यह है कि योग्यता के आधार पर ही लिये जांय और कई स्थानों पर जहां ईमानदारी से काम करने वाले हैं वहां यह बात हुई भी है। एक भी नाम ऐसा नहीं मिल सकता कि योग्यता और साइंस के आधार पर न लिये गए हों। परन्तु ऐसे भी स्थान मिलेंगे जहां इसका उलटा हुआ है। वैसे तो इसमें सारे का सारा अधिकार माननीय मंत्री जी और राज्य सरकार में लेने की बात है परन्तु जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है डी० आई० ओ० एस० को उसमें रखने की बात है और डी० आई० उसका सेक्रेटरी होगा तथा दो एक और सदस्य तथा नार्मल स्कूल का मास्टर इतने लोगों को उसमें रखने की बात है। तो क्या इन लोगों के द्वारा जो अभी तक नियुक्ति हुई है वह सब ठीक ही हुई है। मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। डाइरेक्टर के आफिस से जो लोग योग्यता के आधार पर उपयुक्त नहीं थे, उनके भी नाम भेजे गये हैं। कार्यालय के अन्दर पैसा लेकर वह नाम रखे गये हैं और उनको ऊपर से थोप दिया गया है। यद्यपि एक स्कूल के अन्दर केवल एक ही नाम भेजने का अधिकार उनको प्राप्त था तो भी उसका अतिक्रमण करके करीब दस दस और बारह बारह नाम भेजे गये हैं। थर्ड क्लास हाई स्कूल और जो योग्यता में नहीं आते थे उन लोगों के नाम डाइरेक्टर आफिस से भेजे गये। तो डी० आई० ओ० एस०, डी० आई० और नार्मल स्कूल के मास्टर के रखे जाने से जैसी कि माननीय मंत्री जी की इच्छा है, सारे के सारे योग्य आदमी कैसे हो जायंगे, यह विचारणीय बात है।

श्रीमन्, एक शिक्षा चुनाव समिति भी बनायी गयी है। जहां तक विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है हर एक जिले में बटवारा हो गया है, हर विभाग का बटवारा है। स्वास्थ्य का काम स्वास्थ्य समिति देखती है, शिक्षा का शिक्षा समिति और अन्य कामों को वित्त समिति देखती है। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि शिक्षा चुनाव समिति का अध्यक्ष आपकी समिति में रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार अनेक जिलों में फैला हुआ है, उसका आपने क्या प्रबन्ध किया है ? जहां भी अधिकार है वहां उसका दुरुपयोग होता है। जहां-जहां नान आफीशियल्स से अत्याचार हुए हैं वहां-वहां आप उनके अधिकार छीन रहे हैं और सरकारी अधिकारियों को अधिकार दिये जा रहे हैं। अगर आप उनको अधिकार देंगे तो वे भी अत्याचार करेंगे। जिसको ही आप यह कोटा परमिट का अधिकार देंगे वह ऐसा करेगा। अगर किसी को जबरदस्ती पैसा दिया जायगा तो वह उसको काटेगा तो नहीं। वास्तव में होना तो ऐसा चाहिये कि सलाहकार समिति नाम भेजे, अध्यक्ष उसको स्वीकार करे या न करे। लेकिन यहां तो अध्यक्ष केवल दस्तखत करेगा। चपरासी क्लर्कों के बारे में होता तो ठीक भी था, लेकिन यह जो अध्यापकों के बारे में रखा गया है वह उचित नहीं मालूम होता है। इस लिये उसके पास जो नाम आयेंगे उनको स्वीकार करने के लिये अध्यक्ष को मजबूरी नहीं होनी चाहिये। उसके

[श्री रक्षपालसिंह]

पास सजेशन्स आने चाहिये, डिस्क्रिशन उसका होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि उसको लिस्ट दे दी जाय। इसके अतिरिक्त यह भी ठीक नहीं है कि केवल इसी आधार पर चुने हुए आदमी को समाप्त कर दिया जाय। यह भी विचारणीय बात है।

इसके अतिरिक्त यह जो माननीय कमलासिंह जी ने अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है कमलासिंह जी ने कहा कि यह आवश्यक नहीं था। मेरा कहना यह है कि यह विधेयक जो आज यहां लाया गया है वह १५ दिन पहले लाया जा सकता था और उस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब चूंकि विधेयक आ ही गया है तो फिर उस आर्डिनेंस के अननुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। अतः मैं प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और वहां पर अपने अनुभव के आधार पर जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है।

*श्री उग्रसेन—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमलासिंह जी ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के अननुमोदन का जो प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, जब से यह क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम लागू हुआ, तब से आजतक सरकार के सामने या जनता के सामने या कर्मचारियों के सामने इस ऐक्ट के लागू होने के बाद जो जो कठिनाइयां आयीं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया और उसने उन पर बिलकुल ही गौर नहीं किया। जब यह पुराना अधिनियम बन रहा था तो हम लोगों ने सदन में भी और विरोधी पक्ष के सदस्य जो सेलेक्ट कमेटी में थे वहां भी उन्होंने बहुत सी रायें दी थीं। और जब यह अधिनियम लागू हुआ तो लागू होने के साथ ही बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जिले से ही आता हूं और मेरे जैसे सीधे सादे आदमी ने ऐसे कसम तो नहीं ले लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि जिला परिषद कार्यालय में मैंने आजतक कदम नहीं रखा और जब मुझसे कमिश्नर ने जवाब तलब किया कि आप मीटिंग में क्यों नहीं जाते हैं तो मैंने उनको एक लम्बी चौड़ी चिट्ठी लिखकर भेज दी कि जिस जिला परिषद का अध्यक्ष भ्रष्ट आचरण का हो वहां उग्रसेन जैसा गरीब आदमी जाकर कर ही क्या सकता है? मैं कम से कम उस पाप में भागीदार तो नहीं बनूंगा। माननीय मंत्री जी भी उसके भुक्तभोगी हैं और वे सारी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कहीं आपकी मदद के लिये ही तो माननीय मंत्री जी यह विधेयक नहीं लाये हैं?

श्री उग्रसेन—

जितना आगे हम कदम ले जाना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी उतना आगे नहीं ले जाते। माननीय मंत्री जी का ध्यान जिन बातों की तरफ नहीं गया है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरह की बंदिशें लगावें जिससे नियम विरुद्ध कोई काम न हो सके। जब यह अधिनियम पेश किया गया था तो उसके उद्देश्य और कारण में बतलाया गया था कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करने जा रहे हैं। हमारे प्रशासन की जो इकाई है उसका जनतांत्रिकरण हो रहा है, लेकिन जैसा कि हमें अनुभव हुआ है और सभी माननीय सदस्यों को इसका अनुभव हुआ होगा कि इसमें वही बात हुई कि "विषधर भरा कनक घट जैसे"। जैसे सोने के घड़े के अन्दर जहर भरा हो, उसी तरह का अनुभव हमें जिला परिषद और क्षेत्र समिति अधिनियम के अन्तर्गत मिला है। वहां हमें अमृत नहीं मिला जिसकी कि हम उम्मीद लगाये हुये थे। माननीय मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी जैसे कुछ लोग शंकर भगवान हो सकते हैं, जो जहर पी लें और उनका कंठ काला हो जाय और उनके ऊपर जहर का कोई असर न हो, लेकिन हम तो भुक्तभोगी हैं। इसका नतीजा सिवा इसके कि परिषदें दलगत राजनीति का अखाड़ा बनी हैं और कोई लाभ नहीं हुआ है।

इस विधेयक के संबंध में मेरा व्यक्तिगत भाष्य यही है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय कृष्णानन्द राय जी से जो सही-सही कहते हैं कि क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण इसके जरिये हुआ है? माननीय गोविन्द सहाय की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति नाम की एक कमेटी बनी थी, लेकिन इस बीच में वे यहां एक दिन भी दिखलायी नहीं दिये। वे बेचारे दिल्ली आने जाने में ही परेशान हैं। उस मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की थी कि गांव सभायें सक्षम हो ही नहीं सकतीं अपना काम चलाने में जब तक कि राजस्व का एक चौथाई संबंधित गांव सभा को न दे दिया जाय। मैंने इस संबंध में माननीय गोविन्द सहाय जी को उस दिन बधाई दी थी कि आपने बहुत अच्छा काम यह किया है, अगर सरकार इसको मान ले।

गांव सभाओं को मजबूत करने के लिये उसके राजस्व का एक चौथाई उसको मिलना चाहिये, लेकिन सरकार ने क्षेत्र समितियों के सभापति के पद पर ऐसे लोगों को बना दिया है कि इस काम में वे कहां तक मदद कर सकेंगे यह हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा खोखला जनतंत्र किस काम का? आज भी वहां बी०डी०ओ० की ही बात चलती है और मुख्य कार्याधिकारी वही है। उनकी सेवाओं का प्रांतीयकरण हो गया कि अगर कोई देवरिया का है तो मेरठ चला जायगा, लेकिन सेक्रेटरी के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया गया। नीचे का जो कर्मचारी पंचायत मंत्री है उसके बारे में मैं बताऊं कि आज तक यह तय ही नहीं हुआ कि वह गांव सभा का सेवक है या किस का सेवक है। जब उसकी नियुक्ति होती है तो जिला पंचायत अधिकारी उसे नियुक्तिपत्र देते हैं, लेकिन जब वह ५ रुपये की बढ़ोत्तरी की बात करता है तो कहा जाता है कि गांव सभा के सेवक हो। जब कहा जाता है कि उनको नियुक्ति और आचरण पुस्तक लिखने का अधिकार दिया जाय तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। परिषद् नियुक्त करती है और लिस्ट बनाती है तो परिषद के मुख्य कार्याधिकारी या अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिये, वह उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते बल्कि पंचायतराज अधिकारी उनको नियुक्तिपत्र देगा।

गांव सभा के सेवक की कोई सुरक्षा नहीं है। वहां के लोग चिल्लाते रहते हैं कि हमारे ऊपर अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट लागू नहीं है, हम से उन्होंने कहा कि क्या करें? हम ने उन से कहा कि हड़ताल करो और कोई रास्ता नहीं है। असल में यह तो जनतंत्र और उसकी इकाईयों की मखौल है। २ साल में तो जिला परिषद् ऐक्ट किसी तरह से लागू हुआ, लेकिन हमारा इस का बड़ा कटु अनुभव है, उन में रत्ती भर कोई काम नहीं हुआ, मैं सच में दलगत भावनाओं से बगैर प्रभावित हुए कह रहा हूं। यह हमारा अपना निजी अनुभव है और जिला परिषदों से संबंधित सभी लोग इस को जानते हैं। आप देखें कि देवरिया में ४,००० मास्टरों की सूची बनी और २,६०० की सूची आगे चलती थी जिन को अध्यापकी मिलना है। अब कहते हैं कि नई कमेटी जो संशोधन विधेयक के पास होने के बाद बनेगी वही नियुक्ति करेगी। जिला परिषद् के अध्यक्ष कहते हैं कि पुरानों का क्या होगा। सीनियारिटी लिस्ट बनी है लेकिन मैं क्या भ्रष्टाचार की बात यहां भी कहूं? वह फिर कहूंगा। जो नवां फेल हैं ३००, हाई स्कूल पास २०० और इंटर १०० सब की लिस्ट तैयार है। लेकिन इस भ्रष्टाचार पर भी अध्यक्ष मौज करते हैं। राज मंगल पांडेय से मिलकर तबादला करा दिया जाता है। कमेटी आप बना दें अगर उस के बनाने से ही लाभ हो सके। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के पास ११-१७ अध्यक्षों के खिलाफ शिकायतें आईं, क्या कार्यवाही की गई? अगर दो तीन जिला अध्यक्षों को भी जेल भिजवा दिया होता, कोई जांच होती तो हम समझते कि कुछ ढंग से काम हो रहा है, लेकिन वह तो समझते हैं कि हम बादशाह हैं और वह समझते हैं कि जहां तक निगाह जाती है हमारे अधिकारक्षेत्र पर कोई बोल ही नहीं सकता। वह मास्टर लोगों का तबादला करते हैं और राजमंगल पांडेय के कहने से तबादला किया जाता है। अध्यक्ष यह कर रहे हैं तो प्रमुख

[श्री उग्रसेन]

भी यही कर रहे हैं, प्रमुख ने कहा कि सब मास्टर हमारे यहां हाजिरी दें, अध्यापकों ने कहा आप छुट्टी का वेतन देंगे, उन्होंने कहा यह नहीं कर सकते। जो ६ महीने के प्रमुखों को अधिकार दिए गये हैं, उनको रुकवाइये। प्रमुख लोग तो यह समझते हैं कि हम उनके ट्रान्सफर्स कर सकते हैं। जिससे टीचर्स लोग दौड़-दौड़ कर कांग्रेस और राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में जाते हैं, जहां भी वे ऊंची जमीन देखते हैं, वहां ही वे पहुंच जाते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट आफिसर प्रमुख को राय देते हैं कि तुम ऐसा करो। माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं रखी है। अभी संशोधन विधेयक ले आय हैं। एक साल के बाद फिर द्वितीय संशोधन विधेयक ले आयेंगे। गांव सभा को विस्तृत अधिकार मिलने चाहिये। हमारी जो पुलिस है, डंड वाली पुलिस है उसको गांव सभा के अन्दर कर दिया जाय। गांव सभा उसका सचालन करे। कलक्टर की कोई जरूरत नहीं, कप्तान पुलिस की कोई जरूरत नहीं। जिला परिषद् ही उसको संचालित करे।

योरप और दूसरे देशों में भी यहां तक कि फ्रांस तक में भी यही व्यवस्था है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपका जनतंत्र है? कानून बनाने में समय खर्च होता है, पैसा खर्च होता है। साल भर से आप जिला परिषदों के कार्य को देख रहे हैं। कितनी स्वतंत्रता आपने प्राप्त की है, उसका मूल्यांकन होना चाहिये। आपकी अब तक तीन पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गयी हैं, आपने सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर कितना काम किया है? आपको उसका मूल्यांकन देना चाहिये। एक बार हमारे यहां पर ब्लाक प्रमुख नालियां देखने गये। उनके साथ उनके इंजीनियर भी थे। जहां पर नालियां थीं वहां तक उनकी मोटर नहीं जा सकती थी। तो ये ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर साहब उनसे कहते हैं कि आप लोग नालियों को देख आइये। मैं तो यहां पर मोटर में बैठा हुआ हूं। बी०डी०ओ० साहब भला कैसे पैदल चल सकते थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये खामियां हैं इस विभाग की जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां पर दो पार्टियां या गोल हैं। एक गोल तो वह है जो जेल जाने वालों का है और एक दूसरा है। अगर कोई कांग्रेस के साथ रहना चाहता है तो वे पूछते हैं कि तुम जेल में गये हो। तो इस प्रकार से गांवों में गोल बन गये हैं। वहां पर कांग्रेस वाले अपनी मेम्बरी अपने लेखपालों से और चौकीदारों से करवाते हैं। सारे मास्टर लोग बन गये और जिसने मेम्बरी बना दी उसकी तरक्की बढ़िया जगह हो गयी। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हो गये चाहे सीनियारिटी न रही हो। प्रमुख के घर में बेटा-बेटी की शादी होती है तो सब कर्मचारी उनके यहां मौजूद हैं। हमने कलेक्टर से कहा आप क्या कर रहे हैं तो कहने लगे कि साहब बड़ा जरूरी है अगर नहीं जायेंगे तो मुख्य मंत्री से शिकायत कर देंगे। इसलिये आप कानून में ऐसा संशोधन करते जिससे सब अध्यक्ष मर्यादित होते। ऐसा लगता है कि यह अध्यक्ष जो तानाशाह है इसके अधिकारों को इस विधेयक में कहीं प्रतिबंधित नहीं किया गया है। कमेटी जो बनी है, उसमें ऐसा है कि अगर अध्यक्ष को एतराज होगा तो कमिश्नर के यहां अपील कर देगा और कमिश्नर का फैसला मान्य होगा।

योजना में क्या सहयोग उन्होंने दिया कार्यान्वयन करने में। सड़क इनके पास नहीं है, अब एक नया महकमा चल गया है ग्रामीण जनशक्ति उपयोगी योजना। सड़क का काम भी ले लिया, शिक्षा का काम ऐसा है कि किसी स्कूल की छत सही सलामत नहीं है। जितने सड़क के किनारे पेड़ लगे थे सब काट कर बेंच लिये गये, खास रिश्तेदारों को दे दिये गये। जिस समय प्रदेश योजना युग से गुजरता है तो जिला परिषद में कोई तब्दीली नहीं। इतने व्यापक अधिकार दे देना कि अपने ही फायदे की बात सोचें इससे काम नहीं चल सकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाय अन्यथा सब योजना बेकार रहेगी। केवल कागज पर ही काम होगा, यथार्थ में कुछ होना नहीं है। मैं मानता

हूं कि प्राइमरी स्कूलों में लड़के लड़कियों की तादाद बढ़ी है, लेकिन स्कूलों की हालत क्या है जरा इसको देखिये। स्कूलों में बैठने के लिये टाट तक नदारत। मैं अपने गांव के स्कूल को देखने गया जिसमें मैं पढ़ा था। उसकी हालत कहने लायक नहीं है। मेरी छोटी लड़की एक बोरा ले जा रही थी, मैंने सोचा मास्टर साहब ने अनाज मांगा होगा, मैंने मास्टर से पूछा कि लड़की से क्यों मांगा, अगर लेना ही था तो मुझसे कह देते। उन्होंने कहा कि लड़की अपने बैठने के लिये टाट ले जा रही थी क्योंकि स्कूल में बैठने के लिये टाट नहीं है। मैं कहूंगा कि इस विधेयक को वापस लीजिये और एक कमेटी सरकार बनाये जिसमें विशेषज्ञ रखे और चीजों का मूल्यांकन करे, तब एक अच्छा विधेयक लाये। आप चाहते हैं ४ सुथनी आज दे दें और ७ पारसाल, इससे क्या फायदा ? आप एक बार हमसे कानून बनवा लीजिये लेकिन उसको अच्छी शक्ल में लाइये। आज कर्मचारियों की जिन्दगी की सुनवाई नहीं है, योजना का कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को, विधेयक को वापस लीजिये और फिर एक सुन्दर विधेयक लाइये। इन शब्दों के साथ में माननीय कमला सिंह यादव के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिला परिषद् संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया है। उसका मैं समर्थन करता हूं और उधर से जो दो प्रस्ताव आये हैं अनुमोदन के और प्रवर समिति में भेजने के लिये। उनका मैं विरोध करता हूं। इस विधेयक में बहुत थोड़ी सी धाराओं में संशोधन करने की बात कही गयी है उस समय जब कि अधिवेशन नहीं हो रहा था विधान मंडल का, माननीय मंत्री जी ने कुछ चीजों को आवश्यक समझा और उसके लिये अध्यादेश निकाला गया और अब उसे कानूनी रूप देने के लिये यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। उस तरफ से यह कहा जाता है कि अध्यक्षों के अधिकार असीमित हैं जब कि अध्यक्षों से मेरी बातचीत हुई तो उनको यह कहते हुए मैंने सुना कि पहले जो जिला परिषद अधिनियम बना था उसमें ही पहले उनके अधिकार कम कर दिये गये थे और अब चुनाव समिति बना कर उनके अधिकार और भी छीने जा रहे हैं और अब तो जिस तरह से पोस्ट आफिस काम करता है उनका भी उसी तरह का कार्य रह गया है, और उनके पास स्वतः अपने आप काम करने के कोई भी अधिकार नहीं रह गये हैं। इससे यह समझ में आता है कि इस विधेयक के जरिये अध्यक्षों के अधिकार काफी सीमित कर दिये गये हैं।

एक बात यह कही गयी कि पुलिस ग्राम सभाओं को दे दी जाय, जिला परिषदों के मातहत कर दी जाय। दूसरे मुल्कों का उदाहरण दिया गया। हो सकता है कि दूसरे मुल्कों में यह हो लेकिन जिन मुल्कों में यह व्यवस्था है वह हमसे बहुत पहले से आजाद हुये हैं और स्वतंत्रता के वातावरण में उन्होंने अपने मुल्क का निर्माण किया है और अपनी परम्परायें निर्मित कीं जिससे आज हो सकता है कि उन्होंने पुलिस के अधिकार नीचे की इकाइयों को दिये हों लेकिन हमारे मुल्क को बहुत थोड़े दिन हुए हैं आजादी को पाये हुए, नव-निर्माण के युग में से यह गुजर रहा है। जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए अगर पंचायतों को पुलिस के अधिकार दे दिये जायं, जिला परिषदों को दे दिये जायं तो मैं समझता हूं कि वे संभाल नहीं पायेंगी। अभी वे सक्षम नहीं हैं कि पुलिस पर अपना कंट्रोल रख सकें और सही ढंग से उनका उपयोग कर सकें। ऐसी स्थिति में जो पुलिस की व्यवस्था इस समय चल रही है वह काफी है।

एक बात मैं यह निवेदन कर दूं कि पंचायत मंत्रियों और ग्राम सेवकों दोनों का ही इस विभाग से संबंध है, लेकिन इन दोनों के वेतन-क्रम भिन्न-भिन्न हैं जब कि योग्यता दोनों की एक है। हाई स्कूल पास वे भी रखे जाते हैं और हाई स्कूल पास ये भी रखे जाते हैं। यह ठीक है कि ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग दी जाती है और पंचायत सेक्रेटरियों को शुरू शुरू में ट्रेनिंग नहीं दी गयी लेकिन काम करते करते वे काफी पुराने हो चुके हैं और उनको इतना अनुभव हो चुका है कि अब उनको

[श्री मुरलीधर कुरील]

ट्रेनिंग की आवश्यकता भी नहीं है और इसके साथ ही साथ यह भी देखने की बात है कि पंचायत मंत्रियों में वे ही लोग अधिकतर हैं जिन्होंने कांग्रेस का जब आजादी का आन्दोलन चल रहा था उस समय त्याग व बलिदान करके और जेल जाकर मुल्क को आजाद कराया था। उस समय सभी पुराने साथी उस काम में लगे हुए थे। आजादी होने के बाद भले ही आप लोग भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के नाम से बैठ गये। उन पुराने साथियों में जो हाई स्कूल पास थे या जो योग्य थे, उनको लिया गया है। उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत भी नहीं की गई। लेकिन आज ग्रामसेवक जो नये हैं उनसे भी उनका वेतनक्रम, नीचे रहे, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं समझता हूं कि आगे वेतनक्रम के संबंध में अब पुनर्विचार, हो तो इनके वेतनक्रम पर भी विचार किया जाय कि समान योग्यता और समान कार्य का वेतन भी समान होना चाहिये।

क्षेत्र समितियों के कम किये जाने की बात है। लेकिन यह कब तक कम होंगी यह अभी स्पष्ट नहीं है और उनका क्या आधार होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट होना चाहिये था। जब शुरू-शुरू में पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ था और विकास खण्डों की योजना बनी थी, उस समय जहां तक मुझे याद है यह रखा गया था कि विकास खण्डों की एक अवधि होगी। उनमें ५ वर्ष में कितना धन व्यय किया जायगा तथा कौन-कौन कार्य किये जायेंगे और दूसरी अवधि में क्या होगा? इस तरह से तीन अवधियां रखी गई थीं और उसके बाद वह विकास खण्ड साधारण स्थिति में बन जायगा। लेकिन अब यह सुनने को मिल रहा है कि विकास खण्ड कम किये जायेंगे। पहली स्थिति को आधार मान कर कम किये जायेंगे या और कोई आधार माना जायगा। इसका स्पष्टीकरण नहीं है। जो होना चाहिये था जिससे लोगों को जानकारी हो जाती कि उनके कम करने का यह आधार होगा।

इसके साथ-साथ यह भी है कि जब ये विकास खण्ड कम किये जायेंगे तो इस पर विचार करने के लिये जिला परिषदों को अधिकार होगा या नहीं या फिर विधान मंडलों में विचार होगा या फिर विभागीय अधिकारी ही कर देंगे। अगर विभागीय अधिकारी करेंगे तो बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी क्योंकि इनका गठन उस समय हुआ था जब जिला बोर्ड थे। उनके तथा नियोजन समिति के माध्यम से जिले की स्थिति को ध्यान में रखकर ये बनाये गये थे। इस-लिये मैं समझता हूं कि जब इनके कम करने की बात आये तो इनकी राय लेकर ही कम किये जायं। इससे जिले की स्थिति को ध्यान में रख कर सही नक्शा सरकार के सामने आ सकेगा।

क्षेत्र समिति के प्रमुख के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव में यह कहा गया है कि जब दो तिहाई से अधिक सदस्य मांग करें और उपस्थित हों तब लाया जा सकता है, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसमें यह होना चाहिये था कि आधे से अधिक विकास क्षेत्र के सदस्य मांग करें तो मीटिंग बुलाई जाय और उपस्थिति में आधे से अधिक सदस्य होने चाहिये और बहुमत वोटिंग के आधार पर निर्णय होना चाहिये। इसमें एक चीज और है कि अभी तक प्रमुख के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये एक साल की अवधि थी। १२ महीने के बाद उसके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें एक वर्ष के बजाय दो वर्ष की अवधि रखी गयी है। जिन विकास क्षेत्रों के प्रमुख और वहां के सदस्य या विकास खंड के अन्य अधिकारी के अन्य पदाधिकारी मिल कर काम नहीं चला रहे हैं, प्रमुख अपनी मनमानी करने पर तुला है, किसी का अंकुश मानने को तैयार नहीं, समिति को मानने को तैयार नहीं, ऐसी हालत में दो साल तक बराबर वह मनमानी करता रहे। यह कहां तक उचित होगा यह भी विचार करने की बात है। जो १२ महीने थे वह काफी थे। एक दम दो वर्ष कर दिया जाय इसके मानी यह हैं कि पूरे टर्म भर में एक मर्तबा अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। उसके बाद नहीं आ सकता है। क्षेत्र समिति का कार्यकाल ही शायद चार साल है। मतलब यह है कि दो साल के बाद

आयेगा उसके बाद दो साल के बाद फिर आ सकता है। पूरे कार्यकाल में इस तरह से एक ही मर्तबा अविश्वास का प्रस्ताव लाने का मौका मिल सकता है। इस पर भी पुनः विचार करें।

जो चुनाव समितियों की बात कही गयी है, एक तो सहायक अध्यापक प्राइमरी में रखे जाते हैं या जूनियर हाई स्कूल में जो जे० टी० सी० से आते हैं, उनमें से रखे जाते हैं। बाकी जूनियर हाई स्कूल में प्राइमरी से पदोन्नति करके लिये जाते हैं। उस चुनाव समिति में अध्यक्ष व विभागीय कर्मचारी रहेंगे। जिला परिषद् या जिला परिषद् के अन्तर्गत जो शिक्षा समिति है उसका कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा। अगर जिला परिषद् का प्रतिनिधि न दें तो कम से कम जो शिक्षा समिति है उसके चेयरमैन को उसमें अवश्य रखें अन्यथा शिक्षा समिति का कोई कार्य नहीं रह जायगा। उसकी मान्यता क्या रह जायगी, वह निष्क्रिय हो जायगी। सक्रिय रखने के लिए शिक्षा समिति के प्रधान को उस समिति में जरूर होना चाहिए। शिक्षा समिति का प्रधान न रहे और डिप्टी इंस्पेक्टर शिक्षा समिति में होगा, जो उसका मातहत है, फिर उस अध्यक्ष को कौन पूछेगा ? शिक्षा चुनाव में समिति में वह जरूर रखा जाय।

इसके अलावा दूसरी चुनाव समिति जो रखी गयी है उसमें एक कार्यकारिणी का सदस्य रहेगा। लेकिन अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी नियुक्ति कर सकता है एक साल के लिए। एक साल में उसके चुनाव समिति से मान्यता प्राप्त करवा ले। एक साल का समय अधिक है। उनको ज्यादा से ज्यादा चार महीने के लिये अस्थायी नियुक्ति करने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि एक साल तक रखने के बाद हटाते हैं तो उसमें स्वभावतः विवाद पैदा हो सकता है। इसलिए उसे चार महीने से अधिक का अधिकार नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, एक बात और कहनी है। एक तरफ हरिजनों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पिछले बजट के समय और हरिजन और पिछड़े वर्ग कमीशन की रिपोर्ट पर जब विचार हुआ उसमें कहा गया था कि उनका (हरिजनों का) अनुपात पूरा करने के लिये १८ फीसदी के बजाय २५ फी सदी और चपरासी या तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचरियों की नियुक्ति में ४५ फीसदी नियुक्तियां की जाएंगी, जब तक कि हरिजनों का अनुपात पूरा न हो जाए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि यह सारी चीजें कागज में रहती हैं। जिला परिषदों में भी वही हाल है, चाहे वह अध्यापकों की नियुक्तियां हों, अमीन की नियुक्तियां हों या किसी और की हों या जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें नियुक्तियां की जायें, कहीं भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हाउस में भी प्रश्न होते हैं और जो उनके उत्तर सरकार की तरफ से मिलते हैं उनको देखने से भी पता चलता है कि सरकार यहां पर माननीय सदन के सामने इस विषय पर आश्वासन तो दे देती है कि भविष्य में ध्यान रक्खा जाएगा, किन्तु उन आश्वासनों पर विभाग में अमल नहीं किया जाता है। यह क्यों ? ऐसी कौन-सी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं ? अगर यह कहा जाय कि उस योग्यता के लड़के नहीं मिलते तो यह बहुत गलत बात है। अब उस योग्यता के काफी लड़के निकलने लगे हैं और यदि उनमें देखा जाय तो उससे अधिक योग्यता के भी लड़के मिल सकते हैं। पर पता नहीं है हमारी भावना किधर जा रही है? हम कौन सा संकुचित दृष्टिकोण रख कर काम कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं, जिससे देश की जो नीति है, मुल्क को जो अच्छाई के रास्ते पर ले जाने वाला दृष्टिकोण है, उसको हम सामने न रख कर, एक साम्प्रदायिक दृष्टिकोण रख कर विभागीय अधिकारी उस पर विचार करते हैं और कोई न कोई बहाना लगा कर उस अनुपात को कतई पूरा करने की बात नहीं सोचते। उस अनुपात को पूरा करने की कौन कहे, कहीं मुश्किल से एक आध हरिजनों की नियुक्तियां होती हैं। इसके साथ-साथ जो आदमी किसी तरह से आ भी जाएं, तो देखा यह जाता है कि जब कभी छटनी का वक्त आया, हटाने का वक्त आया तो हरिजन उम्मीदवार सब से पहले उसमें आ जाते हैं, वे सब से पहले अयोग्य साबित हो जाते हैं और छांट दिये जाते हैं। अगर हम उस अयोग्यता की कसौटी को देखें, आप और हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी कितनी शिकायतें उठती हैं यानी कार्य में कुशलता जितनी होनी चाहिये उसके सम्बन्ध में न होने की शिकायतें उठती हैं। आये दिन इसी सदन में इसकी चर्चा होती रहती है। मैं जानता हूं कि उन विभागों में कार्य करने वाले वह लोग हैं जो गैर-हरिजन

[श्री मुरलीधर कुरील]

हैं, जो अपने को शिक्षित और योग्य और उच्च कहते हैं। तो फिर अगर उनके कार्य में शिकायतें नहीं हैं तो इस सदन के अन्दर शिकायतें क्यों पैदा होती हैं ? इसका मतलब यह है कि उनके अन्दर शिकायतें हैं लेकिन वह अपनी बात को छिपाते हैं और जो लोग सही ढंग से काम करते हैं, जिनके पास ऐसा साहस नहीं है कि वह गलत काम कर सकें, क्योंकि उनके ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है कि वह कोई तनिक भी गलत काम करके बच सकें। ऊपर कोई हाथ रखने वाला न होने के कारण, कोई सहारा न होने के कारण उनके साथ पक्षपात किया जाता है और उनको मौके बेमौके हटा दिया जाता है और इसी आधार पर उनको नौकरी में लेने से इन्कार किया जाता है। अतः जिला परिषदों और पंचायतों के अन्दर जो नियुक्तियां हों उनमें मंत्री जी विचार करें और इन चुनाव समितियों के अन्दर भी एक हरिजन प्रतिनिधि रखा होता तो ज्यादा अच्छा होता जिससे कि हरिजनों का सही रूप में चयन करने में सफलता मिल सके।

इसके अन्दर गुप्त मतदान करने की बात कही गई है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी बात है और यह होना चाहिये, क्योंकि पंचायतों के चुनाव के वक्त यह देखा गया है कि जो लोग तिकड़मी व शरेपुश्त हैं, अपने किसी न किसी तरह के तिकड़म से चाहे वह डंडे का बल हो, चाहे और किसी प्रकार का बल हो, जिनके पास बल होता है वह कमजोरों को दबाकर उन्हें बाध्य कर देते हैं कि वह मत उनके पक्ष में दें अगर गुप्त मतदान रहेगा तो उससे सही मतदान होगा। यह बहुत ही अच्छा प्राविधान इसमें किया गया है।

एक बात कही गयी कि स्कूलों के अन्दर टाट पट्टी नहीं रहती। यह हो सकता है किसी स्कूल में देर में पहुंचा हो लेकिन सब जगह ऐसी बात नहीं है। जहां सरकार ने शिक्षा की बढ़ोत्तरी के लिये प्रयास किया है, उसमें आजादी के पूर्व और बाद के आंकड़े देखे जायं तो काफी प्रगति हुई है और उसके लिये सरकार की सराहना की जानी चाहिये। भवन निर्माण के लिये काफी रुपया सरकार हर वर्ष देती है, अध्यापकों को तनख्वाहें दी जाती हैं। तो यह समझ में नहीं आता कि अध्यापकों के और बच्चों के बैठने के लिये सामान वहां न हो या वहां पर टाट पट्टी न हो। उसका इन्तजाम पहले होता है तब अध्यापक भेजे जाते हैं। हो सकता है कहीं देर हो गयी हो लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास बराबर रहता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर--

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। पहला तो यह कि मंत्री जी ने संकेत किया है कि क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के दफ्तरों के लिये सरकार निश्चित करेगी कि कहां पर हों। आज हवा कुछ ऐसी है कि पढ़े-लिखे लोग जो नेतागीरी में कदम रखते हैं और चुनावों में जीत जाते हैं वह चाहते हैं कि शहरों की तरफ रुख हो और जहां तक मुमकिन हो। शहरों में जा कर रहें। जहां तक बी० डी० सी० के दफ्तरों का सवाल है, उनका रुझान शहरों की तरफ हो गया तो बड़ी कठिनाई हो सकती है। सरकार के पास तो बी० डी० ओ० और ब्लाक प्रमुख लिख कर भेज देगा और अध्यक्ष या कलेक्टर अपनी राय वही लिखेगा जो वे लोग चाहेंगे और सरकार बाध्य हो जायगी अपनी सहमति देने के लिये और दफ्तर शहरों में आ जायंगे। हमारे यहां ऐसा ही हुआ कि बलियाखेड़ी ब्लाक तो नगर के अन्दर है ही और बड़ा दफ्तर वह हो गया। उनकी देखा देखी तमाम ब्लाक्स सब अपना रुख शहर की तरफ किये हुये हैं। पुंआरका के ब्लाक प्रमुख ने अपनी एक मात्र राय से दफ्तर शहर में खोल लिया और उसके कारण उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव प्रकट किया गया है और वह शहर में दफ्तर ले आए। आखिर मजबूर होकर अविश्वास का प्रस्ताव वापस करने के लिए उसे मानना पड़ा कि वह वापस ले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप अपने बी० डी० सी० को गांव में ले जाइए। एक भावना ऐसी है कि गांव के अन्दर अगर दफ्तर रहेगा तो गांव के रहने वाले लोगों का सम्बन्ध दफ्तर के साथ रह सकता है। अगर सारे दफ्तर शहर में आ जायं तो सब से बड़ी कठिनाई यह होती है कि बी० डी० सी० के दफ्तर भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाते हैं। सीमेन्ट का वहां से वितरण होता है, खेती के औजार वहां से वितरित होते हैं, खाद वहां से मिलती है। इसके अतिरिक्त जितने ब्लाक चल रहे हैं, उनके बारे में रोज यहां पर शिकायतें होती हैं। अगर ये सारे दफ्तर शहर में आए और सरकार खुद उनको इजाजत देती रही तो यह भ्रष्टाचार मिटाए नहीं मिट सकता है। इसका कारण यह है कि जितना सीमेंट गांव के अन्दर ब्लैक में जाता है उसका ७० फीसदी कम से कम शहरों में आकर बिकता है। यह चीज इस तरह से चल रही है कि शहरों के अन्दर रहने वाले आसानी से पेमेन्ट कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि सरकार इस बात पर ध्यान रखे और मन्त्री जी इस बात पर ध्यान रखें कि बी० डी० सी० शहर में न आ सकें तो ज्यादा उचित होगा और ब्लाकों के हित में होगा। जितने भी बी० डी० ओज० हैं वे सब पढ़े-लिखे आदमी हैं। उनको सिनेमा को शौक होता है और दूसरी तरह के शौक भी रहते हैं। तो वे सारी सुविधा उनको शहर में मिल सकती हैं। उनकी कार या जीप शहर में किसी न किसी सिनेमा के सामने खड़ी रहती है। अगर उनको आपने शहर में लाकर डाल दिया तो भ्रष्ट आचरण की उनके अन्दर अगर ५ बातें हैं तो यहां आने पर १० हो जायंगी और वे अधिक भ्रष्ट होकर पैसा ज्यादा वसूल करने लग जायंगे। अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी बी० डी० सी० शहर के अन्दर नहीं आना चाहिये। अपने क्षेत्र के अन्दर ही उसको रहना चाहिये। इस तरह से उनको शहर में लाया गया तो भ्रष्टाचार को रोकना और बी० डी० ओ० के ऊपर हाथ रखना कठिन हो जायगा। गांव में उनको काफी सहयोग मिल सकता है और लाभ हो सकता है।

दूसरी चीज यह रखना चाहता हूं कि बी० डी० सी० की मीटिंग में अगर मौके पर आधे घंटे अफसर न पहुंचें तो मीटिंग नहीं हो पाती है। अगर बी० डी० सी० में किसी मीटिंग को अफसर ने अगर नोकान्फिडेन्स प्रस्ताव के लिए बुलाया है या किसी खास आदमी का चर्चा होने वाला है या उसको और किसी तरह से डर मालूम होता है तो वह उस मीटिंग में नहीं आयेगा। वह मीटिंग खत्म हो जाती है। एडजर्न होने के बाद उसको काफी समय मिल सकता है। वह दूसरे लोगों पर जोर भी डाल सकता है। मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मीटिंग एडजर्न करने की इजाजत न दी जाय। अगर मेम्बरों की पूरी तादाद हाजिर हो तो वे अपना अध्यक्ष चुन लें और अपना काम करें और मीटिंग करें बजाय इसके कि वे घर जायं और फिर बुलाएं। बाद में उनकी कीमत लगनी शुरू हो जाती है। जो मीटिंग बुलाई गई है वह चलनी चाहिए। अगर अफसर नहीं है तो ब्लाक का ए० डी० ओ० ही हो जाय या जो हाजिर हों वे अपना प्रधान चुन लें।

श्रीमन्, तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह शिक्षा के विषय में है। मन्त्री जी इसके लिए बहुत इच्छुक हैं और होना भी चाहिए। आज जिला परिषदों तथा ब्लाक्स में जो नियुक्तियां होती हैं, उस वक्त जो भ्रष्टाचार होता है वह तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मास्टरों और मास्टरनियों के जो तबादले होते हैं उनमें बहुत गन्दगी रहती है। इन सब बातों को कहने और सुनने में भी तकलीफ होती है। कुछ अरसा पहले तीन-तीन और चार-चार सौ रुपए एक-एक मास्टर अपने तबादले के लिए देता था। मैं चाहता हूं कि जो समिति आप नियुक्त करने जा रहे हैं उसकी अनुमति के बिना किसी का तबादला नहीं होना चाहिए और कम से कम तीन साल से पहले अकारण किसी को अपनी जगह से न हटाया जाय। अगर जरूरत आ भी पड़े तो उन कारणों पर उस समिति को सोच-विचार करके अपना निर्णय देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर सोच-विचार करें।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत है उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। इस विधेयक में जो चुनाव समिति की व्यवस्था की गयी है वह बहुत अच्छी चीज है। अभी तक यह शिकायत रहती थी कि जिला परिषदों में नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर होती हैं, कभी-कभी ऐसा होता था कि योग्य व्यक्ति रह जाते थे और अयोग्य व्यक्ति ले लिए जाते हैं, इस तरह की गड़बड़ी को दूर करने के लिए ही यह व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था स्वागत करने योग्य है।

मैं मन्त्री जी का ध्यान जिला परिषद् अधिनियम की ओर भी दिलाना चाहता हूं। प्रमुखों और जिला बोर्डों के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि वह ग्राम सभा के प्रधानों द्वारा किया जाता है। मेरा सुझाव है कि वह चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा कराया जाना चाहिये। एक खंड विकास क्षेत्र में कुछ गिने चुने ५०, १०० या १५० आदमी होते हैं और प्रमुख प्रधानों द्वारा चुना हुआ होता है। इसलिये प्रमुख कोशिश करता है कि आधे या आधे से अधिक प्रधान उसके अपने पक्ष के व्यक्ति हों किसी कार्य के बारे में चाहे उनको अपने गांव की जनता का बहुमत प्राप्त हो अथवा नहीं। अथवा वे जनता का भला चाहते हों अथवा नहीं। वह कोशिश इस बात के लिए करता है कि कम से कम आधे प्रधान उसके साथ रहें। यदि उनका चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा तो वे प्रधानों का खयाल नहीं करेंगे और पूरी जनता का खयाल रखेंगे जिससे सारी जनता का हित हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त प्रमुखों को बी० डी० ओज० के करेक्टर रोल लिखने का अधिकार दिया गया है। इसमें बहुत-सी गड़बड़ है। कहीं-कहीं जहां ब्लाकों में पार्टीबन्दी है वहां प्रमुख ए० डी० ओज० के साथ मिल जाते हैं। एक ए० डी० ओ० के विषय में एक प्रमुख ने कहा था कि जब तक तुम ए० डी० ओ० का करेक्टर रोल नहीं लिख दोगे, मैं तुम्हारा करेक्टर रोल नहीं लिखूंगा। मेरा सुझाव है कि अच्छा होता यह अधिकार कलेक्टर को दिया जाता।

एक चीज और मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिला परिषदों में जो महिलाएं और हरिजनों के प्रतिनिधि हैं, जो कोआप्ट होते हैं, वह जिला परिषदों के तो सदस्य होते हैं लेकिन वह जिस विकास खण्ड के रहने वाले होते हैं उसके सदस्य नहीं होते। मैं एक सुझाव देता हूं कि वह जिस विकास खण्ड के रहने वाले हों उसके सदस्यमान लिए जाने चाहिए। जिला परिषद् में तो कोआप्ट किए ही जाते हैं, लेकिन वह अपने विकास खण्डों के मेम्बर नहीं होते हैं।

एक चीज और है। जिला परिषद् के अन्तर्गत जो कर्मचारी हैं उसमें भी दो तरह की चीजें उनके साथ बरती गयी हैं। जिला परिषद् के अन्तर्गत नियोजन विभाग के अधिकारी भी आ गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी कर्मचारी आ गए। लेकिन जिला नियोजन विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह, मंहगाई, प्रोमोशन के दूसरे नियम हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के या जिला परिषद् के कर्मचारियों के लिए दूसरे नियम हैं। अभी तनख्वाहों की वृद्धि की घोषणा की गयी है। उसमें जिला परिषद् के रहने वाले उन्हीं नियोजन विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह काफी बढ़ गयी है, लेकिन औरों की नहीं बढ़ाई गयीं। पहले वह लोकल, स्वायत्त शासन के अन्तर्गत थे, अब पंचायतराज के अन्तर्गत आ गए। तो जिला परिषद् के अन्तर्गत रहने वाले सभी कर्मचारियों की, चाहे नियोजन विभाग के रहे हों या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सभी की तनख्वाहों में समानता होनी चाहिए।

एक चीज और बतलाना चाहता हूं कि कृषि, पंचायत आदि के ए० डी० ओज० होते हैं क्षेत्र समितियों में। वह अपने को बी० डी० ओ० के मातहत कम समझते हैं क्योंकि उनका प्रोमोशन उनके विभागीय जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, वह करते हैं। इसलिए वह बी० डी० ओ० की परवाह नहीं करते और न उसका नियन्त्रण ही मानते हैं। सभी विभागों का समन्वय एक बी० डी० ओ० के अन्डर किया गया है लेकिन इस तरह की अनुशासनहीनता से काम नहीं चल पाता और गड़बड़ी होती है। यह गड़बड़ी दूर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था

ब्लाक प्रमुख का चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर हो तो ठीक हो सकता है। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, काफी दिनों से चर्चा थी कि जिला परिषद् विधेयक का संशोधन होने वाला है। जिस समय प्रश्नों के अन्तर्गत बताया गया कि विकास-खंडों में कुछ कमी करने का विचार है और उनकी सीमाओं का फिर से सीमांकन होगा तो पुष्टि हो गयी कि कुछ संशोधन आएगा। लेकिन उसके साथ-साथ अनुमान किया जाता था कि जिला परिषद् के विधेयक के संशोधन में कुछ मौलिक बातें इन २–३ साल के अनुभवों के आकार पर होंगी। लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें कोई ऐसे मौलिक परिवर्तन नहीं किए गए हैं जो २–३ साल के अनुभवों पर आधारित हों। इस संशोधन विधेयक को लाने के पहले सरकार ने एक अध्यादेश १५ जुलाई को जारी किया। उसके जरिए कुछ खण्डों में संशोधन किए। मान्यवर, मैंने उन संशोधनों को देखा। उनमें कोई प्रश्न इतने महत्व का नहीं था कि जिनके लिए अध्यादेश जारी करने की जरूरत होती। मैं नहीं समझता कि कौन-सी विपत्ति आ खड़ी होती यदि २ अगस्त तक आप इन्तजार कर लेते और यह अध्यादेश जारी न करते। अध्यादेश तभी जारी किया जाता है जब कि तात्कालिक महत्व का कोई संशोधन हो जिससे कि प्रशासन पर प्रभाव पड़ रहा हो। सरकार ने यह अध्यादेश जारी करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है।

मान्यवर, इस विधेयक में काफी मौलिक परिवर्तनों की आवश्यकता है। सत्ता का जो विकेन्द्रीयकरण हुआ है, उसके आधार पर जिला स्तर पर तीन स्थम्भ हैं—एक जिला परिषद्, दूसरा विकास क्षेत्र समिति तथा तीसरा गांव पंचायत। जिला परिषद् तथा विकास क्षेत्र समिति क लिए तो यह विधेयक है, वे इसके अन्तर्गत गवर्न होती हैं, ग्राम पंचायतों केलिए दूसरा कानून है—पंचायत राज ऐक्ट। यह जो अलग-अलग कानून बना रखे हैं इससे बड़ी गड़बड़ी होती है और डुप्लीकेशन आफ वर्क होता है। कभी-कभी सरकार भी अंधेरे में रहती है। मैं एक मिसाल देकर इस चीज को बताऊंगा। इस क्षेत्र समिति के विधेयक में, इसके नियमों के अधीन हर पंचायत अदालत के अन्दर ग्राम सेवक की नियुक्ति होती है। उसका काम है अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों की देखभाल करना, वहां विकास के कार्यों को करवाना, सड़कें, पुलिया, स्कूल, सिंचाई के साधन, खाद के गड्ढे आदि बनवाना। इसके अलावा पंचायत राज्य ऐक्ट के अन्तर्गत एक पंचायत सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है, वह भी इसी तरह के कामों को करता है। इससे डुप्लीकेशन आफ वर्क होता है और कभी-कभी बड़ा भ्रम होता है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अगर किसी ग्राम में ४ गड्ढे खुदवाए गए तो ४ गड्ढे जो बने उनके बनने की सूचना ग्राम सेवक ने भी अपने विभाग में दी और पंचायत सेक्रेटरी ने भी उन्हीं को बनवाने की सूचना अपने यहां भेजी। इस प्रकार खाद के गड्ढे तो केवल ४ बने, परन्तु सरकार के पास सूचना ८ गड्ढों की पहुंची।

(इस समय २ बजकर ४२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

श्री मैनेजरसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने यहां सदन में कहा था कि जिस समय आप अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होंगे, मैं सदन में नहीं बैठूंगा....

श्री अधिष्ठाता—

बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह विधेयक है और उस पर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। अगर मेरा कोई अपराध है तो मैं उसे वापस ले लूंगा। आप कृपया उसे भूल जायं और बैठने की कृपा करें। (श्री मैनेजरसिंह के स्थान ग्रहण करने पर) मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

श्री भीखालाल—

तो श्रीमन्, इस तरह से सरकार के पास जो रिपोर्ट कामों की आतीं हैं हर मामले में, वे गलत होती ह।

[श्री भीखालाल]

सेक्रेटरी भी वही रिपोर्ट भेजता है, वही नक्शे बना कर भेजता है और ग्राम सेवक भी वही भेजता है तो इस तरह से सरकार के पास जो आंकड़े पहुंचते हैं वह सही नहीं होते हैं और सरकार अन्धेरे में रहती है। हमारे जितने आंकड़े और जितनी स्टेटिक्स आती हैं उसी के आधार पर सरकार अपनी अगली योजनायें बनाती है, उसके लक्ष्य और फंडस् निर्धारित करती है। जब वह आधार ही गलत है तो अगले लक्ष्य कैसे सही निर्धारित होंगे ? तो इस काम में डूप्लीकेशन होता है। यह बात कोई ऐसी नहीं है कि हम ही कहते हों, यह सरकार भी जानती है और माननीय मंत्री भी जानते हैं कि इस किस्म के विकास के कार्यों में जो सरकार के पास रिपोर्ट आती है, वह सही नहीं आती है, उनमें डुप्लीकेशन होता है, गलत आती हैं।

माननीय मंत्री जी ने हर ब्लाक के स्तर पर एक पद का सृजन किया है, एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया है जिसका नाम है प्रोग्रेस इंस्पेक्टर। मैं अपने क्षेत्र में जब दौरे पर गया तो इत्तफाक से मुझे एक प्रोग्रेस इंस्पेक्टर मिल गये। मैंने यह नाम पहले नहीं सुना था। मैंने उनसे पूछा कि आपकी ड्यूटी क्या है, क्या काम आप करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा काम यह देखना है कि जो प्रोग्रेस की रिपोर्ट जाती है वह सही जाती हैं या नहीं जाती है और अगर सही नहीं जाती है तो मैं सही रिपोर्ट बना कर भेजूं कि वास्तव में कितनी प्रोग्रेस हुई है। मतलब यह है कि सरकार भी स्वयं इस बारे में संदिग्ध है। मुझे इस सम्बन्ध में एक छोटा-सा किस्सा याद आ गया। एक नवाब साहब थे, उनको कुछ पीने-पिलाने की आदत थी और रात में वह दूध भी पिया करते थे। इसके लिये एक नौकर था जो उनको दूध पिलाया करता था। कुछ दिनों तक तो वह ठीक दूध पिलाता रहा। फिर उसके मन में बेइमानी आने लगी। उसने उसमें से चौथाई दूध हड़प करना शुरू कर दिया। नवाब साहब को शक हुआ। उन्होंने उसकी जांच के लिये एक दूसरा नौकर रख दिया। कुछ दिन तक तो उसने सख्ती की। लेकिन बाद में दोनों मिल गए और पहले चौथाई दूध उसमें से निकाला जाता था अब आधा निकाला जाने लगा। फिर तीसरा नौकर रखा गया तो तीन चौथाई दूध निकलने लगा। इसके बाद चौथा नौकर रखा तो उसने कहा अब चार हो गये और सब लोग चौथाई-चौथाई लेंगे तो नवाब साहब के हिस्से में कुछ नहीं आयेगा। लेकिन वह बड़ा होशियार था। उसने कहा कि मैं तरकीब बताता हूं। जब दूध गरम करने लगा तो थोड़ी-सी मलाई ऊपर से निकाल ली और रात को नवाब साहब को कुछ ज्यादा पिला दिया। जब वह बेहोश पड़ गये तो उनके होठ पर थोड़ी-सी मलाई लगा दी। सुबह जब नवाब साहब उठे तो उन्होंने कहा कि कल रात मुझे दूध नहीं पिलाया। तो उसने कहा कि कल तो इतना बढ़िया दूध था कि देखिये मलाई अभी भी आप के होठों पर लगी है। तो एक बेईमान के ऊपर दूसरा रखा गया तो दूसरा भी बेईमान हो गया, फिर तीसरा रखा गया वह भी बेईमान निकला, यही इस समय सरकार भी कर रही है। ब्लाक अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं भेजता है तो प्रोग्रेस इंस्पेक्टर रख दिया कि वह उसकी जांच करे। मैंने प्रोग्रेस इंस्पेक्टर से पूछा कि तुम्हारा काम कैसा चलता है, तुम्हारे तो खिलाफ पूरे ब्लाक के कर्मचारी होंगे, तुम काम कैसे करते होगे। तो उसने कहा कि मेरी हालत तो बिलकुल लंका में विभीषण की तरह है। कोई मुझे मारने की धमकी देता है, कोई कुछ धमकी देता है, कोई कहता है यह कर देंगे, वह कर देंगे। नतीजा यह होगा कि कुछ दिनों के बाद में वह भी मिल बांटकर खाने लगे तब शायद नवाब साहब की तरह सरकार दूसरा प्रोग्रेस इंस्पेक्टर रखेगी। तो यह जो ब्लाक के स्तर पर इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं उसका कारण यह है कि आपका कानून गड़बड़-सड़बड़ है। आप एक निश्चित कानून बनाइये। आप प्रशासकीय स्तर पर देखिये और पंचायती राज और जिला परिषद् का एक कानून बनाइये। कोई जरूरत नहीं है कि एक ही क्षेत्र का काम करने के लिये पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सेवक दोनों रहें। एक पद को कम किया जा सकता है। पंचायत का सेक्रेटरी केवल पंचायत के कागजात रखता है और पंचायती अदालतों की बैठकों में सहायता करता है। यह काम ग्राम सेवक भी कर सकता है। तो इस तरह से एक पद कम करके जो काम में डुप्लीकेशन होता है और सरकार के

पास गलत रिपोर्ट आती है उसको ठीक किया जा सकता है। इसलिये इन दोनों पदों को एक में मिला देना चाहिये।

मान्यवर, जिस समय क्षेत्र समिति विधेयक बन रहा था, उस समय ही हमने सरकार से मांग की थी कि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराये जावें। अप्रत्यक्ष न कराये जावें। लेकिन जैसे-जैसे कांग्रेस सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है, जनता का विश्वास उठता जा रहा है वैसे-वैसे ही यह सरकार अप्रत्यक्ष चुनाओं की ओर बढ़ती जा रही है। माननीय माताप्रसाद जी जो शासकीय दल के हैं, उनकी बात से मैं पूर्णरूप से सहमत हूं कि चुनाव प्रत्यक्ष होने चाहिये। आप कहेंगे कि चुनाव बड़ाभारी हो जायेगा, खर्चा बहुत हो जायगा। मैं समझता हूं कि कोई एडीशनल खर्चे की जरूरत नहीं है। मामूली सा खर्चा होगा और आप पंचायत राज्य अधिनियम और क्षेत्र समिति अधिनियम को एक में मिला देंगे और ब्लाक प्रमुख और अध्यक्ष के चुनाव एक साथ करावेंगे। इससे खर्चा एक साथ पड़ेगा और कोई अलग से खर्चा नहीं होगा। लेकिन जनता के सामने जाते हुये सरकार भय खाती है और इसलिये अप्रत्यक्ष चुनाव कराना चाहती है। अप्रत्यक्ष चुनाव में थोड़े से आदमी होते हैं, उनको प्रलोभन देना या उन पर असर डालना सरकार के लिये आसान होता है। जिला परिषदों में कितने कांग्रेस के सदस्य चुनकर आये थे, लेकिन जब सरकार की रिपोर्ट निकली तो मालूम हुआ कि ड्योढ़े हो गये। जो उस समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे वे भी कांग्रेस के सदस्य बन गये। जो किसी पार्टी में एफीलियेटेड नहीं थे उन्हें जीत लिया गया। इसलिये मेरी मांग है कि चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराये जावें।

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक के जरिये से विकास समिति के कार्यालयों के बारे में, विकास खंडों के परिसीमन के सम्बन्ध में, कुछ संशोधन किये जा रहे हैं। सरकार विकास खंडों की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहती है। मैं समझता हूं कि विकास खंडों में कमी नहीं होनी चाहिये। जैसे वे बने हैं, जो उनका प्रारूप बना है, उसी के अनुसार चलना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने भी कुछ नहीं बताया कि क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। माननीय कुरील जी ने ठीक कहा कि वे कारण सदन के सामने आने चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो इस ओर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ताकि माननीय सदस्यों को कुछ पता तो हो कि आप ब्लाक को किस आधार पर तोड़ने जा रहे हैं और नई सीमायें किस आधार पर बनाने जा रहे हैं। क्या आप उन ब्लाकों को तोड़ने जा रहे हैं जिनकी अभी इमारतें बनी हैं या जो बने हुये साल या दो साल ही हुये हैं या पुराने को तोड़ने जा रहे हैं ?

एक बात माननीय मायर साहब ने कही, उसका मैं समर्थन करता हूं। आज यह प्रवृत्ति बनती जा रही है कि जो ब्लाक शहरों के नजदीक हैं उनके कार्यालय खिसक कर शहरों में आते जा रहे हैं यद्यपि विकास खंड का क्षेत्र शहरों तक नहीं आता है। उनके आफिस ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिये, जहां ग्रामीण जनता से उनकी नजदीकी हो। तो यह प्रथा बन्द होनी चाहिये जिसकी सरकार उन्हें इजाजत दे देती है। आप अधिकार ले रहे हैं कि कहां कार्यालय होगा। इसके पीछे आपकी भावना होनी चाहिये कि विकास खंड का कार्यालय शहर में नहीं होगा।

मान्यवर, अभी तक यह था कि अगर अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसकी नियुक्ति के एक साल के बाद अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन अब सरकार उसे २ साल करने जा रही है। हम इसका कारण नहीं समझ पाये। आज जिला परिषदों में कांग्रेस का बहुमत है। कांग्रेस के ही अध्यक्ष हैं। क्या सरकार समझती है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिये कांग्रेस के अध्यक्ष हटाये जाने वाले हैं ? जब हम असेम्बली में मंत्रिमंडल के खिलाफ ६ महीने में ही अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं तो जिला परिषद् में २ साल करने की क्या आवश्यकता है ? एक बार अगर कोई अध्यक्ष बन जाय और परिषद् के हितों के प्रतिकूल काम करता है तो भी परिषद् के सदस्य उसे २ साल तक नहीं हटा सकते हैं। तो इससे परिषद् के काम में रुकावट होगी। यह बात जनतंत्र की भावना के प्रतिकूल है।

मान्यवर, एक बात माननीय कमलासिंह जी ने कही कि इसमें यह भी प्राविधान करना चाहिये कि कोई भी अविश्वास का प्रस्ताव बगैर दो-तिहाई बहुमत के पारित न किया जाय। मैं

[श्री भीखालाल]

नहीं समझ पाया कि यह कौन से प्रजातंत्र का सिद्धांत है ? उन्होंने कहा कि सहकारी विभाग में उपविधियों के संशोधन के लिये २/३ है। कहां की ईंट और कहां का रोड़ा, ये दोनों बातें बिलकुल अलग हैं। इसलिये मैं इस सुझाव का घोर विरोध करता हूं।

अगर अविश्वास के प्रस्ताव पर मत लेने के लिये, उस पर वाद-विवाद करने के लिये, कोई उसकी बैठक बुलाई गई है और उसका अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है। अगर वह किसी कारण नहीं पहुंचे तो उसके लिये इसमें प्राविधान किया गया है। इसको मैं ठीक समझता हूं। लेकिन जैसे वह संशोधन आया है वह दोषपूर्ण है। इसमें इस बात का प्राविधान होना चाहिये कि आकस्मिक या असाधारण घटना के अलावा और कोई कारण नहीं होना चाहिये जिससे वह न पहुंच सके। अगर घरेलू कार्य से या किसी भी कारण से अध्यक्ष नहीं पहुंच पाता है तो वह जिलाधीश को सूचना दे दे ताकि वह दूसरा प्रबन्ध समय से कर दे। इसलिये प्राविधान यह होना चाहिये कि अगर असाधारण हालतों में ही न पहुंच पाये तो ही बैठक स्थगित होगी, वरना नहीं।

श्री जे० पी० मिश्र—

मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया तो ?

श्री भीखालाल—

अगर जिलाधीश या परगनाधीश इस प्रकार की बेईमानी कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा खयाल है कि साधारण परिस्थिति में स्थगन नहीं होना चाहिये, उसकी सूचना अवश्य दी जानी चाहिये और स्थगन केवल असाधारण स्थितियों में ही हो।

श्रीमन्, इसमें विधान परिषद् के सदस्यों के बारे में संशोधन किया गया है, वह सही संशोधन है। इस संदर्भ में मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अकसर विधान सभा के वे सदस्य जो शहरों के रहने वाले हैं, उनको एक यह शिकायत होती है कि जिला परिषदों में हमारा रहना बेकार सा है क्योंकि उनका देहातों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वे नहीं जानते कि कौन-सा प्रमुख कैसा और कौन-सा पंच कैसा है। वे उनके किसी काम में भी दिलचस्पी नहीं लेते। अगर उसके स्थान पर उनको नोटिफाइड एरिया, म्युनिसिपैलिटी, अथवा कारपोरेशन का सदस्य बना दिया जाय तो वे कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन वैसा कोई प्राविधान इस समय इस विधेयक में नहीं किया जा सकता। यद्यपि वह पोर्टफोलियो माननीय मंत्री जी के पास नहीं है लेकिन माननीय मंत्री जी स्वायत्त शासन मंत्री जी को सुझाव दे सकते हैं और विधान सभा और विधान परिषद् के वे सदस्य शहरी क्षेत्रों से हैं, लोकल बाडीज के पदेन सदस्य हो सकते हैं।

परिषद् का काम विकास करने का है और विकास के लिये पैसे की आवश्यकता होती है। उसके लिये उनके पास फंड्स होने चाहिये। सरकार नियमित रूप से उनको कुछ धन दे, यह बात बहुत दिनों से इस सदन में और इसके बाहर उठती आ रही है, सरकारी ओर से भी कई बार वह उठाई गई है। आज इस अवसर पर मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि वह जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों और पंचायतों की मालगुजारी का एक चौथाई भाग अवश्य दें। जब तक उनको ऐसा भाग नहीं दिया जाता है तब तक विकास का कार्य हो नहीं सकता। आप कहेंगे कि और टैक्स लगाकर यह काम किया जा सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो टैक्स देहात की जनता पर आज तक लगे हैं वे ही इतने अधिक हैं कि जनता उनको दे नहीं पा रही है। सुना गया है कि कैबीनेट में इस सम्बन्ध में कोई फैसला किया है। इस विधेयक में तो उसके बारे में कुछ नहीं है लेकिन बाद को वह कदाचित आये। सुना जाता है कि सरकार अनिवार्य शिक्षा शुल्क अथवा विकास शुल्क के नाम से परिषदों को कोई टैक्स लगाने का अधिकार देने जा रही है। ऐसा कोई अधिकार आप उनको न दें क्योंकि परिषदों की हालत आज अच्छी नहीं है। वे टैक्स लगाने में निष्पक्षता बरत नहीं सकतीं। वहां पर गुटबाजी और पार्टीबाजी बहुत ज्यादा है, वैसी ही है जैसी कि सरकारी पक्ष में नजर आ रही है। जो गंगोत्री में गंदगी है वही गंदगी छोटी-छोटी नदियों में

नजर आ रही है। इसलिये टैक्स लगाने का भार उनको न सौंपा जाय और न उस टैक्स का भार वहां की जनता वहन ही कर पायेगी।

मान्यवर, इसी तरह से और बहुत सी बातें हो सकती हैं जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि उस जिला परिषद् विधेयक में बहुत आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वैसे तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन इसमें परिधि बढ़ाने का भी संशोधन रखना चाहिये था जो नहीं रखा गया है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन सुझावों के आधार पर एक जिला परिषद् संशोधन विधेयक सरकार ऐसा लावे जिसमें पंचायतराज अधिनियम और क्षेत्र समिति अधिनियम दोनों का समावेश हो। इस आधार पर आप एक नया विधेयक लावें जो कि पूरा हो, क्योंकि इससे इसकी आवश्यकतायें पूरी नहीं होती हैं। यह विधेयक अधूरा है, इसलिये सरकार इसको वापस ले।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, जो यह प्रस्तुत विधेयक है, उसका मैं समर्थन करता हूं और प्रवर समिति में भेजने का जो संशोधन है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, माननीय कमला सिंह की सबसे पहले आपत्ति जो हुई वह यह कि उन्होंने कहा कि अध्यादेश केवल उन परिस्थितियों में जारी हो सकता है जब कि राज्यपाल महोदय इस बात से संतुष्ट हो जायं कि इसकी परम आवश्यकता है और हाउस सेशन में न हो। इस सम्बन्ध मे उन्होंने यह मिसाल दी कि यह हाउस ३० अप्रैल को एडजर्न हुआ और १५ जुलाई को आर्डिनेन्स इश्यू हुआ जब कि २ अगस्त को सदन बैठने वाला था। उनका कहना यह है कि कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। उनकी दलील यह थी कि अध्यापकों का चुनाव हो चुका था तब फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यादेश इश्यू करने का जहां तक सम्बन्ध है, विशेष रूप से राज्यपाल महोदय ही उसे इश्यू करते हैं और वे काफी संतुष्ट होने के बाद ही उसे इश्यू करते हैं। लेकिन फिर भी जो दलील दी सो मैं माननीय कमला सिंह को बतला देना चाहता हूं कि सरकार ने इससे पहले ही यह आदेश दिया था कि जिला परिषदें अध्यापकों का चुनाव न करें। इसलिये उनका यह संशय कि अध्यापकों के चुनाव के बाद वह इश्यू किया गया, ऐसी बात नहीं है, यह उनका भ्रम है। मान्यवर, गांधी जयंती के अवसर पर आमतौर से नये स्कूल खोले जाते हैं। यह भी खयाल था कि सरकार को इस आर्डिनेंस के इम्प्लीमेंटेशन में दो-तीन महीने का समय लग जायगा, इसलिये जो प्रारंभिक चीजें हैं वे पूरी हो जायं, यह भी एक कारण है कि उन्होंने १५ अगस्त का दिन इसलिये रखा। दूसरी बात यह कि सरकार का खयाल यह था कि अध्यापकों के चुनाव का प्रश्न स्थगित कर दिया जाय और अध्यापकों का चुनाव, चुनाव समितियों क द्वारा ही किया जाय।

एक बात उन्होंने और कही कि स्टेट गवर्नमेंट अपना रोब झाड़ना चाहती है इसलिये उसने यह प्रोवीजन किया है कि हेड क्वार्टर कहां बनाया जाय, इसको गवर्नमेन्ट तय करेगी। मैं नहीं समझता कि इस प्राविजन के आधार पर किसी के भी ऊपर गवर्नमेन्ट का रोब क्या पड़ सकता है। स्टेट गवर्नमेन्ट को कांस्टीट्यूशनली काफी पावर्स है विधान के अन्तर्गत, तो इसमें रोब पड़ने या न पड़ने की कोई बात नहीं है। बहुत से स्टेजेज हैं गांव सभा से लेकर, गांव सभा के बाद क्षेत्र समिति है, फिर जिला परिषद् है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेन्ट है और स्टेट गवर्नमेन्ट के ऊपर यूनियन गवर्नमेन्ट है, इस तरह से प्रशासन की पांच मंजिलें हैं। अगर रोब पड़ने की बात मान लें तो कांस्टीट्यूशनली ही उसका अपन नीच की इकाइयों के ऊपर रोब है। जहां तक इस प्रोवीजन के जरिये कोई रोब पड़ने की बात है, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

एम०एल० सीज० के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसका समर्थन सबने किया। नोटिफिकेशन में नामजदगी या चुनाव में जो जगह उनके रहने की होगी उसको माना जायगा। लेकिन एक बात हमारे कम्युनिस्ट दोस्तों ने कही कि कौंसिल के मेम्बरों के लिये जगह जिला परिषद् में न देकर अगर नोटिफाइड एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड या कारपोरेशन में दे दें तब बेहतर होगा लेकिन अपनी

[श्री नवलकिशोर]

बात का उन्होंने उत्तर भी दे दिया कि चूंकि मंत्री जी के पास वह पोर्टफोलियो नहीं है इसलिये इसका सुझाव वह सम्बन्धित मंत्री जी को दे दें। लेकिन मैं इस चीज को सही नहीं मानता। जिस समय यह जिला परिषद् की बात आई थी तो इस पर दो राय थीं कि विधायक जिला परिषदों के मेम्बर हों या न हों। यह सोचा गया कि इस विकास के युग में जब कि सारा विकास का कार्य हम इन क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के द्वारा करना चाहते हैं तो उचित यही होगा कि जनता के जो प्रतिनिधि विधायक हैं उनको भी वहां प्रतिनिधित्व दिया जाय, केवल यह चीज थी। हो सकता है कि कोई सदस्य ऐसे भी हों कि जिन्होंने कह दिया हो कि हम तो शहर में रहते हैं हमारा देहात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम वहां क्या करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा किसी भी समझदार व्यक्ति ने न कहा होगा और अगर किसी ने कहा भी है तो वह गौर करने की बात नहीं है।

एक बात कमला सिंह जी ने कही थी कि शिक्षकों का चुनाव मेरिट पर होना चाहिये। उनकी यह माकूल और सही बात है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे बताया कि पहले जे० टी० सी० में हाई स्कूल पास लिये जाते थे, लेकिन अब इंटर कर दिया है। यह तो बड़े मसखरेपन की बात होगी कि जिले से इंस्पेक्टर हाई स्कूल सेकिन्ड क्लास को चुनकर एच०टी०सी० के लिये भेजें और स्टेट गवर्नमेंट या मंत्री जी किसी थर्ड डिवीजन वाले को चुनें। कारण यह भी है कि वह जन प्रतिनिधि होते हैं और लोग उन पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी जहां तक मेरिट की बात है सब जगह एक ही आधार मानना चाहिये। यह सही बात थी जो हमारे दोस्तों ने फरमाई।

माननीय भीखालाल जी ने कहा कि प्रमुख और जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिये इनडायरेक्ट नहीं। बात उनकी सुनने में अच्छी मालूम पड़ती है। हमारे यहां सन् ४८ में जिला बोर्ड के चेयरमैनों का चुनाव डायरेक्ट हुआ उसमें दिक्कत यह हुई कि मान लीजिये कि कुल ४८ मेम्बर हैं तो सारा जिला ४८ क्षेत्रों में बंट गया और एक मेम्बर एक बटा ४८ क्षेत्र से आता है और अध्यक्ष सारे जिले के लिये चुना जायगा तो वोट आफ कानफिडेंस में एक मसखरेपन की बात हो जाती है कि जिसको तमाम जनता ने चुनकर भेजा है उसको वहां बहुमत हटा देगा, जनता के मेनडेट के खिलाफ। माननीय भीखालाल जी ने कहा कि वहां बड़ी पार्टीबाजी होती है। सो कहां नहीं होती है देश के प्रेसीडेन्ट का चुनाव भी इसी तरह से रखा गया है क्योंकि डायरेक्ट चुनाव तो बड़ा अनवील्डी होता है। वैसे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके डेमोक्रेटिक हैं मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि डायरेक्ट इलेक्शन होना मुनासिब नहीं होगा, वर्तमान स्थिति में।

अभी उन्होंने कहा कि २ साल का जो समय बढ़ा दिया है वह इस कारण से बढ़ा दिया कि चूंकि सभी जगह पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन मान्यवर, मैंने इस विधेयक को पढ़ा, पर इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि अगर वहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष होगा तो यह २ साल हो सकता है और अगर नान कांग्रेस होगा तो यह १ साल हो सकता है। जब एक तरफ आप विकास की बात कहते हैं तो अगर २ साल की बात हो जाती है तो विकास के काम में और स्थायित्व (स्टेबिलिटी) हो जायगी इसीलिये यह मुनासिब समझा गया है। पार्टी बाजी को भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अतः अगर यह २ साल के लिये कर दिया गया है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

एक बात और यहां पर कही गयी कि जिला परिषदों के लोगों को तोड़कर कांग्रेसी मेम्बर बना लिये गये हैं। इसके बारे में मैं यह कहूं कि पहले हम कांग्रेस में २४९ सदस्य थे पर अब हम २७३ हो गये हैं। जब आपका ख्याल हमारी तरफ अच्छा होता है तो आप वहां से खिसक कर इधर चले आये हैं और हम आपको अपने में ले लेते हैं। तो इसमें आपको शिकायत का कोई मौका नहीं होना चाहिये। अब भी माननीय झारखंडे राय जी या माननीय भीखालाल जी अगर हमारी तरफ आना चाहें तो वे आ सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिये जो आपत्ति की गयी है वह मुनासिब नहीं है।

दूसरी बात यहां पर ३ आफिसर्स के बारे में कही गयी। एक इंजीनियर, एक टैक्स आफिसर और एक एक्जीक्यूटिव आफिसर। सरकार ने उन्हें प्राविंशियलाइज कर दिया है। मुझे मालूम हुआ है कि जो नियम इस सम्बन्ध में बनने वाले थे, वे बन चुके हैं। नवम्बर या दिसम्बर तक लागू हो जायेंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बिल के पास हो जाने के बाद कुछ तो समय लगता है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। मान्यवर, घर को छोड़ने में कुछ समय लग जाता है।

एक बात उन्होंने नो कान्फीडेन्स की कही कि अगर साधारण घटना हो जाय और उसमें यह लोग गैर हाजिर हो जायं तो उचित नहीं होगा। कोई आफिसर अगर होता है और उसे काम दिया जाता है तो उसके लिये आवश्यक हो जाता है कि अगर वे गैर हाजिर होते हैं तो उसका विशेष कारण ही होता है। वरन् जिस सरकारी अधिकारी को आदेश दे दिया जाता है, उसको अपनी जगह हाजिर होना ही चाहिये। फिर असाधारण स्थिति की व्याख्या करना भी आसान नहीं है।

एक बात यहां पर कही गयी है कि विकास खंडों को कम किया जा रहा है। मुझे यह मालूम हुआ है कि विकास खंडों को कम नहीं किया गया है बल्कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट होगा। उनकी बाउंड्री को एडजेस्ट किया जायगा। इस समय हमारे प्रदेश में ८७५ ब्लाक्स हैं। अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेस्टमेंट कर दिया तो इससे हम कुछ पैसे, शायद एक करोड़ से अधिक बचा सकते हैं और आज पैसे बचाने के लिये हर कदम उठाना पड़ेगा। कहीं-कहीं तो विकास खण्ड बहुत छोटे हैं और कहीं-कहीं पर बहुत बड़े हैं। कहीं की आबादी १ लाख है, कहीं की ८८,००० और कहीं पर ६४,००० है। तो जो काफी विभिन्नता है उसे दूर किया जाय। जो भी ब्लाक्स बनाये जायं वे आबादी और एक्सेसिबिलिटी के आधार पर ही बनाने चाहिये। मैं तो चाहता था कि अगर जिला परिषदों से मशविरा हो जाता तो ज्यादा अच्छी बात थी अपनी जगह पर।

यह भी कहा गया कि जिला परिषदों में बड़ी पार्टी बाजी है और इस तरह की है जैसी यहां सत्तारूढ़ दल में है। माननीय भीखा लाल जी चले गये। मैंने एक दफा और कहा था और आपकी आज्ञा से फिर कहना चाहता हूं, माननीय मैनेजर सिंह इस बात को ऐप्रीशियेट करेंगे कि जिसके पास पैसा हो, शक्ति हो उसमें अगर मुक्का-मुक्की हो तो ठीक भी है, लेकिन फाका मस्तों में भी आपस में वही बात है। कम्युनिस्ट पार्टी छोटी सी यहां है उसमें भी दो आदमियों ने कह दिया कि हम तो मार्केसिस्ट पार्टी में होना चाहते हैं। इसलिये आप हमारी मिसाल न दें। हां, यह जरूर कहें कि गुटबन्दी किसी भी पार्टी में नहीं होनी चाहिये।

एक बात यह कही गयी कि मालगुजारी का एक बटे चार हिस्सा विकास खन्डों को विकास के कामों के लिये दिया जाना चाहिये। मैं यह नहीं मानता। आपने देखा होगा कि जितना भी प्लान है, उसमें ८५ परसेन्ट खर्चा देहातों के वास्ते रखा गया है, चाहे बिजली हो, आबपाशी के लिये हो, ग्राम पंचायत या खेती के लिये हो। इसलिये अगर आप मालगुजारी का एक बटे चार हिस्सा उनको दे देते हैं तो सरकार के साधनों में कमी हो जायगी। सरकार ने यह आदेश दिया है कि अब तक जो ६ नये पैसे का आप्शनल टैक्सेशन था गांव सभाओं के पास था वह ६ नया पैसा को कम्पलसरी कर दिया जाय और ४ नये पैसे तक का और आप्शन दे दिया गया है अगर माली हालत अच्छी हो तो वह ले सकती है। जिला परिषद् में एजूकेशन सेस की २५ पैसे की बात की गयी है। मैं मानता हूं कि टैक्स की बात जब होती है तो परेशानी लोगों को पैदा होती है। लेकिन माननीय चन्द्रजीत यादव जी जानते हैं कि अगर किसी देश का विकास करना है तो टैक्ससेशन से बच नहीं सकते। हां यह जरूर होना चाहिये जो पैसा टैक्स से लिया उसकी एक ए क पाई का प्रापर यूटिलाइजेशन होना चाहिये। लेकिन अगर आप यह चाहें देहात पर टैक्स न लगे और विकास खन्डों को मालगुजारी में से दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

विधेयक में कहीं टैक्स का प्रावीजन नहीं है।

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, जो बातें यहां उठी थीं मैं उनका जवाब दे रहा हूं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मालगुजारी का जो प्रस्ताव आया है वह उचित नहीं है। प्रवर समिति की बात आया और कहा गया कि उसका दायरा बढ़ाया जाय और यह भी कहा कि कोई नया बिल पेश किया जाय। यह तो मान्यवर, विकास का युग है इसमें यह भोला भाला विधेयक आया है जिससे शिक्षकों के चुनने के लिये चुनाव समिति हो जाय क्योंकि शिकायत थी कि जिला परिषद् में टीचर्स का चुनाव ठीक नहीं होता है। इसलिये विधेयक आया था। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति का जो संशोधन आया है इसको वापस लिया जायगा और मेरे सभी साथी इस विधेयक को पास करने की कृपा करेंगे।

उनकी एक बात और थी वह तो कांफिडेंस के अन्दर सिम्पिल मेजारिटी की बात है लेकिन जो सुझाव आया है वह यह है कि २, ३ रहे। वह इस विधेयक के अन्दर नहीं है, वह विरोधी पक्ष की ओर से आया था। मैं और ज्यादा चीजों में नहीं जाना चाहता। ये ४, ५ चीजें थीं जिनकी मैंने चर्चा की। विधेयक जैसा कहा गया बहुत अच्छा है और जितनी स्पीचेज मैंने सुनी उनसे मुझे ऐसा लगा कि आम तौर से लोगों का समर्थन इसके साथ है।

*श्री मैनेजरसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सामुदायिक विकास मंत्री ने यह संशोधन विधेयक पेश करके कम से कम एक मानी में सामुदायिक भावना का आदर किया है और यह शिक्षकों के चुनाव को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से काफी शिकायतें आती रही हैं और काफी धान्धली उनके चुनाव में होती रही है। रिश्वत लेने और अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की शिकायतें मिली हैं। इन जन शिकायत का आदर करके माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूंकि क्षेत्र समिति, जिला परिषद् अधिनियम में व्यापक संशोधन की आवश्यकता थी और चाहिये यह था कि माननीय मंत्री जी पूरे अधिनियम पर गंभीरता पूर्वक विचार करते और व्यापक संशोधन विधेयक इस सदन के सामने लाते ताकि इसमें आमूल परिवर्तन हो सकता लेकिन अफसोस है कि चन्द धाराओं में दो एक बातों को लाकर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

जहां तक विकास खन्डों के मुख्यालय को स्थापित करने के लिये सरकार को अधिकार देने की बात है, उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि सरकार निर्णय लेते वक्त इस बात को अवश्य ध्यान में रखे कि सरकार पर भी इस बात की पाबन्दी हो कि जो स्थान क्षेत्र समिति तथा विकास खन्ड के मध्य हो, जो क्षेत्र के लोगों के लिये स्वाभाविक आवागमन का स्थान हो, उसी को मुख्यालय बनाया जाय। विकास खन्डों के पुनर्गठन की आज आवश्यकता है और इसके पीछे जो भावना है सरकार की, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं इसे उचित मानता हूं कि विकास खन्डों की संख्या कम करके जो पैसा वेतन आदि से बचे, उस बचत को जनता की अन्य सुविधाओं के लिये इस्तेमाल किया जाय।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि विकास खन्डों को तोड़ने का तथा मिलाने का जो प्रयोग में लाने की बात सरकार सोच रही है वह ठीक नहीं है। होना यह चाहिये कि जितने विकास खन्ड एक एक जिले के निश्चित हैं उतने विकास खंडों का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नये ढंग से पुनर्गठन होना चाहिये। इस बात को दिमाग में नहीं रखना चाहिये कि आज के पहले किस गांव में विकास खन्ड था और किस में नहीं था। सारे जिले के विकास खन्डों की रचना नये ढंग से होनी चाहिये। जैसा माननीय भीखा लाल जी ने कहा कि विकास खन्डों की रचना ऐसे ढंग से होनी चाहिये कि उनके क्षेत्रफल में ज्यादा भिन्नता न हो और उनमें करीब करीब एक रूपता हो। साथ ही साथ ऐसे हों जो एक दूसरे से लगे हुए हों। पिछले समय में जब विकास खन्डों की रचना की गई थी तो हमारे जिले में एक हनुमानगंज विकास खन्ड है, उसकी तीन गांव सभायें नदी के पार हैं और यदि वे गांव सभायें विकास खन्ड में रहती तो उनके लिये कार्य में सुविधा होती। ऐसे ही यह भी हुआ कि कुछ गांव सभाओं को, पड़ोसी विकास खन्ड से न मिलाकर दूर के विकास खन्ड से मिला दिया गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसी भूलें जो पिछले समय विकास खंड बनाते समय हुई थीं, इस बार नहीं होनी चाहिये। सरकार अपने अधिकारियों को इस बात का निर्देश देगी कि वे इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि कहां कहां विकास खन्ड थे और कहां तक उनकी सीमा थी और नये ढंग से विकास खन्डों की रचना होनी चाहिये।

मान्यवर, जहां तक टूटने वाले विकास खन्डों के सदस्यों के संबंध में प्राविधान किया गया है वह उचित है लेकिन उप प्रमुख के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। विकास खन्डों के पुनर्गठन के बाद उनकी क्या स्थिति होगी, इसका कोई प्राविधान नहीं है। मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस कमी की ओर ध्यान देंगे।

एक बात और है कि यदि तीन विकास खन्डों को दो में बदला जायगा तो उनके प्रमुख कौन होंगे। उनका नया निर्वाचन होगा, जिस विकास खन्ड का नाम रहेगा उसके प्रमुख होंगे या जो विकास खन्ड कट जायेगा उसके प्रमुख हटा दिये जायेंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस कमी को किसी संशोधन को स्वीकार करके दूर करने की कोशिश करें जिससे स्थिति साफ हो जाय।

जहां तक प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव का प्रश्न है मंत्री जी ने एक साल की अवधि को बढ़ाकर तो दो साल का संशोधन किया है। मैं समझता हूं कि उसे वे वापस ले लें। मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक तरीके से यह है कि यदि प्रमुख को बहुमत प्राप्त न हो तो उसे स्वयं हट जाना चाहिये। इसमें कोई समय की कैद नहीं होनी चाहिये। यदि एक प्रमुख जो पंचायत राज की दूसरी इकाई का अध्यक्ष है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि विकास के कार्यों को सम्पादित करे। यदि उसको बहुमत प्राप्त नहीं है तो उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि एक साल की अवधि उचित थी। उसके बदलने की जरूरत नहीं है।

दूसरी यह व्यवस्था की गई है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अविश्वास संबंधी बैठक नहीं हो पाती है या अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर बैठक बुलाई जाय, इस प्राविधान का मैं समर्थन करना चाहता हूं। पिछले समय में यह भूल हुई थी उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा है। हमारे बलिया विकास खन्ड में अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया। ३२ सदस्य ब्लाक हेडक्वार्टर पर जहां पर बैठक की सूचना थी। वहां पहुंचे। वहां कुछ हमारे जिले के गुन्डे, जिनका आज राजनीति में हाथ हो गया है, जो सफेद कपड़ा पहन कर कांग्रेसी हो गये हैं, ऐसे लोगों ने गुन्डों को इकट्ठा किया और बैठक नहीं होने दी। तीन तीन डिप्टी कलेक्टर, पुलिस डी० वाई० एस० पी० मौजूद रहे, सैकड़ों पुलिस के नौजवान मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में एक सदस्य को गुंडे उठाकर, ले कर चले गये। उन गुंडों का नेतृत्व जिला परिषद् के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के विधायक कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के विधायक और जिला परिषद के अध्यक्ष, तीनों डिप्टी कलेक्टर और डी० वाई० एस० पी० मौन रहे। कोई कार्यवाही नहीं की।

एक सदस्य—

विधायक का नाम ले लीजिये।

श्री मैनेजरसिंह—

श्री शिव मंगल सिंह। एक हरिजन सदस्य को बैरिया के थानेदार कमर से पकड़े थे। थानेदार पर भी जूते लगे और गुन्डे उसको भी उठा कर तीन मील दूर ले गये। यह सारा किस्सा अफसरों और पुलिस के सामने हुआ। कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं समझता हूं कि बैरिया कान्ड के कारण ही सरकार का ध्यान इस तरफ गया है और जो कानून में कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कानून विभाग ने कहा कि कोई भी प्राविजन नहीं है फिर भी मीटिंग बुलायी जाय। आप चाहते हैं कि पंचायती राज को विकसित करें लेकिन मैं पूछता हूं कि जब गुन्डे प्रमुख के बल पर रहना चाहते हैं, उनके लिये क्या प्राविधान हैं? आपने धारा १९ में रखा है कि उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि बैरिया के प्रमुख के खिलाफ क्या अनुशासन की कार्यवाही की गयी। कमीशन को दे दिया। एक कमीशन नैनीताल में है, एक बनारस में है। आपने पूछा कि उन्होंने क्या कार्यवाही की? नौ महीने से अधिक हो गये। नौ महीने में अगर कोशिश करते तो बच्चा पैदा कर देते। मैं कहना चाहता हूं कि आप इतने नपुंसक हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

जरा संसदीय शब्दों का प्रयोग करें।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं वापस लेता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र—

इधर कोई नपुंसक नहीं है, आप इतमीनान रखें।

श्री मैनेजरसिंह—

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब यदि आप सक्षम नहीं हैं, आपके अधिकारी सक्षम नहीं हैं तो आपको चाहिये था कि आप उस धारा को अधिनियम से निकलवा देते। या आप छोड़ दें, मनमानी करने दें प्रमुखों को। यदि आप इस धारा में संशोधन नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अनुशासन की कार्यवाही करने के बारे में क्यों रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बैरिया विकास खन्ड के प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के सिलसिले में जिला नियोज अधिकारी, बलिया, श्री श्रीपत सिंह ने, बैरिया के प्रमुख के पक्ष में साजिश करके उस बैरिया विकास खन्ड की जीप को मुरली छपरा विकास खन्ड के नाम एलाट कर दिया। बैरिया की जीप जो कि मुरली छपरा विकास खन्ड को दी गयी, उसका वहां के प्रमुख, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, जो कि श्री शिव मंगल सिंह के रिश्तेदार हैं, ने भारी दुरुपयोग किया। उस जीप के द्वारा उन्होंने अपने पक्ष के लोगों और गुन्डों के साथ कन्वेसिंग किया। इतना ही नहीं, तिहर पुर के प्रधान को जबरदस्ती पकड़कर अपनी उसी जीप में लेकर भाग गये जिससे कि वह अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में अपना मतदान न कर सके। इस घटना की रिपोर्ट तिहरपुर के प्रधान के पुत्र ने की कि उसके पिता को नंगे, बिना कपड़े पहने कुछ लोग जीप में लेकर भाग गये हैं। इसकी जांच वहां के डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर ने की। इस सिलसिले में ड्राइवर के बयान लिये गये और उसने कहा कि मुरली छपरा के प्रमुख के साथ में जीप पर ऐसी घटना हुई है। तो इस तरह से कुछ स्वार्थी गुन्डे लोगों ने उस प्रधान को जबरदस्ती बर्बरतापूर्ण ढंग से बैठक में भाग नहीं लेने दिया और बैठक नहीं होने दी। कलेक्टर ने इस बात को जांच के उपरान्त माना कि बैरिया विकास खन्ड की जीप जो मुरली छपरा गयी थी, उसका दुरुपयोग अविश्वास के प्रस्ताव के सिलसिले में किया गया है। क्या हुआ? कोई कार्यवाही नहीं हुई, कलेक्टर ने कहा कि हमने गवर्नमेन्ट को रिपोर्ट कर दी है। अब इस

मामले को दबाने के लिये उक्त प्रधान के बेटे का मुंह बन्द करने के लिये उसे मास्टर बना दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस अवसर पर मुरली छपरा के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की गयी या नहीं की गयी ? यदि नहीं की गयी तो क्यों ? आप इसकी सफाई दें।

यदि आपके अधिकारी सक्षम नहीं हैं, तो आप उस धारा को निकलवाइये, जिसमें अनुशासन की कार्यवाही का जिक्र है। मैं इस सिलसिले में यह भी जिक्र करना चाहता हूं कि पंचायती राज का कार्य केवल छोड़ देने से चलने वाला नहीं है। मैं स्वयं पंचायती राज के विचारों का पोषक हूं। इस आदरणीय सदन में जब प्रत्यक्ष चुनावों की बात आई, हमारी पार्टी ने फैसला किया था कि हम प्रत्यक्ष चुनाव का समर्थन करेंगे। आज भी हमारी पार्टी के वक्ता श्री कमला सिंह बोले उन्होंने भी उसका समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी के भी एक दो सदस्यों ने प्रत्यक्ष चुनाव का समर्थन किया। हमारी पार्टी का यह मत है कि प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिये प्रमुख और जिला परिषद् के सदस्यों का। पंचायत राज विकास और उसके प्रसार के लिये प्रत्यक्ष चुनाव आवश्यक भी है। किन्तु मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि इस प्रत्यक्ष चुनाव के कारण जो पुराने जमींदार हैं या जो पैसे वाले हैं बड़े बड़े सेठ महाजन हैं, वे लोग पैसे के बल पर, डंडे के बल पर बहुत जगह सभापति और प्रमुख बन गये हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को रखते हुए कैसे ऐसे लोगों पर अंकुश रखा जाय, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाये। इस व्यवस्था से वह बिना भय दबाव के अपनी अन्तरात्मा से जो उचित होगा वही मतदान करेंगे।

मान्यवर, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि धारा ४३ की उपधारा (३) है जिसका धारा ४८ में तरमीम किया गया है। इस संबंध में मैं यह उचित समझता हूं कि जिला परिषदों की जो चुनाव समिति हैं, उससे जो आपने शिक्षकों के चुनाव का अधिकार ले लिया है, उसका मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन करना चाहता हूं। यदि हम चाहते हैं कि शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो तो हमारे लिये लाजिमी हो जाता है कि हम सही अध्यापकों का चुनाव होने दें। यदि चुनाव अध्यापकों का पैसे के बल पर, या पार्टीबाजी के पर बल पर होगा। यदि अध्यापकों का चुनाव घूसखोरी और पैसे के आधार पर होगा तो निश्चित ही शिक्षा का स्तर गिरेगा जैसा कि हम सभी स्वयं अनुभव करते हैं कि दो साल में गिरा है।

एक बात से मैं सशंकित हूं। माननीय मंत्री जी ने बिल प्रस्तुत करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि अध्यक्ष भी इस चुनाव समिति के सदस्य रहेंगे। मैं नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि आप अध्यक्ष को हरगिज इस समिति में न आने दें। अध्यक्षों की जो सभा लखनऊ में हुई है और उनका राजनीतिक दबाव पड़ा है उसी का यह प्रतिफल है कि माननीय मंत्री जी इस बात पर झुक गये। मैं मंत्री जी से कहता हूं कि ६ तारीख को फैसला होने वाला है आप तब तक विचार कर लें और राजनीति से अलग रखा जावे उसको। मैं इस तर्क को नहीं मानता कि इस अधिकार को छीनने से प्रजातंत्र को ठेस पहुंचती है। मैं इस आदरणीय सदन के किसी भी माननीय सदस्य से पंचायती राज की भावना में यदि अधिक नहीं हूं तो कम नहीं हूं लेकिन मैं यह मानता हूं कि अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए। पंचायतीराज में अधिकार की भावना नहीं होनी चाहिये, वह तो कर्त्तव्य की भावना की बात है। वह विचार की भावना की चीज है। यहां प्रजातंत्र की सरकार बैठी हुई है, जनता के चुने हुए लोग बैठे हैं, मंत्री और मुख्य मंत्री जी भी लेकिन इनको अधिकार नहीं है कि पी० सी० एस० और आई० ए० एस० का चुनाव कर दें। चीफ सेक्रेटरी को चुन दें, उसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन और केन्द्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है। तो क्या एतराज है कि जिले की जो पंचायत है, जैसे दिल्ली में केन्द्रीय सरकार है, और प्रदेशीय सरकार लखनऊ में है, उसी प्रकार जिलों की सरकार जिलों में है और इसी तरह

[श्री मैनेजर सिंह]

से हरदोई या बलिया की जिला सरकारें हैं और अगर वहां के अध्यक्षों को इसमें नहीं रखा जाता, चुनाव समिति में, तो बुरा नहीं मानना चाहिये। ईमानदारी का तकाजा यही है। जो एजूकेशनल एक्सपर्टस हैं, उनकी एक समिति होनी चाहिये, जो शिक्षकों का निर्वाचन करे। मैं तो कहना चाहता हूं कि इसमें भी प्रमाणित करने की जिम्मेदारी पब्लिक सर्विस कमीशन पर रहे। मैंने पहले ही साग्रह निवेदन किया है कि अध्यक्ष को आप इस चुनाव से अलग करें। जो नियम आप बनावें उसमें भी मेरे सुझाव को मान लिया जाय। अगर १०० या ५० अध्यापकों की नियुक्ति जिला परिषदों में होने वाली है तो आप ऐसी एक कमेटी बनावें जिसमें जिला निरीक्षक, उप जिला निरीक्षक, और हेडक्वार्टर पर नार्मल स्कूल का, जो प्रिंसिपल हो, उन तीनों की समिति बनाइये जो आवेदन पत्र हर साल जून में आमंत्रित करे और एक लम्बी सूची योग्यता के आधार पर एप्रूव कर दे और उसके अन्दर से अध्यक्ष जैसे जैसे उनके यहां स्थान खाली हों क्रमानुसार लेते जावें। यह न हो कि कुछ चुनाव के लिये एक बार समिति बैठे और दूसरे के लिये दोबारा। एक बार ही समिति बैठे और आवेदकों का साक्षात्कार करके योग्यता के आधार पर क्रमबद्ध कर दे और उसी सूची से जिला परिषद् नियुक्तियां करे तब कोई झगड़ा सिफारिशों, घूस का और पहुंच का नहीं रहेगा। मैं समझता हूं इस पर भी माननीय मंत्री जी गौर करेंगे और इस बात का प्राविधान नियमों में करने की कृपा करेंगे कि जो सूची आये वह क्रमबद्ध हो और उसी प्रकार से चुनाव समिति के द्वारा स्वीकार की जाय। यह कहा गया है कि यदि अध्यक्ष इत्तफाक न करे तो फिर आयुक्त के यहां अपील करेंगे। मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता नहीं है। जब वह समिति योग्यता के आधार पर लिस्ट बना देगी और वह लिस्ट क्रम से होगी तो वह क्रम से ही लेंगे और उसमें कोई शिकायत का मौका नहीं होना चाहिये। यदि आप मौका देना चाहते हैं तो उसमें इतना प्रतिबन्ध लगाइये कि आयुक्त उप शिक्षा निदेशक की सलाह से उस पर निर्णय देवें क्योंकि यह मामला शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के अधिकारी हर कमिश्नरी में हैं। जब आयुक्त निर्णय करेगा तो उपनिदेशक की राय से आयुक्त निर्णय ले ताकि शिक्षा नियम संबंधी कोई गलती आयुक्त से न हो। हमारे मित्र कह रहे हैं कि निदेशक के पास जाय लेकिन मैं कहता हूं कि उपनिदेशक की राय पर आयुक्त निर्णय ले और जब एक निर्णय हो जाय तो वह अन्तिम हो।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी चुनाव समिति है वह भी दोषपूर्ण है। उस पर भी मैं चाहता हूं कि मंत्री जी विचार करें। पुराना जो विधेयक है उसमें भी जिला परिषद का अध्यक्ष और जिला नियोजन अधिकारी ये दोनों उसमें रहते हैं और एक अधिकारी तीसरे भी उसमें रहते हैं। जिला नियोजन अधिकारी के अन्दर कोई गट्स नहीं होते हैं। उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह अध्यक्ष की राय के विरुद्ध कोई राय दे। उसकी बात वहां पर चल नहीं पाती है। सारे अधिकार अध्यक्ष के पास ही रह जाते हैं। तो समिति के अन्दर भी कुछ संशोधन होना चाहिये। जो लिपिक या ओवरसियर की नियुक्ति हो उसके लिये अलग समिति होनी चाहिये जो चुनाव करे। अधिकारियों के चुनाव का अधिकार विशेषज्ञ समिति को होना चाहिये जो देखभाल करके यह सब करे। जो चुनाव समिति का पहले का रूप है उसको बदलना चाहिये। मैं समझता हूं मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे।

मैं समझता हूं जैसा कि भीखालाल जी ने कहा कि बड़े अरसे के बाद यह संशोधन विधेयक आया है और अध्यादेश के बहाने से आया है। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा अध्यादेश का कोई मूल्य रहा नहीं क्योंकि न कोई समिति बनी है और न चुनाव हुआ है। आपने उनको रोक दिया है। उसमें एक बात बदलना जरुरी है। मेरा निवेदन है उसमें आपने एक व्यवस्था ऐसी कर दी है जिसका बड़ा दुरुपयोग होगा और आपका जितना भी यह इस विधेयक के

अन्दर प्रयत्न है वह विफल हो जायगा । आपने अध्यक्षको यह हक दिया है कि एक साल के लिये वह अस्थायी नियुक्ति कर सकता है । जिला परिषद् का अध्यक्ष इस तरह की नियुक्ति कर सकता है जो एक साल के लिये होगी । जिला परिषद् के अध्यक्ष एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं । वह इसको एक-एक साल करके चलायेंगे । एक साल के लिये अस्थायी नियुक्ति करेंगे, फिर दूसरे साल भी उसी की अस्थायी नियुक्ति कर देंगे । इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा और कोई योग्य व्यक्ति उस स्थान पर नहीं आ सकेगा । इन अस्थायी नियुक्तियों में पक्षपात वाले आदमी ही आयेंगे । इसलिये मेरा सुझाव है कि यह अस्थायी नियुक्तियां तीन महीने से अधिक के लिये नहीं की जानी चाहिये और इस में आप तरमीम करें कि ये केवल तीन मास के लिये हों, साल भर के लिये नहीं, अन्यथा आप के सारे प्रयत्न विफल हो जायंगे ।

अंत में एक निवेदन और करना है । उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम जो है इस में व्यापक तरमीम की आवश्यकता है । चाहिये था कि इसका नाम भी बदल दिया जाता और इसका नाम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम होना चाहिये था, जैसा सुझाव माननीय भीखालाल जी ने दिया था । पंचायती राज का कानून आज भी है । इस पंचायत राज के तीन स्तम्भ हैं । उनके लिये अलग अलग कायदे हैं । यह भी विचार हो रहा है कि पंचायती राज निदेशालय को तोड़ दिया जाय और निदेशक का पद किसी दूसरे को दे दिया जाय । मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पंचायत राज का काम चल रहा है उसे देखते हुये कहना पड़ता है कि पंचायत राज का यहां गला घोंटा जा रहा है । जो भावना १९४७ से १९५५ तक थी वह इस प्रदेश में आज नहीं है । पंचायतों को विकास विभाग उदरस्थ करता जा रहा है । मैं समझता हूं कि निदेशालय तोड़ने से पंचायत राज की यह एक निशानी भी प्रदेश में समाप्त हो जायगी । जिले में जो दूसरे विभाग इसमें मिलाये गये हैं उनके अधिकारियों के पास काफी अधिकार हैं और पंचायत के अधिकारी को कोई भी अधिकार है नहीं । उसे प्रधान लिपिक तक के अधिकार नहीं दिये गये हैं । मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इस ओर विचार करना चाहिये और उसे अधिकार दे कर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिये ।

साथ ही यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है । देश के नेताओं की भी यह धारणा है और वे इस विचार के पोषक हैं कि पंचायतों को मालगुजारी का कुछ भाग दिया जाना चाहिये । मैं नहीं समझता कि कांग्रेस दल के नवलकिशोर जी, जिन का उत्तर प्रदेश कांग्रेस में विशेष स्थान है । किस प्रकार इस विचार के विरोध में बात करते हैं ।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए)

अधिकतर सदस्य इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों को मालगुजारी का कुछ भाग मिलना चाहिये । उत्तर प्रदेश में पंचायतों को मालगुजारी का भाग न दिया जाय, मैं समझता हूं यह कोई स्वर्ण अक्षर में लिखी जाने वाली बात प्रदेश के लिये नहीं है । मैं नवल किशोर जी से कहूंगा कि वह अपने विचार को परिवर्तित करें । महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य कई प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है । माननीय नवल किशोर जी स्वीकार कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि उनका दल इस बात को मानेगा कि सरकार को मजबूर करके मालगुजारी का अधिक भाग पंचायतों को दिलवाया जाय । सौराष्ट्र इलाका जो गुजरात का है वह कारकुन, जैसा कि हमारे यहां पंचायत मंत्री है, उनको तनख्वाह सरकार देती थी । उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ? शुरू में पंचायत जब गठित हुई तो कुछ अनुदान निकाला गया पंचायतों को देने के लिये । यहां जो आई० सी० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी हैं वह पंचायतों के प्रबल दुश्मन हैं । उन्होंने सुझाया कि पंचायत मंत्री का वेतन इस अनुदान के पैसे से दे दिया जाय । तो जो अनुदान का पैसा पंचायतों को मिलने वाला था उसको रोक दिया गया और उसी से तनख्वाह दी गयी । आज तक पंचायतों को दिये जानेवाले अनुदान से पैसे पंचायत मंत्री को वेतन दिया जा रहा है ।

साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां ग्राम सेवकों का, बी० डी० ओ० का सृजन हुआ, ए० डी० ओ० कृषि का और अन्य ए० डी० ओ० का सृजन हुआ, साथ में ए० डी० ओ० डब्ल्यू०

[श्री मैनेजरसिंह]

का भी हुआ । श्रीमन्, आप को भी अनुभव होगा कि ए० डी० ओ० डब्ल्यू० की वजह से विकास का काम कितना बढ़ रहा है या घट रहा है । उसकी क्या आवश्यकता है, मेरी समझ में नहीं आता । साथ ही ए० डी० ओ० कम्पोस्ट को हटा कर विकास खंडों के पंचायत मंत्रियों का वेतन राज्य खजाने से आप दे सकते हैं । आज भी ऐसे पंचायत मंत्री मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ कंधा मिला कर अपनी जवानी स्वतंत्रता संग्राम में दी है, बड़ी कुर्बानी की है, ऐसे कांग्रेस के भी हैं ऐसे पंचायत मंत्रियों को सरकार सुविधायें नहीं देना चाहती है । क्या यही कांग्रेसी हुकूमत का नमूना है ? मैं समझता हूं नवल किशोर जी इस पर ध्यान देंगे और अपने दल को सोचने के लिये बाध्य करेंगे कि पंचायत मंत्रियों और ग्राम सेवकों को एक वर्ग में लावें, राजकीय कर्मचारी घोषित करें और समुचित रूप से समान सुविधायें दें । मैं समझता हूं वह समर्थन कर रहे हैं । यदि वह प्रयास करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इसे जरूर मानेगी और उनकी सरकार इसे कार्यान्वित करेगी । इस लिये उत्तर प्रदेश में मालगुजारी का आधा भाग गांव सभाओं को दे दिया जाय । गांव सभायें ऐसी भी हैं जिनकी आमदनी २५ रुपया है । उसमें ढाई रुपया तो पंचायत मंत्रियों का भत्ता लग जाता है जोकि ३० रुपये हो गया । तो उस आमदनी से भी ज्यादा उनको देना पड़ता है । एक पैसा नहीं रह जाता जिससे और काम करें । इसलिये इस विधेयक में गांव सभाओं के साधन बढ़ाने का प्रबन्ध अवश्य किया जाय । मैं भी एक गांव सभा का प्रधान हूं जिसकी आमदनी १२५ रुपया थी मैंने कोशिश की कि उसकी कुछ आमदनी बढ़े । उसकी आमदनी बढ़ाने की कोई व्यवस्था इस अधिनियम में नहीं है कि कैसे वह बढ़ाई जाय । एक बार मैंने अपने यहां एक पशु मेला लगाने की कोशिश की । आज तक जिला परिषद् ने उसमें मुझे सहयोग नहीं दिया कभी-कभी तो ऐसे उल्टे दिमाग के अधिकारी पहुंचते हैं कि वे यह कोशिश करते हैं कि वहां कोई मेला आदि न लगने पावे । एक बी० डी० ओ० जो मुअत्तल हैं, वे भी इसी तरह के थे । मैंने अपने यहां एक मत्स्य पालन की भी योजना चलानी चाही, मगर उसमें भी अधिकारियों ने साथ नहीं दिया । मैंने उसके लिये माननीय कृषि मंत्री जी से जिक्र किया । उन्होंने पशुपालन के सचिव से कहा कि आपके मत्स्य पालन के अधिकारी इनकी कुछ मदद करें । जब मैं सचिव महोदय, श्री सिद्दीकी से मिला तो उन्होंने सहायक निदेशक को टेलीफोन भी किया । उन्होंने कुछ समय चाहा, मैंने २० दिन का समय दिया । ४ जून तय की गयी कि वे वहां जायेंगे किन्तु उस दिन सहायक निदेशक महोदय नहीं गये । फिर समय दिया गया, उस बार भी नहीं गये । आज तक वे वहां नहीं गये । पता नहीं कौन-सी बला के यह आफिसर हैं जो बलिया में पहुंच नहीं पा रहे हैं । कोई अधिकारी आज ऐसा नहीं है जो पंचायतों की सहायता कर सके । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक में कोई ऐसी व्यवस्था करें जिस से गांव पंचायतों की आमदनी बढ़ाई जा सके ।

एक बात अंत में मैं और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । इसमें क्षेत्र समिति के अध्यक्षों के लिये शान्तिपूर्वक कार्य करने के लिये २ साल का समय रखा गया है । २ साल तक कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता । आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आपके जिला परिषदों के अध्यक्ष और क्षेत्र समिति के प्रमुख ठीक तरह से कार्य करते भी हैं या नहीं । मैं जिला परिषद्, बलिया का उदाहरण पेश करना चाहता हूं । यह क्षेत्र समिति और जिला परिषदें आज आपके जिला परिषद् अधिनियम को मानने के लिये तैयार नहीं हैं, कोई आज्ञायें आपकी मानने के लिये तैयार नहीं हैं । आपकी तरफ से आदेश जाते हैं, वहां उनका अनादर होता है । बलिया जिला परिषद् के अध्यक्ष ने, अपने यहां एक ड्राफ्ट मैन को ओवरसियर बना दिया है । आपके पंचायत विभाग ने उसकी एज्जेम्प्ट भी कर दिया है । इसी ओवरसियर को अब इंजीनियर का पद दिया जा रहा है किन्तु जो पास शुदा ओवरसियर है, उसके पास कोई काम नहीं है । इसके अलावा वहां एक सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है । उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की वह कौन-सी धारा है जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष को अपना सलाहकार नियुक्त करने का प्राविजन है ? एक रामगोविन्द लाल कोई व्यक्ति हैं जिनको सलाहकार

नियुक्त किया गया है । पहले वे किसी विभाग में राज्य द्वारा सचिव थे, वहां से उनका पत्ता बोल हुआ था । तो सलाहकार नियुक्त किये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि कौन-सा प्राविधान है इस अधिनियम में जिसमें सलाहकार के पद का सृजन करने की व्यवस्था है, जोकि बलिया में सृजन किया गया है और जहां कि जिला परिषद् की सारी फाइलें जाती हैं, जहां जिला परिषद् के सारे कर्मचारी हाजिरी देते हैं और हाजिरी ही नहीं, क्या-क्या करते हैं । आप उसकी सी० आई० डी० से जांच करा लें । अगर आप कोई कार्यवाही न करना चाहें क्योंकि आपकी पार्टी के लोग हैं, तो कम से कम आपको जानकारी तो हो । जिस तरह से अध्यापकों की नियुक्ति में गड़बड़ की खबर आपके पास चारों तरफ से आयी तो आपने कोई तरकीब लगाने की कोशिश की इसी तरह आपको खबर हो जायगी तो आप इसका भी निराकरण करने की कोशिश करेंगे । तो जिला परिषद्, बलिया की इन गैर-कानूनी कार्यवाहियों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये ।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों का जो स्थानान्तरण है, यह अधिकार भी आपको हटाना चाहिये अध्यक्ष के पास से और शिक्षा का जो अधीक्षक है उसे सोलहों आना यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिये । आप अध्यापकों और अध्यापिकाओं की चोटी अध्यक्ष के हाथ में रखना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है । हमारे जिले की एक अध्यापिका यहां आयी हुई हैं । उन्होंने शिक्षा मंत्री से भेंट की और यहां के अधिकारियों से भेंट की । उन्होंने जो चित्रण किया उसको आप सुन लें तो शर्म से सिर झुक जाता है । हमारे यहां जो अनर्थ अध्यापिकाओं और अध्यापकों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर में किया जा रहा है, उसकी माननीय मंत्री जी जांच करावें और इस बिल में कोई ऐसा प्राविधान करें जिससे कि अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण कमसे कम अध्यक्ष से अलग हो जाय और सारे अध्यापकों का स्थानान्तरण भी अध्यक्ष से अलग हो जाय । इसी के साथ ही साथ ए० डी० ओ० (डब्ल्यू०) और ग्राम सेविकाओं को भी वहां से अलग करें और उन्हें शिक्षा विभाग में दे दें या इंस्पेक्टर के जिम्मे कर दें ।

इसके साथ-साथ जीप भी एक झगड़े की जड़ है । जीप की वजह से विकास का काम चल नहीं रहा है, झगड़े हो रहे हैं विकास अधिकारी और अन्य लोगों में । तो इसको भी आप यहां से हटा लें और सामाजिक सेवा के काम में दे दें, मलेरिया उन्मूलन, चेचक या जच्चा-बच्चा केन्द्रों में दे दें । इस से समाज का भला होगा, यह झगड़े कम होंगे, विकास का काम आगे बढ़ेगा और देश का हित होगा । इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, इस क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । ये सभी संशोधन जरूरी थे । केवल एक संशोधन के सम्बन्ध में श्रीमन्, मुझे मंत्री जी से निवेदन करना है और वह यह है कि हम और आप भी गरीब जनता के वोट से चुन कर आये हैं, मंत्री लोग भी गरीबों के वोटों से चुन कर आये हैं और मैं तो बहुत गरीब जनता के वोटों से आया हूं । मुझे कभी पुराने जमींदारों और बड़े महाजनों ने वोट नहीं दिया । जो हमारे वोटर्स हैं उनमें से आज ७५–८० फी सदी की हालत यह है कि अधिकांश घरों में चिराग तक नहीं पहुंच पाता । मिट्टी के तेल की डिबिया की रोशनी कर के उन के बच्चे पढ़ते हैं, वे बहुत ही कठिनाई में हैं । फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाले इसके शिकार नहीं हैं । इसके शिकार तो थर्ड डिवीजन में पास करने वाले ही लड़के हैं । थर्ड डिवीजन वही लड़के आते हैं जिनके पास पढ़ने के लिये पैसे नहीं हैं, जिनके पास फीस नहीं है । फर्स्ट डिवीजन में वही लड़के पास करते हैं जिनके मां-बाप के पास पढ़ाई के लिये फीस देने को पैसे होते हैं, जो उनके लिये ट्यूटर रख सकते हैं और जो उनके लिये पुस्तकें आसानी से खरीद सकते हैं । लेकिन इस तरह के बहुत से लड़के हैं जिनके पास खाना, फीस, किताब नहीं हैं, उन गरीबों का पुरसांहाल कोई नहीं है । इस विधेयक में यह प्राविधान किया गया है कि इसके लिये चुनाव समिति बनायी जाय और समिति आदेश द्वारा बनायी जायगी । उसके लिये सरकार की तरफ

[श्री जे० पी मिश्र]

से आदेश प्राप्त होगा और बिलकुल उसी के हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन के लड़के अध्यापकों की जगह पर लिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन यह है कि थर्ड डिवीजन वालों को आप कहीं भी रोटी द चाहे फौज में भर्ती करा दें या चहें तो ब्लाक में उनको रखवा दें या चाहें तो चपरासी ही रखवा दें लेकिन कहीं न कहीं उनको सर्विस मिल जानी चाहिये क्योंकि थर्ड डिवीजन में पास करने वालों ने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया है कि उनके लिये सारे दरवाजे ही बन्द कर दिये जायं। कहीं न कहीं दरवाजा उनके लिये भी खुला होना चाहिये....

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मिश्रा जी की एक बात का मैं समर्थन करता हूं कि फेल तो एम० एल० ए० हो गये और फर्स्ट डिवीजन वाले मास्टर हो जायं.....

(व्यवधान)

श्री जे० पी० मिश्र—

ये समाजवादी हैं, उनकी बात मैं क्या कहूं। साल भर दो साल के बाद अविश्वास के प्रस्ताव रखने की बात की जा रही है। कहा यह जाता है कि जिला परिषद् के अध्यक्षों की हालत बड़ी खराब है, प्रमुखों की हालत बड़ी खराब है। जब कांग्रेस के लोग चुनाव जीत कर आ गये हैं तो तरह-तरह की बातें उनके सम्बन्ध में कही जाती हैं। जो आदमी भी कांग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके हमारे दल में आता है उसका हम स्वागत करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के सिलसिले में हमारे विरोधी दल के कुछ लोगों को बड़ी परेशानी है लेकिन किसी में इतनी गट नहीं है कि उत्तर प्रदेश के किसी जिला परिषद् के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लावें। एक साल की बात हो या दो साल की बात हो, चाहे चार साल की बात हो, किसी भी दल में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी अध्यक्ष के खिलाफ वह अविश्वास का प्रस्ताव लावे। केवल हवा में उड़ने से और जो भी मन में चाहें किसी की भी इस प्रकार से आलोचना करके विधान सभा में आप अपने को दिखलाना चाहें तो यह किसी से छिपा नहीं है कि आप क्या हैं, और हम क्या हैं। सन् ६२ में आम जनता इसका फैसला कर चुकी है कि कौन क्या है और आगे चल कर सन् ६७ में भी आम जनता के द्वारा इसका फैसला हो जायगा। जिस तरह का रोल आप विधान सभा में दिखा रहे हैं उसको आम जनता पसन्द नहीं करती है। आज गरीब जनता बहुत परेशानी में है, गरीब आदमी अपने लड़कों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास पढ़ने के लिये किताबें खरीदने तक की गुंजायश नहीं है। गरीबों के बच्चे ही थर्ड डिवीजन आते हैं। टाटा बिरला के लड़के तो स्पेशल डिवीजन में पास होते हैं। मान लीजिये इत्तफाक से किसी गरीब का लड़का थर्ड डिवीजन आ गया तो उसका तो जीवन ही खत्म हो जायगा। तो माननीय मंत्री जी शिक्षा समिति और चुनाव समिति बना दें लेकिन यह डिवीजन वाली पाबंदी न लगायें।

आपने ब्लाक्स बनाये, विकास समितियां बनायीं, जिला परिषद् बनायें, किसी की आमदनी दस लाख है, किसी की २० लाख है, बड़े-बड़े की आमदनी ३०–४० लाख है अब आप उनको आदेश देने जा रहे हैं। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप उनमें घटाई-बढ़ाई करने जा रहे हैं। कुछ ब्लाक्स के घटने और कुछ के बढ़ने की संभावना है। लेकिन इसके अतिरिक्त उसमें जो लंबा-चौड़ा स्टाफ रखा गया है उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बी० डी० ओ० १०–१२ वी० एल० डब्ल्यू० को और १०–१२ पंचायत सेक्रेटरीज को भली भांति संभाल सकता है लेकिन उसके साथ आपने जो बहुत से ए० डी० ओ० जोड़ रखे हैं उनको आप कम कर दीजिये। उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। चौथी योजना में आपको बहुत रुपये की आवश्यकता होगी। जब आप ब्लाक्स को कम कर रहे हैं, हमारे यहां १९ के बजाय १६ करने जा रहे हैं, १२ ही रखें लेकिन आपने जो ए० डी० ओज०, रखे हैं, ये सब बेकार हैं, इनको भी कम कर दीजिये। इससे बहुत-सा रुपया बच जायगा। उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह लगा दीजिये।

जो जीपें हैं उनको हटाये जाने के बारे में सब से पहले प्रधान मंत्री ने इस सवाल को उठाया था और दूसरे लोगों की यही राय है कि जीपों में जो लाखों रुपये का पेट्रोल खर्च होता है और अन्य खर्च तनख्वाहें आदि वह न हों ।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । इसमें एक खतरा मुझे मालूम पड़ रहा है । अभी तो शिक्षा डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को यह बात मालूम हुई कि जिला परिषद् के अध्यक्ष गलत चुनाव करते हैं कल को और किसी महकमें को यह बात मालूम होगी तो भी आप एक आर्डिनेन्स ले आयेंगे और इस प्रकार से जिला परिषद् का एक दिन अन्त हो जायगा । कल को गजेटेड आफीसर एक मीटिंग करके यह कहेंगे कि हम ब्लाक प्रमुखों और जिला परिषदों के नीचे क्यों रहें तो फिर आप क्या करेंगे ? इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, जनतंत्र और नौकरशाही के सिद्धान्तों में अन्तर है । नौकरशाही का हमेशा ही यह तरीका रहा है कि वह सारी शक्ति को अपने हाथ में रखना चाहती है । हर विभाग की यही कोशिश रहती है । आप कृपा करके उनके जाल में न फंसे । प्रजातंत्र के आधार पर जो आपने परिषदें बनाई, जो समितियां बनाई, गांव पंचायतें बनाई हैं । हमारा आपका फर्ज है कि आप इन यूनिटों को ज्यादा शक्तिशाली बनायें और क्योंकि सारी पावर अब धीरे-धीरे उधर ही आप देने को कहते हैं, आप का इरादा है कि उनकी शक्ति अधिक दी जाय, यह जरूरी है कि जिलों में वह एक मजबूत सरकार की इकाई के रूप में काम करें । इस तरह से यह जरूरी है कि इस विकेन्द्रीकरण की स्कीम में धीरे-धीरे आप सारी शक्ति को नीचे हस्तांतरित करते चले जायं । हमारे मंत्री जी भी प्रजातांत्रिक भावना में सब से आगे हैं और काफी उन की प्रजातंत्र में श्रद्धा है, उन की भावनाओं की यह सदन कद्र करता है लेकिन एक खतरा यह है कि ऐसा न हो कि इस प्रजातंत्र में सारी शक्तियां नौकरशाही के हाथ में पहुंच जायं । ऐसा न हो कि यह क्षेत्र समिति और जिला परिषदें थोड़े दिन बाद एक फार्स न रह जायं । इस खतरे की ओर मैं जरूर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा । केवल इतना ही मुझे कहना था और पूरे हृदय से मैं मंत्री जी के इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उस का मैं समर्थन करता हूं । जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाजवाद को आधार मान कर हमने पंचायतों की स्थापना की है और जिस लक्ष्य को हमने स्वीकार किया है कि पंचायतों के द्वारा पूरा करेंगे और जिसकी पूर्ति हम इन क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के द्वारा करना चाहते हैं और देश का विकास जिसके द्वारा हम करना चाहते हैं उन को हमें सबल बनाना होगा । आज यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक के आरम्भ में जिसके चार वर्ष हुये हैं लेकिन कई बार उसमें संशोधन लाने की सरकार को आवश्यकता पड़ी । आज का भी जो विधेयक आया है वह भी कुछ विशेष आवश्यकताओं को लेकर ही आया है । मैं इसमें २–३ खास बातों की ओर संकेत करना चाहता हूं । पहली बात तो इस में यह है कि क्षेत्र समितियों के जो क्षेत्र हैं उनका पुनर्गठन किया जाय और कुछ क्षेत्रों को समाप्त कर के उन को दूसरे क्षेत्रों में शामिल किया जाय । दूसरे प्रमुख और अध्यक्षों के खिलाफ जो १ वर्ष की अविश्वास के प्रस्ताव की व्यवस्था थी उस को बदल कर वह २ वर्ष कर रहे हैं और तीसरी मुख्य बात इस संशोधन विधेयक में यह है कि अभी तक जिला परिषद् में अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद् की समिति को था लेकिन अब एक शिक्षक चुनाव समिति का इस के द्वारा गठन किया जायगा जिस का सरकार नामांकन करेगी । चाहे सरकार की भावना इसमें भले ही शुद्ध हो लेकिन जिस तरह से इसके द्वारा लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश की गई है वह बहुत ही अनुचित है । एक ओर तो वह समाजवाद की चर्चा करते हैं और दूसरी ओर सारे अधिकार प्रदेशीय सरकार में केन्द्रित करते जाते हैं । अब तक की जो धारा ४२ में व्यवस्था है उसमें उनको अपने जिले में चयन करने में, उनकी हैसियत को देखकर, उनकी

[श्री रामकिशोर वर्मा]

आर्थिक क्षमता को देखकर और उनकी सारी बातों को देखकर, उनको चुनने का अवसर मिलता था। मैं नहीं समझ पाया जैसा कि संशोधन विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है, क्या जरूरत पड़ गयी है कि इसमें संशोधन किया जाय। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार हमारे अध्यक्षों पर विश्वास नहीं करती है। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे अध्यक्ष हो सकते हैं लेकिन सब ऐसे हों, यह नहीं हो सकता है।

एक जिले का उदाहरण मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं जहां पर हमारे प्रदेश के मन्त्री और हमारे प्रदेश की सरकार ने कैसे कानून के विरुद्ध काम किया। फतेहपुर में १९६४–६५ में डायरेक्टर आफ एजूकेशन ने कैसे नियमों को भंग किया है इसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। इस जिले में एच० टी० सी० के प्रशिक्षण हेतु हाई स्कूल, द्वितीय श्रेणी के २५ अभ्यर्थी थे। और वे २५ जिला परिषदों में ले लिए गए। इसी तरह से तृतीय श्रेणी के ९० प्रत्याशियों में से ५९ के नाम उप शिक्षा निदेशक को भेजे गए। उनमें से १३, जो विज्ञान विषय के थे। केवल लेलिए गए अन्य विषयों के नहीं लिए गए। हाई स्कूल आर्ट साइड के द्वितीय श्रेणी के १६८ प्रत्याशी थे। लिस्ट में १५ जो (परिगणित जाति) थे भेजे गए एक भी नहीं लिया गया। इसी तरह से तृतीय श्रेणी का एक भी नहीं लिया गया, जबकि २ के नाम भेजे गए, लेकिन शासन द्वारा मनोनीत किए गए अभ्यर्थियों की संख्या २१ और १८ थी। जो ३९ लिए गए वे सब थर्ड डिवीजन हाई स्कूल थे। शिक्षा निदेशक ने अवैधानिक ढंग से २० नामजद किए। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कानून की अवहेलना की है। हमारे माननीय मन्त्री जी ने इस कानून में जो संशोधन रखा है वह अपने निर्वाचन क्षेत्र और अपने जिले को देखकर ही रखा है लेकिन सारे प्रदेश में एक प्रकार की स्थिति नहीं होती है। वास्तव में इस विधेयक का माननीय विकास मन्त्री से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध हमारे शिक्षा मन्त्री जी से है जो मेरठ के रहने वाले हैं और वे इस संशोधन को भी इस लिए लाए हैं क्योंकि वहां जो जिला बोर्ड के अध्यक्ष हैं वह दूसरे गुट के व्यक्ति हैं। अध्यापकों के मामले में ही वह अपनी समर्थक एक बड़ी फौज न तैयार कर लें। इसलिए कानून में संशोधन करने का इरादा किया गया है। चूंकि यह विधेयक बहुत ही अव्यावहारिक है अतः मैं समझता हूं कि इसे प्रवर समिति में अवश्य भेजा जाय। वर्तमान धारा वर्तमान परिस्थिति के अनुसार है और बहुत ही उचित है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह क्षेत्र समितियों के पुनर्गठन की है। यह बहुत ही उचित बात है। आज जो ब्लाकों का परिसीमन है वह इतना अनिश्चित है कि एक-एक ब्लाक २५–२५ मील चला जाता है। ब्लाक का मुख्यावास भी उस क्षेत्र में बन जाता है जहां पर पहुंचने के लिए बड़ा कष्ट होता है और कोई सुविधा नहीं है। प्रथमतः तो यह बीच में होना चाहिए। मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि वहां पर एक भी ऐसा विकास खण्ड नहीं है जिसका मुख्यावास विकास क्षेत्र के मध्य में स्थित हो। प्रयास यह किया जाता है कि पार्टीबन्दी के आधार पर उनकी उचित और अनुचित बात मान करके इन सारी बातों का निपटारा कर दिया जाता है। बचत के लिए ब्लाक तोड़ने और पुनर्गठन की बात पैदा हुई। मैं चाहता हूं कि सरकार विचार करे कि जो ब्लाक तृतीय स्टेज में पहुंच गए हैं और जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता नहीं मिल रही है ऐसे ब्लाकों को ही समाप्त करना चाहिए। दूसरा प्रयास यह करना चाहिए कि ब्लाक की बाउण्डरी में इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो क्षेत्र समिति भंग की जाय अथवा भंग न की जाय उनके प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर विचार करना चाहिए कि वे किस क्षेत्र समिति में अपनी गांव सभा को या अपने क्षेत्र को शामिल करना चाहते हैं। उनका जो भी निर्णय हो सरकार को उसी के अनुसार काम करना चाहिए। ताकि सारे ब्लाकों की सीमा निश्चित हो जाय। विकास खण्डों की जो हालत है, एक ओर तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए दो वर्ष का समय रख रहे हैं, दूसरी ओर हमने जिला परिषद् के अध्यक्षों पर अविश्वास किया है कि वे इस योग्य नहीं हैं कि जिला परिषद् के अध्यापकों का निर्वाचन भी कर सकें। ऐसी स्थिति में एक ओर उनके हाथ से अधिकार लेना और दूसरी ओर उन्हें खुश करने की कोशिश सरकार कर रही है, यह बड़े दुःख की बात है। जब हम किसी को नैकनीयत और बेईमान

ठहराते हैं तो हमारा मापदण्ड केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक होता है। उसका परिणाम यह होता है कि राजकीय कर्मचारियों को ऐसे बुरे काम करने का साहस हो जाता है इसका एक उदाहरण मैं अपने जिले के खजुहा ब्लाक का देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र की एक विकास क्षेत्राधिकारी हैं श्रीमती सुशीला भार्गवा। १४-६-६४ को अपनी कैश बुक में उन्होंने यह दिखाया कि उन्होंने एक बैंक में रुपया जमा कर दिया है जब कि वास्तव में जमा नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि जब मैंने शिकायत की तो ८ महीने बाद एक दूसरे बैंक में रुपया जमा किया गया और ८ महीने तक उस रुपये को बी० डी० ओ० अपने पास रखे रही। यही नहीं, १९ सौ कुछ रुपया अपनी कैश बुक में फिर दिखाया। ५-२-६५ को कि उन्होंने बैंक में जमा कर दिया, लेकिन आज तक वह रुपया बैंक में जमा नहीं किया गया। मैंने मन्त्री जी तथा विकास आयुक्त का ध्यान दिलाया और जिलाधिकारियों का ध्यान दिलाया लेकिन आज तक कोई परिणाम नहीं निकला जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे ब्लाक में सारे अधिकारी एक ही जाति विशेष के हैं। एक जाति विशेष के कर्मचारियों को छोड़ कर दूसरी जाति के जितने भी कर्मचारी थे उन सबको ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने भी माननीय मन्त्री के सामने उन तथ्यों को रखा लेकिन आपने उन तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई कार्यवाही उन शिकायतों पर नहीं हुई। उस क्षेत्र अधिकारी ने राम औतार कैशियर को सस्पेन्ड कर दिया और उसके खिलाफ वह कार्यवाही कर रही हैं। जिला नियोजन अधिकारी ने जा कर वहां जांच की लेकिन क्षेत्र अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जबकि उनके विरुद्ध इतने प्रमाण हैं कि उनको निलम्बित किया जाना चाहिए था। मैं आपका ध्यान उस क्षेत्र अधिकारी की अनियमित कार्यवाहियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनको मैंने आपके सामने पेश किया है। उनकी जांच कराई जाय और उस क्षेत्र अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

दूसरे, जो दो साल के बाद अविश्वास का प्रस्ताव रखने का संशोधन इसमें आया है वह एक अच्छी बात है। उसका परिणाम यह होगा कि आए दिन जो हमारे विकास खंडों में, जिला परिषदों में तांता लगा रहता था अविश्वास के प्रस्ताव का प्रमुख के खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ और उसको काम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता था और उससे बेतहाशा परेशानी रहती थी उसको अब इस संशोधन के जरिए दो साल तक अवसर मिल सकेगा और बिना किसी बाधा के वे जनता की सेवा में अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकेंगे और उससे उस जिले का विकास, प्रगति और निर्माण हो सकेगा।

एक संशोधन जो आया है गुप्त मतदान का उससे नैतिक बल और गिरेगा। इसमें खुले मतदान की ही व्यवस्था होनी चाहिए। गुप्त मतदान से रिश्वत चलती है, व्यक्ति को झूठ बोलने का एक अवसर मिलता है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि संशोधन द्वारा जो गुप्त मतदान की व्यवस्था की गयी है उसे निकाल दिया जाय।

प्रवर समिति में इसको भेजना इसलिए भी आवश्यक है कि प्रदेशीय कर्मचारियों के लिए आपने वेतन अभिनवीकरण समिति की स्थापना की जिसने अल्प समय की मेहनत के बाद जो सिफारिश दी उससे प्रदेशीय स्तर के राज्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ना सम्भव हो सकेगा लेकिन जिला परिषद् के कर्मचारी जो सदियों से जनता जनार्दन की सेवा में लीन थे और जिनका कार्य सरकारी कर्मचारियों की ही भांति है और जो उतना ही टाइम देते हैं जितना सरकारी कर्मचारी टाइम देते हैं और जो एक ही स्थान पर शहर में रहते हैं लेकिन उनके वेतन, में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। मैं यह समझता हूं कि जिला परिषद् के भी कर्मचारी राज्य कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारियों की भांति ही काम करते हैं और उनकी ही भांति नगरों में कार्य करते हैं तो मन्त्री महोदय, राज्य कर्मचारियों की तरह ही उनके लिए भी वेतन समिति बिठाने का निर्णय लें, जिससे उनके वेतन में भी वृद्धि हो सके जिससे उनको काम करने में उत्साह मिले। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में विचार करेंगे। अच्छा तो यह होगा कि उनकी सेवाओं का भी प्रान्तीयकरण कर दिया जाय।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

जहां तक पंचायत राज सेक्रेटरी का सम्बन्ध है, उसके जिम्मे बड़ा काम है। ग्राम सेवक भी उसी स्तर के तथा उसी योग्यता के हैं और उनका क्षेत्र भी वही है जो एक पंचायत मन्त्री का होता है। केवल पुराने पंचायत मन्त्रियों का दोष इतना है कि वे राजनीतिक कार्यकर्त्ता होते थे। आज नए मन्त्री आ रहे हैं उनमें भले ही नए लड़के आ रहे हैं। ग्राम सेवकों से पंचायत मन्त्री का कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है। उससे न्याय पंचायत में बैठकर मुकदमों में सरपंच की सहायता करनी पड़ती है। वह गांव पंचायत का टैक्स लगाता है और उसको वसूल भी करता है। उसकी बैठकों में शरीक होता है। उसका इतना कम वेतन है कि जिस स्वेच्छा और ईमानदारी से उसे काम करना चाहिए, वह नहीं कर पाता है। इसलिए मैं प्रदेशीय सरकार से मांग करता हूं कि उनका वेतन भी ग्राम सेवकों के स्तर का रखा जाय जिससे वे ईमानदारी से काम कर सकें।

मान्यवर, अभी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा परिषद् विधेयक और पंचायत राज विधेयक ये दोनों एक से ही हैं। इसलिए पंचायत राज विधेयक जिला परिषद् के अन्तर्गत होना चाहिए। गांव पंचायतें क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् के मातहत होनी चाहिए। दोनों के अलग-अलग कार्यक्रम हों, दोनों की अलग-अलग कानूनी व्यवस्था हो और दोनों के अलग-अलग प्राविधान हों यह उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए सारी व्यवस्था जिला परिषद् विधेयक के अन्तर्गत ही होनी चाहिए।

विकास खण्डों की जिन कार्यों की प्रेरणा को लेकर स्थापना हुई थी उसके बजाय आजकल विकास खण्ड के कर्मचारी कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। उसका एक मात्र कारण यह है कि वहां झगड़े की जड़ विकास खण्ड के बी० डी० ओ० और अन्य के मध्य महिलाएं और जीप हैं। पहले सरकार की ओर से यह कहा गया था कि इन पदों को समाप्त कर दिया जाय। लेकिन उनको समाप्त नहीं किया गया है। विकास खण्ड के अधिकारी और ब्लाक प्रमुख इन महिलाओं को लेकर गुटबाजी में फंसे रहते हैं और अपना काम नहीं कर पाते हैं। दूसरे अन्य विभागीय उच्च अधिकारी बिना जीप के काम चलाते हैं लेकिन विकास अधिकारी बिना जीप के काम नहीं कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनको वापस ले लें। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना है, नई रोशनी लाना है और दूसरे काम करने हैं तो ऐसी चीजें जिनके रहते हुए विकास के कामों में बाधा पहुंचती है, एक क्षण के लिए भी, जीप तथा ग्राम सेविकायें नहीं रहनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि बिना संकोच के मन्त्री जी इसको प्रवर समिति में भेजने का कष्ट करें जिससे जिन बातों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है उन सबका समीकरण करके एक अच्छा सा ऐक्ट बनाया जाय। इसमें कुछ और त्रुटियां रह गई हैं जैसे धारा ८ में आपने किया है कि क्षेत्र समिति का प्रमुख या सदस्य के बीच में उप प्रमुख नहीं जोड़ा है। इससे समिति के विघटन होने पर उप-प्रमुख बना रहेगा और उसके लिए आपको अलग विधेयक पेश करने की आवश्यकता आ पड़ेगी। खण्ड ७ में दिया हुआ है कि "ऐसा अधिकारी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनांक और समय तक के लिए स्थगित हो जायगी जिसे वह अधिकारी उपधारा (४ ख) के अधीन निश्चित करेगा।" यह विचारणीय प्रश्न है। जब अधिकारी मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ तो उसके द्वारा फिर समय निश्चित किया जाय बड़ा अनिश्चित विषय है। अगर "उपस्थित" की जगह "समर्थ" रख दिया जाय तो वास्तविक रूप आपके सामने आ जायगा।

जिन बातों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है, मुझे उम्मीद है कि आप उन पर ध्यान देंगे और ऐसा अधिनियम बनाएंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने में शक्ति और प्रेरणा मिले। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्र समितियां और जिला परिषद् प्रजातन्त्र की आधारशिला हैं। उनको मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से जो संशोधन पेश हुए हैं वह बहुत ही उपयोगी हैं। इन संशोधनों को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।

मैं केवल एक संशोधन की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि यह मेरा अपना अनुभव है। २ (३) संशोधन के अनुसार क्षेत्र समिति का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है सदस्य कार्यालय को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। कोई कहीं कहता है, कोई कहीं। हमारे जिले में तीन जगहें छांटी गयीं, लेकिन तिकड़मबाजी से ऐसी जगह पर कार्यालय रखा गया जो एक कोने पर है क्योंकि वहां के प्रमुख चाहते थे कि वहां की उनकी इमारतें काम में आएं। इसलिए यह बहुत उपयुक्त संशोधन है। इसी तरह से दूसरे संशोधन भी बड़े उपयुक्त हैं।

जिला परिषद् और क्षेत्र समिति वोटों पर आधारित हैं। वोटों की हालत यह है कि एक समय ऐसा आयेगा जब सरकार को आवश्यकता होगी कि चेयरमैन को भी नियत करने का सरकार को अधिकार हो। मैं अपने जिले का एक दृष्टांत दूंगा। चेयरमैन के लिए हमारे यहां एक ऐसे उम्मीदवार थे जो डिप्टी कलेक्टर रह चुके थे, कलेक्टर रह चुके थे, डेवलपमेंट कमिश्नर रह चुके थे हमारे राज्य में और हिमांचल प्रदेश में। उनके प्रतिद्वन्दी को और उनको बराबर राय मिली। तब बैलट में उनका नाम आ गया। तब वे चेयरमैन जिला बोर्ड में चुने गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग वोट के अधिकार का दुरुपयोग भी करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा भी संशोधन लाए कि हर एक चेयरमैन की नियुक्ति करने का अधिकार सरकार को हो।

मेरा यह भी सुझाव है कि जिस तरह कार्पोरेशन में और म्युनिसिपैलिटीज में ऐडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कि अफसर सरकार की तरफ से नियत होते हैं ऐसा ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसर इन जिला परिषदों में भी होना चाहिए। क्योंकि मैं देख चुका हूं कि जिला परिषद् जो हैं उनका काम, उनका प्रबन्ध ठीक न होने के कारण सरकार को उनको अपने हाथ में लेना पड़ता है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि ऐसा नियन्त्रण इसमें किया जायगा ताकि जो कि हमारी जिला परिषदें हमारे हित के लिए हैं वे अपना कार्य सुचारु रूप से चला सकें। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह जो संशोधन रखा गया है, उसे सर्वसम्मिति से स्वीकार किया जाय। एक बात और है जो यह है कि परिषद् या क्षेत्र के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप-प्रमुख, स्वास्थ्य अधिकारी या सेवक पब्लिक सर्वेन्ट माने जायं। इसको रखने की जरूरत नहीं होती, किन्तु हम देख रहे हैं कि कई जगह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारी मारे पीटे गए हैं। तो यदि वे पब्लिक सर्वेन्ट नहीं होंगे तो उनकी रक्षा कैसे होगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह सूचना चाहता हूं कि आप इस साल प्रधानों का चुनाव कराने जा रहे हैं या नहीं? यह तो बहुत जरूरी है, अब समय आ गया है।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अभी तो टर्म पूरा नहीं हुआ है।

श्री कमलासिंह यादव—

१९६६ में पूरा हो जायगा। बता दीजिए करायेंगे या नहीं?

श्री बंशीधर पांडेय—

टर्म पूरा हो जाए तो फिर पूछिएगा।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ रखा गया है, मैं चाहता हूं सदन के माध्यम से और आपके द्वारा कि उसको प्रवर समिति में भेजा जाय। मान्यवर, इसका कारण मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं—जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों ने जितना काम किया है, उसके अनुसार इस तरह की भावना मन्त्री जी को हुई और सब लोगों को हुई कि भविष्य में कोई ऐसा विधेयक लाया जायगा कि जिससे उसमें इसके सारे अवगुण दूर हो जायेंगे। मैं नहीं समझता था कि यदि कोई विधेयक लायेंगे तो इन सारी कठिनाइयों और उन सभी अनुचित बातों को जो उस अधिनियम में हैं दूर करके एक नया पूर्ण विधेयक लायेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मन्त्री जी ने किसी काम की जल्दी में एक अधूरा और सभी प्रकार से प्रतिकूल विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। आशा तो यही थी कि आप गम्भीरतापूर्वक विचार करके एक अच्छा सा संशोधन विधेयक लायेंगे। जिला परिषद् और क्षेत्र परिषद् जो विधेयक आया है उसके सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मान्यवर, यह इतना प्रतिकूल सिद्ध हुआ है, प्रारम्भ से ही, १८ जुलाई, १९६२ से ही, जब से प्राइमरी शिक्षा उन्होंने जिला परिषदों को दी तबसे सारी जिला परिषदें राजनीति का केन्द्र बन गयी हैं। सरस्वती मंदिर के प्रांगण में भ्रष्टाचार है। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि यह विधेयक आपके प्रदेश के लिये अभिशाप है।

अध्यापकों की नियुक्ति से लेकर उनकी तब्दीली में नित्यप्रति क्षेत्र समिति के प्रमुख और जिला परिषद् के अध्यक्ष उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकाते रहे हैं। ऐसा लगता था कि वे शिशुओं की शिक्षा की अपेक्षा अपनी गुण्डी बैठालने का काम इन अध्यापकों से अधिक लेने लगे। दूसरी बात यह भी है कि जिला परिषदों के अध्यक्षों और ब्लाक प्रमुखों को सरकार की प्रतिष्ठा मिटाने का ही अवसर नहीं मिल गया उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को भी दूषित किया। मैंने स्वयं अपने जिले में दूसरे स्थानों पर अध्यापकों की बातें सुनी हैं। मैं उस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं किस प्रकार से अशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियों में, सौ, पचास और दो-दो सौ रुपये तक या तो ब्लाक प्रमुखों ने या अध्यक्षों ने ले लिया और ऐसे लोगों को अनट्रेन्ड की टीचरी देकर उनको ओबलाइज किया गया। एक हजार अध्यापकों को नौकरी इसी आधार पर दी गयी कि उनकी गुटबाजी कायम रहे और जब चौअन्निया मेम्बर बनाने का अवसर आये तो उनको सहायता मिले और यह अनट्रेन्ड टीचर सदा उनकी जी हुजूरी में तैयार रहे। जो अध्यापक ट्रेनिंग कर लेते हैं वे साल-साल भर बैठे रहते हैं लेकिन इस तरह से एक हजार अशिक्षित अध्यापकों को नौकरियां दी जाती हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मैं समझता हूं कि इस विवाद को अब समाप्त जाय, किया क्योंकि अब पांच बज चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन ६ बजे तक चलेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

६ तारीख को भी इस पर बहस चलेगी तो अब आगे समय बढ़ने से क्या लाभ है?

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने तय किया और इस सदन ने भी स्वीकार कर लिया है कि आज सदन ६ बजे तक चलेगा।

श्री जगन्नाथ राव--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार की अनीतियों को देखकर आपने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपने ग्राम सेविकाओं को नियुक्त करके जिस प्रकार का एक घृणा और असंतोष का वातावरण खड़ा किया है उसी प्रकार का एक प्राविधान इस विधेयक में भी आपने लाकर रख दिया है। आपने स्कूल माताओं की नियुक्तियां की हैं। अठारह और बीस-बीस वर्ष की लड़कियों को स्कूल माताओं के नाम नियुक्त कर दिया गया है उनकी दुर्दशा क्यों है। गांव में रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के लोग इनको देखकर समझते हैं कि कहां से लाकर सरकार ने इनको हमारे बीच में रख दिया है। ग्राम सेविकाओं का अनुभव आपको कैसा है ? जिस प्रकार का दूषित वातावरण उन्होंने बनाया है उससे लाभ उठाते हुए आपको कोई प्राविधान इस विधेयक में करना चाहिये था और स्कूल माताओं की नियुक्ति न करके इनको अध्यापिकाओं के पदों पर रखते। जहां बालक बालिकाओं की शिक्षा साथ-साथ समझते है होना चाहिए वहां आप इनको रखते। लेकिन आपने इन पर लाखों रुपया बजट में खर्च किया है और मिलेगा आपको क्या ? अभिशाप कलंक, और बदनामी। इनको रखने से पहले इनके निवास की व्यवस्था करनी चाहिये थी। आप कहेंगे कि हमें पहले से पता नहीं था कि जिन प्राइमरी स्कूलों में ये जावेंगी वहां इनके लिये मकान बनवा दें। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपने यह व्यवस्था नहीं की तो इनको भेजने की इतनी जल्दी भी नहीं थी कि आपने इनको गांव-गांव में फैला दिया। मैं समझता हूं कि जिला परिषदों की गड़बड़ियों को दूर करने के लिये इसको प्रवर समिति को भेजना चाहिए और अब भी आप प्रवर समिति नियुक्त कर दें और वहां से सब चीजें समझबूझ कर फिर से पूर्ण विधेयक आवे और प्रदेश की जनता का यह कार्य अच्छी तरह से संचालित हो।

एक अजीब बात और आपने की है। आपने यह अधिकार राज्य सरकार को दिया है कि वह जहां चाहे वहां क्षेत्र समिति का कार्यालय होगा। पहले विकास क्षेत्रों का जो कार्यालय होता था लेकिन अब यह अधिकार आपने दिया है। जरा इसके पीछे सरकार का क्या मंशा है बता दीजिये।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

व्यवस्था का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन कब तक चलेगा ? मेरे बोलने का भी ध्यान रखियेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी १३ तारीख तक यह सदन चलेगा।

श्री जगन्नाथ राव--

मैं कह रहा था कि सरकार की इच्छा पर कार्यालय विकास क्षेत्र का होगा। अर्थात् विकास समिति की बैठक तो कार्यालय पर होगी। इसका परिणाम यह होगा कि गांव सभापति और अन्य सदस्यों को वहां पर आना पड़ेगा जहां कार्यालय होगा। इसकी मंशा मैं समझता हूं कि यही होगी कि ब्लाक प्रमुखों का भत्ता बढ़ जायगा। लेकिन यह बहुत ही अनुचित है कि कार्यालय क्षेत्र समिति के अन्दर न रखकर आपकी इच्छा के मुताबिक रखने का प्राविधान हो जाय। आपने इस विधेयक में यह भी कहा है कि एस० डी० ओ० के स्तर का जो व्यक्ति होगा वह इसका सभापति होगा और अगर वह आध घंटा लेट हो गया तो उस दिन बैठक स्थगित हो जायगी। इस प्रकार से आपने केवल दलगत नीति को ध्यान में रखकर यह किया है कि यदि ब्लाक प्रमुख या परिषद् का अध्यक्ष या किसी व्यक्ति के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहे तो ला सकें। और अगर इत्तिफाक से उस अधिकारी की तबियत खराब हो गयी और वह नहीं गया तो वह बैठक

[श्री जगन्नाथ राव]

मुल्तवी हो जायगी। क्षेत्र समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। वह आयेंगे और आपके परगनाधीश की प्रतीक्षा करेंगे और समय बीत जाने पर वह अपना-सा मुंह लेकर घर चले जायेंगे। फिर १५ दिन का समय उनको मिल जायगा। उस समय के भीतर वह गांव सभा के सभापति से मिलकर अपना काम करेंगे। तो फिर झगड़े खड़े होंगे। इसके बाद फिर समिति की बैठक बुलायेंगे। आपके अनुकूल वातावरण नहीं रहेगा तो परगनाधीश से कह देंगे या जिलाधीश से कह देंगे कि आप उपस्थित होने की कृपा न करें। फिर अगली बैठक के लिये स्थगित किया गया। यह अनुभव है। आपकी क्षेत्र समितियों में जो हालत है उसमें इन लोगों की करनी की वजह से एक प्रकार की गन्दगी फैली हुई है। जगह-जगह ब्लाक प्रमुखों को क्षेत्र समितियों से हटाया जा रहा है। स्थान-स्थान से अविश्वास के प्रस्ताव उनके विरुद्ध आ रहे हैं। आपने कोई ऐसा तरीका सोचा कि इनको हटाया जा सके ? आपने अपने सरकारी कर्मचारियों को वहां पर रख दिया ताकि वह उपस्थित न रहें। आपको यह संशोधन लाना था कि यदि वह एक अधिकारी वहां पर उपस्थित न हो सके तो दूसरा अधिकारी कोई वहां पर रहे। अगर वह एक अधिकारी नहीं आयेगा तो दूसरा अधिकारी वहां पर अध्यक्षता कर सकता है। इस विधेयक से क्षेत्र समिति के सदस्य और अन्य जिला परिषद् के सदस्यों को आपने पंगु कर दिया है।

एक अजीब बात आपने और कर दी। उसके स्थान पर यदि अविश्वास का प्रस्ताव लाना हो तो वह एक साल के बाद आ सकता है। टाउन एरिया के चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन, नगरपालिका के चेयरमैन इन सबके खिलाफ एक साल बीतने पर अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन आपने इस संशोधित विधेयक में यह कर दिया कि एक साल के बाद नहीं बल्कि २ साल के बाद अविश्वास का प्रस्ताव उनके खिलाफ आयेगा। यह बात आपके दिमाग में कैसे आई। इसका स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जब बोलें तब स्पष्ट करें। आपके इस कार्य से स्पष्ट है कि कम से कम २ साल क्षेत्र समिति के प्रमुख काम चलायेंगे चाहे प्रधान या गांव सभा के सभापति उसका कितना ही विरोध करें। वह चाहे कितने ही भ्रष्ट हों, विकास क्षेत्र में मनमानी करते रहें, सीमेन्ट में गड़बड़ करते रहे, एक आदमी को चाहे जितना सीमेन्ट अलाट कर दें और उनके खिलाफ वातावरण रहने के बाद भी वह २ साल तक बने रहेंगे। जब तक दो साल नहीं बीतेंगे वह हटाये नहीं जायेंगे। क्यों ऐसा किया गया है जब कि जगह-जगह पर यह अनुभव हो रहा है।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)--

मेरा व्यवस्था का सवाल है। जो यहां पर भाषण हो रहा है उसको माननीय मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव--

पहले के समय में यह था कि वह एक साल के बाद हटाया जा सकता था। यदि उनके कार्य को अच्छा नहीं समझा जाता था तो उनको एक साल के बाद हटा दिया जाता था और उनको खुद भी यह ख्याल रहता था कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो एक साल के बाद हटा दिया जाऊंगा। परन्तु अब उसका समय बढ़ा दिया गया है। अब तो ब्लाक प्रमुख यह समझेगा कि दो साल तक उसको कोई हटा नहीं सकता है। वह दो साल तक उस पद पर रहेगा। जितना सीमेन्ट भी वहां विकास क्षेत्र के लिये अलाट है उसमें से वह जितना भी

समझेगा खायेगा और लुटायेगा। और जिस प्रकार से खा सकते हों, खा लें। आपने इसको दो साल का कर दिया। इसके साथ-साथ में यह चाहता हूं कि जो संशोधन आपने पेश किया है इसको वापस ले लेंगे। इस पर आप आग्रह न करें कि ये पथ-भ्रष्ट ब्लाक प्रमुख जिन्होंने हजार रुपया तक टी० ए० बिल दिये हैं जिनसे कि ब्लाक समिति के लोग नाराज हैं और हटाना चाहते हैं उनका कार्य-काल और बढ़ाया जाय। आप उनको १ साल में हटाने का मौका दें। उनके मुंह में जो खून लगा है उसको एक साल और खाने का मौका न दें।

अब अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में जो आपको अनुभव प्राप्त हुआ उसके आधार पर आपने जिला परिषद के अध्यक्षों द्वारा जो नियुक्ति होती थी उसको समाप्त करके अपने सरकारी कर्मचारियों के हाथ में लेने का प्रयास किया है। उनके कुकृत्यों के बारे में अनेक बार विरोधीगण हम लोग, कहा करते थे तो आप नहीं मानते थे, लेकिन जब आपको मालूम हो गया अपने आदमियों से कि वे अध्यक्ष पार्टीबन्दी के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं और वह उनकी आमदनी का साधन बन गया है तब आपने यह कदम बढ़ाया। उनका काम ही यह रह गया है कि अध्यापकों की नियुक्ति कर लेना और हर एक से सौ पचास रुपया २०० रु० लेकर अपना घर भर लेना। लेकिन आप जब यह समिति निर्धारित करने जा रहे हैं तो उसमें जो आप अपनी तरफ से सदस्यों को मनो-नीत करेंगे उनमें एक तो जूनियर हाई स्कूल का एक पाठशालाओं की ओर से अध्यापकों के प्रतिनिधि उसमें जरूर रख लें ताकि वह अध्यापकों की बातों को वहां रख सकें। जिले में जो समिति बनायेंगे उसी चुनाव समिति में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में उसमें आप शिक्षाविदों में से भी लोगों को रखें। उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक तो रहेगा ही उसके साथ-साथ जिले के जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उसके किसी प्रिंसिपल को, इंटर मिजिएट कालिज के प्रिंसिपल को उसमें अवश्य रखें और अवसर दें। जो अध्यापकों का प्रतिनिधि होगा वह जिला परिषद् के अध्यक्ष के सामने अपनी बात न रख सकेगा, लेकिन आपका जो पढ़ा-लिखा और विचारशील व्यक्ति होगा वह अध्यापकों की नियुक्ति में उस पक्षपात और अन्याय को रोकने में समर्थ हो सकेगा।

इस प्रकार से आपने जो विधेयक रखा है, मैं समझता हूं इससे आप फिर से विचार करने के लिये एक प्रवर समिति में भेज दें और वह सब बातों पर विचार करके आपके सामने ले आवें। अगर अध्यादेश का प्रश्न है तो इस विधेयक को अच्छे ढंग से लाइये, सुदृढ़ कर लीजिये इससे भी आये दिन जो घटनाएं होती हैं आप विधान सभा के बाहर उनको कहते भी हैं। तो मैं समझता हूं कि आप विधान सभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर दें जो इस पर अपने सुझाव दे और फिर उन्हें सदन में शीघ्रता से पारित करा लें। इस बिल को तो निश्चित रूप से आप वापस ले लें क्योंकि इसमें दम नहीं है। केवल एक कठिनाई को दूर करने के लिये आप यह बिल लाए हैं, जब कि इसमें कठिनाइयां अनेक हैं और मैं समझता हूं कि उनके लिये एक व्यापक बिल लाना आपके लिये उत्तम होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को एक प्रवर समिति को भेजा जाय।

श्री शिवचरण—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बोलने वाले अधिक हैं इसलिये श्रीमन्, हर सदस्य के लिये दो, तीन मिनट का समय निर्धारित करें।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्तुत विधेयक पर जो कमलासिंह जी का प्रस्ताव है उसके समर्थन में मैं अपने बिचार व्यक्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्रसमिति तथा जिला परिषद् अधिनियम पर कई बार संशोधन आ चुके हैं और ये बार बार आते हैं। समय-समय पर जहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खेमचन्द]

कमियों का आभास होता है वहीं पर संशोधन जोड़ दिये जाते हैं। इसमें एक बात सिद्ध होती है कि इस विधेयक में पर्याप्त मात्रा में ऐसी कमी है कि जिसके लिये संशोधन की आवश्यकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो बार-बार हमें इस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है इससे बचने के लिये आवश्यक है कि एक बार इस विधेयक पर अच्छी तरह से गौर कर लिया जाय और जितने संशोधनों की आवश्यकता हो उन्हें ले आया जाय और सारी कठिनाइयां दूर कर ली जायं।

इस समय भी जो संशोधन लाया गया है, उसके संबंध में भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये गये हैं। दो साल का समय बढ़ाने तथा अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में जो बातें कही गयी हैं उससे ऐसा आभास होता है कि जो आदमी विश्वास में है अगर वह पुनः आ गया तो दो साल के लिये छुट्टी हो जाती है और क्षेत्र समिति तथा जिला परिषदों में जितनी गड़बड़ियां चल सकती हैं वे सब चलती रहती हैं। दूसरी अखरने वाली बात यह है कि शिक्षक चुनाव समिति जो है उसके अधिकारियों को जब हम देखते हैं तो उसमें निश्चित रूप से यह बात आ जाती है कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस पर अपना रोष प्रकट किया है, इधर से और उधर से, दोनों तरफ से। जिन आदमियों की समिति में एप्रोच होगी, उन्हीं को चुना जायेगा, जिनकी एप्रोच नहीं होगी उनको नहीं चुना जायेगा। इसके अलावा अध्यक्ष के अधिकारों पर भी कुठाराघात है। एक तरफ तो आप जिला परिषद् के अध्यक्ष को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं, दूसरी ओर अपील का अधिकार आप कमिश्नर को दे रहे हैं। जगह-जगह देखने में आता है कि हम नौकरशाही से, अपनी इन असमर्थताओं के कारण, प्रभावित होते रहते हैं, अपने स्वविवेक से काम नहीं लेना चाहते। आपने जिला परिषद् के अध्यक्ष से हटाकर कमिश्नर को जो अपील का अधिकार दिया है यह गलत है। यह अध्यक्ष की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा पर आघात है। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता है। वहां इसके क्लेवर को भी बढ़ाया जा सकता है और वहां से एक पूर्णरूपेण विधेयक के रूप में यह हमारे सामने आ सकता है। इसलिये इसे प्रवर समिति में जाना चाहिये।

*श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, मैं इस विधेयक की कुछ मौलिक बातों की ओर ही आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो संशोधन इस विधेयक में सरकार की ओर से किये जा रहे हैं वे आपस में टकराते हैं और आपकी घोषित मंशा के खिलाफ हैं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति की जो व्यवस्था इसमें की जा रही है वह अत्यन्त दोषपूर्ण है और उसके आधार पर पार्टीबन्दी के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों को रखा जायेगा। इस तरह से जो अध्यापक आप रखेंगे वे एक ही गुट के हो सकेंगे। जनतंत्र में एक स्पष्ट सिद्धान्त यह माना गया है कि उसमें सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने का काम जनता के प्रतिनिधि नहीं किया करते। आपने जिला परिषद् के अध्यक्ष को अपनी गुटबन्दी के आधार पर यह अधिकार दिया है, इससे जो इसका उद्देश्य है वही खत्म हो जायेगा। आपको डी० आई० ओ० एस० को यह अधिकार देना चाहिये था। अगर आप यह नहीं करते तो यह विधेयक आपका एक ढकोसला मात्र ही रह जायेगा।

दूसरी बात मैं अध्यक्ष द्वारा जो बनी हुई शिक्षा समिति होगी उसके विषय में कहना चाहता हूं। उसमें जो विवाद होगा तो उसका फैसला कमिश्नर करेगा। कमिश्नर को आपने अधिकार दिया है। लोग वहां भी अपना पउआ लगा सकते हैं। जब कोई पब्लिक सर्विस कमीशन होता है तो उसकी राय ही मानी जाती है। तो आप यह कर दें कि या तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला परिषद की चुनाव समिति को अधिकार दे दें और वह जो नाम भेजे उसे समिति में जो लोग रहें वह नियुक्त करें और वह शिक्षण समिति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की नहीं बननी चाहिये, शिक्षा विदों और दूसरे ऊंचे अधिकारियों की वह होनी चाहिये।

दूसरी बात, जब ६ महीने के बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और मंत्रि-मंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है तो आपने इन जिला परिषदों और ब्लाकों के प्रमुखों के संबंध में यह नई व्यवस्था क्यों की है जो कि इन्डाइरेक्ट चुनाव से आये हैं ? अप्रत्यक्ष चुनाव स्वयं आपके नेताओं ने कहा है कि भ्रष्टाचार की जड़ है और ब्लाक प्रमुख जिला परिषदों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ये सब अप्रत्यक्ष चुनाव से आये हैं और कई-कई हजार रुपये दस-दस-बीस वोटों के ऊपर खर्च हुए हैं। इनके हटाने के संबंध में जो व्यवस्था थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको बदलने की आपको आवश्यकता थी।

तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप हम और पार्लियामेन्ट के सदस्य पब्लिक सर्वेन्ट नहीं हैं। हिन्दुस्तान में हुकूमत जन प्रतिनिधि करते हैं जिनका चुना हुआ मंत्रि-मंडल इन्डाइरेक्ट रूप से शासन करता है। वे पब्लिक सर्वेन्ट नहीं माने जाते। लेकिन आपने ब्लाक प्रमुख और उप ब्लाक प्रमुख तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला परिषद को पब्लिक सर्वेन्ट बना दिया। गोया आपने इनको खरीदा हुआ बना दिया। यह एक अपमान है और महान अपमान है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकारी नौकरों की श्रेणी में डाल दिये जायं। इसलिये यह जो धारा ५५ में संशोधन करने का प्रस्ताव है यह बिलकुल अपमानजनक है। मैं समझता हूं कि सिर्फ सरकारी नौकर और जो जिला परिषद् के नौकर हैं वही पब्लिक सर्वेन्ट रखे जायं। आम अदालत में मानहानि का मुकदमा लेकर जायं तो अपने को पब्लिक सर्वेन्ट नहीं कह सकते। मारपीट हो तो नहीं कह सकते, गबन हो तो नहीं कह सकते। लेकिन आपने इनको पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा में डाल दिया। ऐसा करके आपने जिला परिषदों के अध्यक्षों उपाध्यक्षों और ब्लाक प्रमुखों की मानमर्यादा और उनके गौरव की हत्या कर दी। इसलिये यह जो आप संशोधन किसी से बनवाकर लाये हैं यह सब गलत है और आप पढ़े-लिखे जनवादी बिचारों के वकीलों और लोगों की एक प्रवर समिति में इसको भेजें। अध्यापकों के मामले में जो आप संशोधन लाये हैं, मैं मानता हूं कि उसमें जो गड़बड़ी है उसको हटाने के लिये आप उसे लाये हैं। उद्देश्य आपका अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने बोलने का समय दिया।

*श्री प्रेमसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत देर के बाद, बहुत उठक-बैठक के बाद आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यह लाल बत्ती नहीं जलायेंगे। मान्यवर, मैं इस क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक पर माननीय कमला सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं और एक शेर से पहले शुरू करता हूं क्योंकि बड़ी मनहूसियत छा गई है हाउस में--

बहुत रोका दिले मजबूर को मैंने।
गिला आ ही गया आखिर जबां पर ।।

इसकी धारा ८ के संशोधन नम्बर ३ में जहां ब्लाकों के फिर से बनाने की बात है इसमें जो कुछ लिखा गया है--मैं यह नहीं समझता हूं कि यह पक्का हो गया है, इसलिये लिखा गया है कहता हूं --इसके बारे में मेरा सुझाव है कि ब्लाक्स तोड़े न जावें। हमारे यहां जो ब्लाक चल रहा है उसे पनपने दिया जाय हालांकि सीक्रेट आर्डर्स हैं कि इसे बरबाद कर दो। दूसरी बात यह है कि कार्यालयों को न तब्दील किया जाय। जो भी ब्लाक कम किया जाय वहां के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रमसिंह]

एम० एल० ए० से राय ले लिया जाय और उसे वैसे ही निकाल कर बाहर न कर दिया जाय। ब्लाक की इमारत को न तोड़ा जाय चूंकि उसमें जनता के लाखों रुपये का नुकसान होगा। अगर किसी इमारत को तोड़ना जरूरी ही समझता है यह सरकार तो पहले इस बात का निर्णय ले ले कि उसमें प्रैक्टीकल ट्रेनिंग का कोई स्कूल खोला जा सकता है या नहीं। विकास मंत्री जी, हमारा तो विनाश हो जायगा, मुझे तो ऐसा डर है अगर कहीं आपने हमारा ब्लाक तोड़ने का निश्चय कर लिया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि हमारी तरफ जरा कृपा दृष्टि रहे और जमुहा ब्लाक को न तोड़ा जाय। साढ़े तीन साल की एम० एल० ए० शिप में मेरी आपसे यही एक प्रार्थना है, चाहे और ब्लाकों को सबको तोड़ दीजिये। मैं आशा करता हूं कि मेरे क्षेत्र के ब्लाक के ऊपर आपकी असीम कृपा बनी रहेगी। बाद में एक शेर पढ़कर खत्म करता हूं। "वह न समझे हैं, न समझेंगे मेरी बात, या रब। दे दिल ही उन्हें और, जो न दें मुझको जबां और"।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये प्रस्तुत किया गया है, उसे देख कर तो वास्तव में बड़ी खुशी हुई कि एक विशेष चुनाव समिति बनाने के लिये जो अध्यादेश जारी हुआ था उसे मजबूत करने के लिये यह अधिनियम लाया गया है, परन्तु जो सम्मिश्रण किया गया है उसे देखकर बड़ा दुख होता है।

इसको देखने से पता चलता है कि अनेक स्थानों पर विकास खंडों को समाप्त किया जायगा। श्री नवलकिशोर जी ने कहा कि उसके द्वारा कुछ बचत करने का प्रयास है। माननीय मंत्री जी ने इस हाउस में थोड़े दिनों पहले यह उत्तर दिया था और आश्वासन दिया था कि नई बिल्डिंग नहीं बनायी जायंगी लेकिन मेरे पत्र का जो उत्तर गया है उसमें लिखा है कि जहां नहीं बनी है वहां बनायी जायंगी। लिखा है कि जो विकास खंड समाप्त किये जा रहे हैं और वहां बिल्डिंग हैं तो वह स्कूलों आदि के काम में लायी जायगी। लेकिन वह तो केवल कार्यालय आदि की छोटी-छोटी बिल्डिंग हैं वह स्कूलों के काम में तो कैसे आयेगी, फिर किस काम में लायी जायगी? मेरा अनुरोध है कि जहां बिल्डिंग नहीं बनी हैं वहां अब न बनायी जायं क्योंकि आप ब्लाक्स कम करने जा रहे हैं।

इसमें अविश्वास के लिये एक साल के बजाय दो साल की बात कही गयी है और बताया गया कि कुछ दिन तो काम सीखने में लग जाते हैं इसलिये अगर दो साल से पहले उसको हटा दिया जायगा तो काम में दिक्कत होगी। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि विधान सभा में ६ महीने रखा है और म्युनिसिपैलिटी और टाउन एरिया में १ साल रखा है, फिर वहां एक साल रखने में क्या दिक्कत हो रही है? वास्तव में बात यह है कि अनेक स्थानों पर अध्यक्षों का विरोध होने लगा है और उनके हट जाने की संभावना है। ऐटा में लाखों रुपये का गोलमाल हुआ और वहां के अध्यक्ष को हटाया गया। लेकिन जब यह घटना आपने देखी तो उनके बचाव के लिये आप इसको लाये हैं।

अविश्वास के प्रस्ताव में आपने अधिकारी के जाने की बात और तारीख बढ़ाने की बात कही है और कहते हैं कि अधिकारी पक्षपात नहीं करता। लेकिन देखा यह जाता है कि एक डी० पी० ओ० एटा का ट्रांसफर हुआ और उसने चार्ज भी दे दिया और उनकी जगह श्री माहेश्वरी आ रहे थे। लेकिन वहां शेरवानी साहब ने एप्रोच किया कि पहला डी० पी० ओ० ही हमें फेवर कर सकता है, इसलिये उसी को रखा जाय। इस प्रकार चार्ज हो जाने के बाद भी उसी को रखा गया। इस प्रकार जो अधिकारी कांग्रेस का पक्ष करते हैं उन्ही को विशेष स्थानों पर रखा जाता है और दूसरे का स्थानान्तरण कर दिया जाता है। यह बात केवल स्वार्थ की दृष्टि से रखी गयी है। यह कम से कम ठीक नहीं है।

क्षेत्र समितियों में जिला परिषदों में गणपूर्ति १/३ और विधान सभा में १/१० रखी गयी है लेकिन यहां पर आप कहते हैं १/२ होगी। आजकल देखा जाता है कि कोरम पूरा नहीं होता

है और उसके कारण मीटिंग स्थगित करनी पड़ती है और जो काम करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता। इसके लिये आवश्यकता है कि वहां पर कोरम १/३ ही रखा जाय ताकि उस क्षेत्र का काम तो सुचारु रूप से चलता रहे।

विकास खंड के कार्यालय ऐसे स्थानों पर होने चाहिये जो उसके कार्यक्षेत्र के अन्दर ही हों जहां पर आसानी से आदमी पहुंच सके। केन्द्र से दूर क्षेत्र से दूर नहीं होने चाहिये। जो चुनाव समिति की बात कही गयी है उसका मैं स्वागत करता हूं परन्तु उसके लिये पहले से बता दिया जाना चाहिये कि चुनाव समिति के मेम्बर कौन-कौन होंगे अच्छा हो यदि स्थानान्तरण भी उनके जिम्मे ही कर दिया जाना चाहिये। सदस्यों और मंत्री जी को अनुभव है कि अभी तक इसमें बहुत भ्रष्टाचार होता रहा है, भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव होते रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनके पास सिफारिश के लिये पहुंच जाते हैं। जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि गरीब आदमी की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती है, तो इसके लिये आप एक तिहाई, दो तिहाई या जो भी ठीक समझें कुछ प्रतिशत थर्ड डिवीजन पास वालों के लिये रख दें और शेष के लिये फर्स्ट तथा सेकेन्ड डिवीजन वाले अध्यापकों को लेने की बात कर दें तो मैं समझता हूं कि यह उचित ही होगा। इन सारी बातों पर गम्भीरता से विचार करने के लिये आप इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि बार-बार जो इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि थोड़े समय के बाद ही संशोधन हो और उसमें हमारा जो समय और पैसा नष्ट होता है, उसकी बचत हो सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि जिसको जो भी संशोधन पेश करना हो वह ला दे और फिर उसके ऊपर वहां गम्भीरता पूर्वक विचार करके आप सुचारु रूप से उसे हाउस के सामने रखें तो उसका सभी स्वागत करेंगे और वह जनहित में भी होगा। यदि आप चाहते हैं कि जो पैसा हम टैक्स पेयस से लेते हैं उसका दुरुपयोग न हो तो आप अवश्य ही इसको स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे।

*श्री चन्द्रबलीसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् संशोधन विधेयक की आवश्यकता माननीय मंत्री जी ने महसूस की, हालांकि इन दोनों समिति और परिषद् का गठन शुरू में ही बहुत ही अप्रजातांत्रिक ढंग से हुआ जिसके कारण तमाम परेशानियां आती जा रही हैं। पहले यहां पर न क्षेत्र समिति और न जिला परिषदें ही बालिग मताधिकार के आधार पर चुनी गयीं। इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के बहुत से त्यागी व तपस्वी कार्यकर्त्ता जिला परिषदों के सदस्य नहीं बन सके। आज सारे जिलों में अपने-अपने क्षेत्र में अन्यायी और पैसे वालों का ही जोर है। लाठी वाले और रुपये वाले वोटरों को बटोर लाते हैं जिसका नतीजा यह है कि आज हर जिले की जिला परिषद् अन्यायी हाथों में हैं। इनको बचाने के लिये जरूरी है कि जो नामजद सदस्य हैं चाहे एम०एल०ए० हों, चाहे कोआपरेटिव सोसाइटीज के हों, या नगरपालिका के हों, किसी तरह से भी वहां ऊपर से लादे हुये न हों और हर सदस्य बालिग मताधिकार द्वारा चुने हुए हों। इस तरह का संशोधन अगर इस विधेयक में किया जाय तो निश्चित रूप से एक नयी प्रेरणा मिलेगी और इस प्रकार से जो संशोधन विधेयक बनेगा वह भी जनतांत्रिक होगा। आज जरूरत इस बात की है कि जितनी भी इकाइयां हैं, चाहे वह गांव की हो, या क्षेत्र की हो, चाहे जिले की हो, उन सबको पूरा अधिकार मिलना चाहिये। न कि वे अपने को यह समझें कि वे कांग्रेस सरकार के गुलाम हैं और उनकी अपनी कोई स्वतंत्र ताकत ही नहीं है। जिस तरह से सूबे की सरकार को स्वतंत्र ताकत की एक हैशियत है उसी ढंग से अपने-अपने दायरे के अन्दर जिला परिषदों को, क्षेत्र समितियों को और गांव पंचायतों को भी ताकत मिलनी चाहिये, इस चीज को दृष्टि में रखकर संशोधन हो तो ज्यादा अच्छा होता और ज्यादा काम होता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली सिंह]

जहां तक अध्यापकों के चुनाव में गड़बड़ी का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच इसमें इतना अन्याय हो रहा है कि ८वां और ७वां पास लड़कों को अध्यापकों की जगहों पर अध्यक्ष भर लेते हैं और इस भर्ती के सिलसिले में उनसे रुपया भी काफी लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको रुपया देने के बाद भी अध्यापकी नहीं मिली। बहुत से रास्ते में ही उनसे रुपया ठग लेते हैं। तो हमारा सुझाव है कि आपने इसके लिये एक रास्ता निकाला लेकिन फिर भी वह उन्हीं के हाथों में जा रहा है। ऐसी समिति जिसका निश्चय नहीं है कि सरकार ही करेगी, अगर सरकार को ही करना था तो वह गुपचुप ऐसा नियम बना देती जिससे उनके पक्ष वालों को लाभ होता। क्योंकि अब तो उनके कांग्रेस दल में भी दो गोल हो गया है। कोशिश इस बात की हो रही है कि वहां भी खालिस सरकारी गुट के ही लोग आयें। उसमें निश्चित रूप से जो होशियार लोग हैं, जिनको चतुर कहते हैं या जो शिक्षाविद् लोग हैं और इंस्पेक्टर लोग हैं वह जायं। ऐसा वहां कहीं न हो कि अच्छी डिवीजन में पास करने वाले सिफारिस के अभाव में रह जायं। इसमें ऐसा होना चाहिये कि अच्छी डिवीजन वाले छात्रों को सिफारिश के लिये किसी के दरवाजे पर न दौड़ना पड़े। आज हालत यह है कि अच्छी से अच्छी डिवीजन में पास करने के बाद भी मास्टरी या दूसरे पदों के लिये इस बात की जरूरत होती है कि सिफारिश मिल जाय और खास तौर से किसी मिनिस्टर की सिफारिश हो जाय, कोई जरा टेलीफोन कर दे। इस तरह का पंचायती राज अच्छी डिवीजन वालों के लिये न बनायें। आप ऐसा प्रबन्ध करें कि किसी भी जगह के लिये सिफारिश की जरूरत न हो इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि जो इसमें खामियां हैं वह दूर हो जायं और बालिग-मताधिकार की भी इसमें व्यवस्था हो सके। अभी तो चौखम्बा राज्य की बात थी लेकिन अब ६ खंम्बा राज्य की बात है। आपने अब बीच में यह क्षेत्र समिति की एक इकाई और बना दी है लेकिन भारत तो ५ खम्बा का है लेकिन आप रेंड के खम्बा न बनायें। यह जो सरकार के और भारत सरकार के खम्बे हैं यह सेमल के खम्बे हैं। आप यह रेंड के खम्बे न बनायें। १८ साल के स्वराज्य के बाद भी आपने गांवों में चौखम्बा राज्य की स्थापना नहीं की है। आपकी तो गांव के लोगों को सेवक बनाने की कोशिश है, ऐसे कानून बनाने से क्या होता है। आपके इंस्पेक्टर ऐसे ही दरवाजे पर बैठते हैं जहां इज्जत नहीं मिलती, या तो वह जमीन पर बैठते हैं या चुपके से वापस आ जाते हैं। ऐसा कोई नियम हो कि यह इंस्पेक्टर आपके खुद प्रचार करें, आप उनमें सेवा की भावना पैदा करें उनको अधिकारी न बनाकर आप कर्तव्यी बनायें। और यदि वह जनता में सेवा कार्य न करें तो उनको सजा दी जाय, आज वह उल्टे जनता को सजा देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करें ताकि वहां इसकी सारी खामियां दूर हों और एक सुन्दर नया बिल आ सके।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, यहां दो विषय एक साथ पेश हैं। एक तो अननुमोदन का प्रस्ताव है और दूसरा श्री रक्षपाल सिंह का है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मुझे दो शब्द अननुमोदन के बारे में कहना है। १५ जुलाई को आर्डिनेन्स जारी हुआ और २ अगस्त से यह सत्र बैठ रहा था जिसकी हम लोगों को १५ जुलाई को ही नोटिस पहुंच गयी थी कि २ अगस्त को सत्र जारी होगा। इस आर्डिनेन्स में कोई ऐसी विशेष जल्दी की बात भी नहीं है, केवल टीचर्स के अप्वाइंटमेंट की बात है। वह भी आप रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट से कर सकते थे। लेकिन इसके लिये मैं आपकी बुद्धि की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

दूसरी बात इसको प्रवर समिति में भेजने की है वह जरूरी है। सरकार तो अपने तुगलकी पदों पर ही चलना चाहती है। आज विकास खंड बड़े से छोटे किये जा रहे ह, कल फिर छोटे से बड़े किये जायंगे, कहीं पर इमारतें बना दी हैं वह गिरायी जायंगी और न जाने क्या-क्या होगा। जो संशोधन रखे हैं, आपने इन संशोधनों में प्रमुख को ताज तो पहना दिया, पर कह दिया है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तुम्हें अधिकार कुछ नहीं। प्रमुख तो आपने अवश्य रखा लेकिन उसका कोई क्षेत्र नहीं रखा। किस तरह से आप उसकी परिभाषा करेंगे ? जब आपने अलग-अलग कर दिया तो कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं ? आपने विकास खंड अलग कर दिया। आपने कह दिया कि वे सिर्फ जिला परिषद् के अध्यक्ष रहेंगे। आपने नहीं सोचा कि उसका जो क्षेत्र था उसको आपने छीन लिया है।

एक चीज इसमें आपने और रखी है। इसमें अविश्वास के सम्बन्ध में अध्यक्ष को एक अधिकार दे दिया है। अगर वह किसी पार्टी से मिल जाय तो वह अगर चाहे तो अविश्वास के प्रस्ताव को नाकामयाब कर सकता है। किसी दिन अगर लोग इकट्ठे हुये और अध्यक्ष महोदय न आयें तो बड़ी दिक्कत पड़ जायेगी। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस संशोधन को वापस ले लीजिये।

एम०एल०सी० के लिये तो आप ने कर दिया लेकिन आपने एम०एल०एज० के लिये नहीं सोचा है। उनका क्षेत्र भी कई जिलों में होता है। कई-कई ब्लाक्स को मिलाकर उनका क्षेत्र होता है। यह विधेयक १९६१ में बना था और तब से ही आप इसमें संशोधन करते जा रहे हैं। क्यों नहीं आप सब विषयों पर विचार करके एक बार संशोधनों को ले आते हैं ?

आप वास्तव में सरकारीकरण करने जा रहे हैं और सारी सत्ता क्षेत्र समितियों को देने जा रहे हैं, लेकिन आपने कह दिया कि सरकार ने इमारत बना ली है। आप क्षेत्र समिति को अधिकार दें लेकिन वह मध्य में हो। क्षेत्रीय समिति का जो कार्यालय हो वह मध्य में हो। लेकिन यह राइट आपने नहीं रखा कि कहां होगा। आपने पंचायती राज की जगह पर सरकारी राज्य रखा है। कल आपने कोआपरेटिव विधेयक में भी ऐसा ही किया है और आज भी आप वैसा ही कर रहे हैं। आपने जो सरकारीकरण इसमें किया है उसे आप दूर कीजिए। ५४ जिलों में से ५३ जिलों में आपके अध्यक्ष हैं। उनमें कितनी बुराइयां हैं वे अध्यापकों का जो चयन हुआ है, उससे स्पष्ट हो गयी होगी। पैसा लेकर कर रहे हैं और इसको ठीक करना चाहिये, परन्तु यह तरीका नहीं है। इसलिये आप इसको प्रवर समिति को भेजें ताकि जो कुछ गलतियां हैं वे दूर हो सकें।

श्री हिम्मतसिंह—

श्रीमन्, पहले विधेयक में जो कमियां थीं उनको दूर करने की इस विधेयक द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन और भी बहुत सी कमियां थीं जिनको प्रवर समिति में भेज कर सुधारा जा सकता है। क्षेत्र समिति द्वारा ए० डी० ओ० कोआपरेटिव, पंचायत, ऐग्रीकल्चर आदि इन सब के द्वारा गांवों की लुटाई हो रही है। खाद दी जाती है, काश्तकार लेता नहीं और गांव का प्रधान फर्जी अंगूठे लगाकर ले लेता है। ऐसे ही गेहूं के बीज में हो रहा है। क्या इन बातों पर भी मंत्री जी ने कभी ध्यान दिया है ? इसलिये ऐसी जो कमियां हैं उनको भी दूर करने की कोशिश कीजिये। आज ब्लाक के द्वारा जो सीमेंट बांटा जाता है कुओं और नालियों के लिये वह उनमें न लगाकर मकानों में लगता है इसलिये योजना पूरी नहीं हो पा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अगले दिन अपना भाषण जारी रखें।

राप्ती नदी के पुल टूटने से संबंधित जांच समिति की रिपोर्ट पर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में नियम ५० के नियम अन्तर्गत चर्चा

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न पर चर्चा इसलिये मांगी कि मैं कुछ बातों की जानकारी चाहता हूं और सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कमेटी की रिपोर्ट में किन-किन बातों की

[श्री कल्पनाथसिंह]

सिपारिश की गयी। अगर उसकी जानकारी हो तो अच्छा है। दूसरी तरफ जो सिपारिशें हुई हैं उस पर कहां तक सरकार ने अमल किया। अगर उसकी जानकारी करायी जाय तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो भी अधिकारी उस सिलसिले में, अगर दोषी पाये गये हैं उनके बारे में क्या-क्या सरकार ने किया, इसकी भी जानकारी हो जाय तो सदस्य संतुष्ट होंगे। अगर ठेकेदार से सम्बन्धित कोई सिफारिश है तो उस सिलसिले में अगर जानकारी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपना बयान दें। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न करेंगे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--

श्रीमन्, माननीय कल्पनाथसिंह ने अभी जो सवाल उठाये और जो पत्र अध्यक्ष को दिया था उसमें भी उन्होंने कुछ प्रश्न किये थे तथा जो लिखित प्रश्न उन्होंने किये थे, उसमें करीब-करीब सभी बातें आ जाती हैं। जैसे कि उन्होंने यह लिखा था कि यह साफ नहीं हुआ कि किस बात पर ठेकेदार की जिम्मेदारी थी और कहां तक अधिकारियों की लापरवाही थी। तो जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार उक्त स्पैन के टूटने के कुछ पहले ठेकेदार के आदमियों ने निर्माण सम्बन्धी सामग्री बाढ़ से बचाने के लिये पुल पर लाद दी जिसका भार इतना अधिक था कि स्पैन इसे संभाल न सका। अतएव पुल के टूटने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की ही है। अधिकारियों को स्वयं इस बात की जांच करनी चाहिये थी कि पुल का भार सहन करने की क्षमता से अधिक बोझ उस पर न लादा जाय।

सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता इस ओर उदासीन रहे, उन्होंने लापरवाही की और जिम्मेदारी का भलीभांति पालन नहीं किया।

ठेकेदार के विरुद्ध जो पुल टूटने में आर्थिक क्षति हुई है उसको वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

अधिकारियों में से सहायक अभियन्ता अपने पद से ३ जुलाई, १९६३ को अपना त्याग-पत्र देकर चले गये। अधीक्षण अभियन्ता १ जनवरी, १९६२ को सेवा निवृत्त हो चुके थे। अधिशासी अभियन्ता को अपने पद से प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

जैसा प्रश्न दो के उत्तर में कहा गया है अधिशासी अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

पुल के टूटने के समय जो अधिकारी उसके चार्ज में थे, उनमें से किसी को कोई तरक्की अभी तक नहीं दी गई है।

सरकार ने इस सम्बन्ध में निश्चित निर्णय ले लिया है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जितना पक्का काम पी० डब्लू० डी० द्वारा किया जायगा नियमानुसार ओवर सीयर, असिस्टेन्ट इंजीनियर और एक्जिक्यूटिव इंजीनियर की देख-रेख में सारा काम होता है तो सीमेंट वगैरह जो मिलाया गया था और जो खामी हो गयी तो क्या इन अधिकारियों की देख-रेख में यह निर्माण नहीं किया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस सम्बन्ध में जहां तक सीमेंट वगैरह का सम्बन्ध है जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वह इस निर्णय पर पहुंची है कि इस पुल के डिजाइन को बनाने में और सामग्री जो इस्तेमाल की गयी, उसमें कोई दोष नहीं पाया गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

जो पुल टूटा है इसमें कितना एस्टीमेटेड लास हुआ होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

सरकार को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि पुल टूटने के बाद जो भी पुल बना, उसमें जो भी नुकसान होगा वह ठेकेदार के जिम्मे होगा, क्योंकि ठेकेदार उसे बनाता लेकिन बीच में छोड़ कर चला गया, तो सरकार ने उसे बनाया। इस सिलसिले में ठेकेदार से जो रुपया वसूल होगा उसको लेकर कोई नुक्सान होने वाला नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह--

जो स्पैन टूटा तो उसके बनते समय ठेकेदार को कितना रुपया पेमेंट किया जा चुका था और उसके बाद जब विभाग ने उस पुल को बनवाया, तो उसके बनाने में डिपार्टमेंट का क्या खर्चा हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस पुल पर जो खर्चा हुआ, उसका आखिरी आगणन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन ठेकेदार का जो रुपया हमारे पास था और उसकी जो सामग्री थी उसका ब्योरा है। उसके बाद थोड़ी ही रकम बची रह जाती है जो हमें वसूल करनी रह जायगी।

श्री कल्पनाथसिंह--

मेरा सवाल है कि पुल टूटने की जिम्मेदारी की वजह से ठेकेदार पर जो एसेसमेंट हुआ उसके लिये वह कितना पैसा देगा, कितना उसकी सामग्री से प्राप्त हुआ और कितना बाद को रिकवर किया जायगा ? यह एसेसमेंट किसी निश्चित आधार पर हुआ होगा, वह आधार क्या है और एसेसमेंट क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

मैंने निवेदन किया कि पूरा खर्चा जो उसे बनाने में लगा है, उसका आगणन अभी तक हमारे पास मुख्य अभियन्ता से नहीं आया है। उसके आने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि कितना खर्चा इसमें हुआ।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता जिनको दोषी पाया गया लापरवाही के नाते कि उनके आदेश से पुल पर ज्यादा बोझा लादा गया था तो किस टैक्नीकल राय की वजह से आदेश दे दिया गया था कि पुल के ऊपर बोझा लादा जाय और कितना लादा गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

श्रीमन्, सहायक अभियन्ता के आदेश से सामान बह न जाय इसलिये पुल पर लादा गया और यह उनका कर्त्तव्य था कि वे उसको देखते कि उस पर उतना ही वजन लादा जाय जिससे नुकसान न हो। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। इंक्वायरी चल रही थी कि बीच में ही वे छोड़ कर चले गये।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

श्रीमन्, मंत्री जी यह बताने में मजबूर हैं कि कितनी हानि हुई। तो क्या वे इतना बतायेंगे कि कितने पर ठेका दिया गया था और कितना रुपया ठेकेदार को दिया जा चुका है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, मैंने तो यह नहीं कहा कि जितनी हानि हुई है उसके आंकड़े नहीं हैं। जितनी क्षति हुई है, उसके आंकड़े हैं और मैं बता सकता हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, वे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दें कि कितने पर ठेका दिया गया और कितना उसको दिया जा चुका है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, कुल ४१ लाख रुपये की लागत पर पुल बनना था और पुल के निर्माण का ठेका ३१ लाख ९५ हजार का था।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, यह फिर नहीं बताया गया कि ठेकेदार कितना रुपया लेकर चला गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, मैंने कहा कि जितना पुल बनता गया उसका पेमेंट होता गया। लेकिन उसकी जमानत की रकम और सामग्री मौजूद है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब ठेकेदार चला गया तो इस पुल के निर्माण में सरकार ने कितना खर्च किया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, कितना खर्च किया गया, इसके मुताल्लिक अभी तक आगणन नहीं आया है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं पूछ रहा हूं कि जब ठेकेदार चला गया तो सरकार ने पुल निर्माण में कितना रुपया खर्च किया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, वही तो मैंने निवेदन किया कि इस बारे में अभी आगणन नहीं तैयार हो पाया है।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे और जैसे कि उन्होंने स्वयं कहा कि इंजीनियरों के अनुसार सामान लगाया गया जिससे पुल टूट गया, तो क्या वे जानते हैं कि पुल के निर्माण में इंजीनियर १० से २० परसेन्ट कमीशन लेते हैं ? जब वह चला गया है तो जिस तरह से ठेकेदार से वसूल कर रहे ह इंजीनियर से वसूल न करने और दंडित न करने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो कानून में सम्भव होगा वह सभी किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

एक तरफ वह कहते हैं कि ज्यादा सामान पुल पर लादा गया इस लिए टूट गया। दूसरी तरफ कहते हैं कि ठेकेदार ने गलती की, उससे पैसा वसूल किया जा रहा है। तो दोनों में दोषी कौन है, जिसके कारण पुल टूटा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पूरा दोष ठेकेदार का है और जिन्होंने इजाजत दी, उनका भी दोष है।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताएगी कि वह ठेकेदार जिसको कहा जा रहा है कि छोड़ कर चला गया, उसने सरकार पर नोटिस दिया है या दावा किया और दावा किया है तो कितने रुपए का ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां, ठेकेदार ने ६ लाख ८८ हजार का दावा किया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह पुल कितने रुपए में बनाने का निर्णय लिया था और अब तक कुल कितना रुपया व्यय हो चुका है और जो व्यय हुआ है पहले ठेकेदार को उसमें से कितना दिया गया और दूसरे ठेकेदार को कितना रुपया दिया जा चुका है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने निवेदन किया कि इसका पूरा आगणन नहीं आया है। पहले ठेकेदार के बाद विभाग ने बनाया है। छोटे काम ठेकेदारों से करवाए गए हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

पुल बन गया, आना जाना शुरू हो गया, अब तक हिसाब सरकार के पास नहीं आया, जबकि कमेटी बन गयी, उसकी रिपोर्ट आ गयी, सदन में सवाल हुए, अब बहस हो रही है और सरकार के पास जानकारी ही नहीं है कि कुल कितना रुपया खर्च हुआ है। इस तरह के काम से गड़बड़घोटाला हो सकता है इसलिए मन्त्री जी को साफ बताना चाहिए कि पुल में कितना रुपया व्यय हुआ है।

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब इस प्रकार के काम होते हैं, छोटे-छोटे काम रह जाते हैं जिनको सुलझाना पड़ता है। पूरे आंकड़े उस समय दिए जा सकते हैं जबकि पूरा हिसाब निश्चित रूप से साफ हो जाय। उसके लिए जल्दी की जा रही है।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या आडिट रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि कुछ फाइनेंशियल इर्रेगुलेरिटीज हैं, तो कितने रुपए की फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज की बात है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य बताएंगे तो पता लगवा लूंगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय मन्त्री ने बताया कि निर्माण कार्य ज्यों-ज्यों होता गया त्यों-त्यों भुगतान होता गया और पुल पूरा बन गया है, तो क्या मैं समझूं कि ठेकेदार का सारा का सारा रुपया वसूल हो चुका है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सदन को आप इससे अवगत कराएंगे कि कुल कितना रुपया व्यय हुआ है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब हिसाब आ जायगा तो आपके समक्ष रख दूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

जो ठेकेदार ने दावा किया है, उसका अर्जी दावा क्या है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रामअवध—

जैसा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में दिया हुआ है उसमें ओवरसियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर दोषी पाये गये, उसमें तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को डिग्रेड किया गया लेकिन उनसे क्या फिर से महीने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम लिया जा रहा है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो अधिशासी अभियन्ता थे उनको प्रत्यावर्तित कर दिया गया था, किन्तु उसके बाद कुछ कानूनी आशंकाएं थीं इसलिए फिर उन्हें रिस्टोर किया गया। लेकिन अब फिर ला डिपार्टमेंट से कन्सल्ट करके उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

श्री केशभान (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस पुल के जो दो स्पैन्स ध्वस्त हुए हैं, तो उसके बनाने में कितना खर्च हुआ या उसका इस्टीमेट कितना रहा है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

फिर से प्रश्न स्पष्ट करें।

श्री केशभान —

मेरा प्रश्न यह है कि जो पुल के स्पेन ध्वस्त हुए, उस पर बनाने में कितना खर्च हुआ और उसके बाद में सरकार द्वारा उसके बनवाने में कितना खर्चा हुआ, क्या इसकी जानकारी सरकार को है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उसका हिसाब अलग-अलग है, लेकिन उसके आंकड़े इस समय नहीं हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

आपका कथन है कि उस पर लोड बहुत ज्यादा था, इसलिए वह ध्वस्त हुआ। तो क्या यह आपकी जानकारी में है कि वह कितना लोड बरदाश्त कर सकता था और उस पर कितना लोड रखा गया?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह तो बता दिया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

नहीं, यह प्रश्न नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल नया प्रश्न है, यह किसी ने अभी नहीं पूछा है। मन्त्री जी आप बतायें कि दोनों स्पेन पर कितना लोड बरदाश्त करने की ताकत थी और कितना उन पर लोड रख दिया गया था? वह कौन-सा सामान था जो उस पर रख दिया गया था, जिससे कि वह टूट गया?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह कथन मेरा नहीं है, यह कथन तो जांच कमेटी का है।

मैं नहीं कह सकता कि रिपोर्ट में अलग से इसका जिक्र है कि नहीं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, यह जिसके आदेशों से सामान गया, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कुछ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं तो यह बता चुका हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उस पुल को पब्लिक के आवागमन के लिए कब से खोल दिया गया है, और आपके विभागीय आदेश क्या हैं कि पब्लिक के लिए पुल खोल दिए जाने के कितने दिन बाद तक सारा हिसाब सरकार के पास और चीफ इंजीनियर के पास आ जाना चाहिए?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उस पर आवागमन तो बहुत दिनों से लागू है। कई महीने हुए। आप सब लोगों को तो मालूम होना चाहिए। उसका जब उद्घाटन हुआ था तो गोरखपुर के सब लोग शामिल हुए थे।

श्री प्रेमसिंह—

क्या पुल पर जाने के लिये कोई टोल-टैक्स वसूल होता है या नहीं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आप उसकी फिक्र न करें, आपसे कोई टोल-टैक्स वसूल नहीं होता है।

श्री प्रेमसिंह—

मुझसे नहीं, जनता से वसूल होता है या नहीं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब आपसे नहीं वसूल होता है तो किसी से भी नहीं वसूल होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इस के बाद सदन ६ बजकर २१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२ सितम्बर, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०१ पर)

तहसील हाथरस क्षेत्र में, सम्बन्धित थाने में पिछले तीन महीनों (अप्रैल, मई, जून १९६५) में हुई हत्या, डकैती, चोरी और राहजनी का विवरण

थाना	हत्या		डकैती		चोरी		राहजनी	
	दर्ज हुए रिपोर्ट की संख्या	विशेष रिपोर्ट	दर्ज हुए रिपोर्ट की संख्या	विशेष रिपोर्ट	दर्ज हुए रिपोर्ट की संख्या	विशेष रिपोर्ट	दर्ज हुए रिपोर्ट की संख्या	विशेष रिपोर्ट
हाथरस	१	१	—	—	४१	३	२	—
मुड़सान	—	—	—	—	४	—	—	—
सासनी	—	—	२	२	२४	१	—	—
योग ..	१	१	२	२	६९	४	२	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३९–४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०५ पर)

१२–४–६५ को अनन्तराम उपनाम बिल्लू नामक एक पंजाबी युवक, निवासी शाहाबाद, थाना कोतवाली को उसी मोहल्ले के इसहाक नामक व्यक्ति ने चाकू से चोटें पहुंचाई जिसके फलस्वरूप उसकी उसी दिन मृत्यु हो गई। इस घटना ने साम्प्रदायिक रूप ले लिया और तनातनी उत्पन्न हो गई। शान्ति और सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए तुरन्त पुलिस गश्त का प्रबन्ध किया गया और पी०ए०सी० की सशस्त्र टुकड़ियां महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात कर दी गयीं। १४४ द० प्र० सं० पहिले से ही लागू थी और उसके उल्लंघन के सम्बन्ध में लोगों की गिरफ्तारियां भी की गयीं।

२—१८–४–६५ को श्री फजल करीम, म्युनिसिपल कमिश्नर ने थाना कोतवाली को टेलीफोन द्वारा इस आशय की सूचना दी कि मोहल्ला सिकलापुर के लोग सड़क पर लाठी बल्लम लिए जमा हो गए हैं और झगड़े फसाद की बातें कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर इन्सपेक्टर इंचार्ज, कोतवाली घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पाया कि लाठी बल्लमों से लैस कुछ व्यक्ति मोहल्ला आजमनगर की ओर बढ़ रहे हैं जहां अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। उन्होंने १० व्यक्तियों को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया और १९ को, जो भाग गये थे तलाश करके उसी दिन गिरफ्तार किया। इन लोगों के विरुद्ध धारा १४३ भा० दं० विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें जांच हो रही है।

३—दिनांक १८-४-६५ को विट्ठन पुत्र छुट्टन पठान निवासी मु० सूफीटोला, थाना बारादरी ने रिपोर्ट लिखाई कि जब वे अपने साथी इकबाल हुसैन की बारात बजाकर वापस अपने घरों को जा रहे थे, तो पीली कोठी के पास दो अज्ञात आदमियों ने उन पर धारदार हथियार व लाठी से वार किया जिसके फलस्वरूप उन्हें साधारण चोटें आयीं। रिपोर्ट के सम्बन्ध में थाना बारादरी पर एक मुकदमा धारा ३२४/३२३ भा० दं० वि० का दर्ज हुआ। जांच से अपराधियों का पता नहीं चला। जांच समाप्त होने को है।

४—दिनांक १८–४–६५ को मोहम्मद उमर उर्फ छोटे पुत्र गफूर शेख सा० मोहल्ला कांट, थाना बारादरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उस दिन जब वे मोहल्ला आजमनगर से रात ११–४५ बजे घर वापस जा रहे थे तो बांसमंडी सड़क पर तीन-चार आदमियों ने उन पर लाठियों से हमला किया जिससे उनको चोटें आयीं। रिपोर्ट के सम्बन्ध में धारा ३२५ भा० दं० विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा थाना कोतवाली पर दर्ज कराया गया। जांच से अपराधियों का पता नहीं चला। जांच समाप्तप्रायः है।

५—तारीख ९–५–६५ को श्री बल्देवप्रसाद मुलाजिम रबर फैक्टरी वैस्ट व उसके भाई चेतराम को फिरासत जो कि रबर फैक्टरी में मुलाजिम था और उसके भाई शराफत ने लाठियों से मारा। इसका कारण यह था कि पहले उनमें आपसी झगड़ा हुआ था। बल्देव प्रसाद के फिरासत ने चाकू से भी आघात किया। फलस्वरूप मुकदमा धारा ३२३, ३२४ भा० दं० वि० में थाना फतेहपुर वैस्ट पर कायम किया गया और बाद तफतीश दोनों मुल्जिमान का चालान २५–६–६५ को धारा ३०७ भा० दं० विधान में किया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०६ पर)

संवाद समितियों को वित्तीय वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में दी गई धनराशि का विवरण––

संवाद समिति का नाम	धनराशि	उद्देश्य
	वर्ष १९६२–६३	
(अ) पी० टी० आई०	(क) १,२०० रु० प्रतिमास की दर से सहायता।	यह धन टेलीप्रिन्टर मशीन द्वारा समाचार प्राप्त करने के लिए दिया गया।
	(ख) ३७५ रु० की अतिरिक्त सहायता।	यह धन नैनीताल में शासकीय बैठकों के प्रेस कवरेज के लिए दिया गया।
(ब) यू० एन० आई०	कोई धन नहीं दिया गया।	––
(स) नेशनल प्रेस आफ इंडिया	(क) २,००० रु० का वार्षिक अनुदान।	यह धन हिन्दी न्यूज सर्विस के लिए दिया गया।
	(ख) ८०० रु० की दर से मासिक सहायता। माह जनवरी, तथा फरवरी १९६३ के लिए।	यह धन विभाग की ओर से हिन्दी समाचार-पत्रों को तार द्वारा संवाद भेजने के लिए दिया गया।
(द) इंडिपेंडेन्ट न्यूज सर्विस	१,२०० रु० का वार्षिक अनुदान।	यह धन उर्दू न्यूज सर्विस के लिए दिया गया।
(ल) हिन्दुस्तान समाचार	कोई धन नहीं दिया गया।	––
(म) नाफेन	कोई धन नहीं दिया गया	–––––
(ह) इन्फा	३०० रु० प्रतिमास की दर से मार्च, १९६२ से १४ फरवरी, १९६३ तक और १५ फरवरी से २८ फरवरी, १९६३ तक ५०० रु० प्रतिमास की दर से सहायता।	यह धन न्यूज व फीचर सर्विस के लिए दिया गया। १५ फरवरी, १९६३ से समाचारों की तीन प्रतियों के स्थान पर ५ प्रतियां खरीदने के कारण सहायता की रकम बढ़ी दी गयी।
	वर्ष १९६३–६४	
(अ) पी० टी० आई०	१,२०० रु० प्रतिमास की दर से सहायता।	यह धन टेलीप्रिन्टर द्वारा संवाद प्राप्त करने के लिए दिया गया
(ब) यू० एन० आई०	कोई धन नहीं दिया गया	–––––
(स) नेशनल प्रेस आफ इंडिया	(क) २,००० रु० का वार्षिक अनुदान।	यह धन हिन्दी न्यूज सर्विस के लिए दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

संवाद समिति का नाम	धनराशि	उद्देश्य
	(ख) ८०० रु० की मासिक सहायता।	यह धन विभाग की ओर से हिन्दी समाचार पत्रों को तार द्वारा संवाद भेजने के लिए दिया गया।
(द) इंडिपेंडेन्ट न्यूज सर्विस	१,२०० रु० का वार्षिक अनुदान।	यह धन उर्दू न्यूज सर्विस के लिए दिया गया।
(ल) हिन्दुस्तान समाचार	कोई धन नहीं दिया गया	----
(म) नाफेन	कोई धन नहीं दिया गया	----
(ह) इन्फा	५०० रु० की दर से मासिक सहायता।	यह धन न्यूज और फीचर सर्विस–५ प्रतियों के लिए दिया गया।
	वर्ष १९६४–६५	
(अ) पी० टी० आई०	(क) १,२०० रु० की दर से मासिक सहायता।	यह धन टेलीप्रीन्टर द्वारा समाचार प्राप्त करने के लिए दिया गया।
	(ख) ३७५ रु० की अतिरिक्त सहायता।	यह धन नैनीताल में शासकीय बैठकों के प्रेस कवरेज के लिए दिया गया।
(ब) यू० एन० आई०	कोई धन नहीं दिया गया	----
(स) नेशनल प्रेस आफ इंडिया।	(क) २,००० रु० का वार्षिक अनुदान।	यह धन हिन्दी न्यूज सर्विस के लिए दिया गया।
	(ख) ८०० रु० की दर से मासिक सहायता।	यह धन विभाग की ओर से हिन्दी समाचार-पत्रों को तार द्वारा समाचार भेजने के लिए दिया गया।
(द) इंडिपेंडेन्ट न्यूज सर्विस	१,२०० रु० का वार्षिक अनुदान।	यह धन उर्दू न्यूज सर्विस के लिए दिया गया।
(ल) हिन्दुस्तान समाचार	कोई धन नहीं दिया गया	----
(म) नाफेन	कोई धन नहीं दिया गया	----
(ह) इन्फा	५०० रु० की दर से मासिक सहायता।	यह धन न्यूज व फीचर सर्विस-५ प्रतियों के लिए दिया गया।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०८ पर)

सन् १९५९ से १९६४ तक निम्नलिखित सब-इन्स्पेक्टरों की इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नति की गई—

(१) सन् १९५९ की सेलेक्शन कमेटी द्वारा चयन किये गये सब-इन्सपेक्टर्स जिन्हें स्थानापन्न पदोन्नत किया गया—

(१) श्री रमेशचन्द्र गुप्त,
(२) श्री हरीशचन्द्र नेगी,
(३) श्री बचनसिंह नेगी,
(४) श्री सूरजबली राम,
(५) श्री कालिन्द्रीप्रसाद सिन्हा,
(६) श्री शिवमूर्ति सिंह,
(७) श्री विन्ध्य वासिनी प्रसाद,
(८) श्री चन्द्र हास शुक्ल,
(९) श्री बी० के० जैन।

(२) अक्तूबर, सन् १९६२ से १९६४ में सेलेक्शन कमेटी के पुनः बैठने के पूर्व तक तदर्थ पदोन्नत किये गये सब-इन्सपेक्टर्स—

(१) श्री सत्यपालसिंह त्यागी,
(२) श्री मदनमोहन वर्मा,
(३) श्री जी० बी० एल० माथुर,
(४) श्री महेशप्रसाद पांडेय,
(५) श्री नर्वदेश्वर सिंह,
(६) श्री ए० सोलोमन,
(७) श्री राजेन्द्रबहादुर सिंह,
(८) श्री जीवनशंकर शर्मा,
(९) श्री ब्रह्मदत्त विचारी,
(१०) श्री चन्दनसिंह विष्ट।

(३) सितम्बर, १९६४ की सेलेक्शन कमेटी द्वारा चयन किये गये २९ सब-इन्सपेक्टर्स में से निम्नलिखित जिन्हें १९६४ के अन्त तक ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नत किया गया।

(१) श्री भगवान दयाल मिश्र,
(२) श्री नर्वदेश्वर सिंह,
(३) श्री राजेन्द्रबहादुर सिंह,
(४) श्री श्यामप्रकाश मिश्र,
(५) श्री ब्रज नारायण मिश्र,
(६) श्री सन्तोष कुमार चटर्जी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(७) श्री भगवत स्वरूप गौतम,
(८) श्री श्याम नारायण स्वामी,
(९) श्री रघुवीरशरण तिवारी,
(१०) श्री महेश चन्द्र जौहरी,
(११) श्री राणजयसिंह,
(१२) श्री कृपाशंकर पांडेय,
(१३) श्री पारस नाथ तिवारी

सब-इन्सपेक्टरों के स्थानापन्न पदोन्नति के लिए सेलेक्शन कमेटी द्वारा निर्धारित आधार निम्नलिखित था :—

(१) सेवाकाल की अवधि।
(२) शैक्षिक योग्यता।
(३) विभागीय विशेष योग्यता (स्पेशलाइज्ड कोर्स) तथा उसका परीक्षा फल।
(४) सेलेक्शन कमेटी के समक्ष प्रश्नों का सही तथा संतोषजनक उत्तर देने की क्षमता।
(५) सेलेक्शन कमेटी के सम्मुख सामान्य आचरण।
(६) सेवाकाल का अभिलेख (सर्विस रेकार्ड)।

तदर्थ (एडहाक) पदोन्नति के लिए प्रचलित रीति के अनुसार केवल सेवाकालीन अवधि एवं सेवाकालीन अभिलेख। सीनियारिटी और सर्विस रेकार्ड के आधार पर ही विचार किया गया था।

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५७–५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१० पर)

विवरण

१६ मई, १९६५ को मोहल्ला पिपरापुर, जिला गोरखपुर में एक साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ। पुलिस ने घटनास्थल पर १२४ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा ३ अभियुक्तों ने बाद में न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। उपरोक्त १२७ अभियुक्तों का कोतवाली पुलिस ने धारा १४७, १४८, १४९, ३९५, ३९७, ४३५, ४३६, ३०७, ३३२, ३५३ भा० दं० विधान के अन्तर्गत चालान किया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इस घटना से सम्बन्धित सब अभियुक्त अल्पसंख्यक वर्ग के हैं।

इस घटना के फलस्वरूप १६–५–६५ को मोहल्ला मोहनलालपुर में भी एक साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ। इस घटना के सम्बन्ध में ९८ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा ३१ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। ४४ अभियुक्तों का धारा १४७, १४८, १४९, ३९५, ३९७, ४३५, ४३६, ३३२, ३२४ भा० दं० विधान के अन्तर्गत चालान किया गया। शेष अभियुक्त कार्यवाही शिनाख्त में सही नहीं पहचाने गये। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इस घटना के सम्बन्ध में जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये या जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। वे बहुसंख्यक वर्ग के हैं।

उपरोक्त घटना के उपरान्त डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन पर तथा उसके पास भी एक साम्प्रदायिक घटना हुई। इस घटना के सम्बन्ध में धारा १४८, ३२४, २३२, १४९, ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत ९७ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। यह अभियुक्त बहुसंख्यक वर्ग के हैं। अभी इस मामले में जी० आर० पी० द्वारा जांच हो रही है।

क्योंकि प्रथम दो घटनाओं के बारे में मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और तीसरी घटना में अभी जांच हो रही है अतः इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहना सम्भव नहीं है।

पी० एल० यू० पी० ए० पी०—१२२ एल० ए०—१९६५—८६२।